षोडश माला, खंड 10, अंक 35 बुधवार, 13 मई, 2015
23 वैशाख, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(सोलहवां लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 10 में अंक 31 से 35 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

13-05-2015

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

13-05-2015

विषय - सूची

षोडश माला, खंड 10, चौथा सत्र, 2015 / 1937 (शक)
अंक 35, बुधवार, 13 मई, 2015 / 23 वैशाख, 1937 (शक)

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
12 मई, 2015 को नेपाल और भारत के उत्तरी भाग में ' तबाही	**10**
सभा पटल पर रखे गए पत्र	12-16
जल-संसाधन संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	17
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) वित्त मंत्रालय से संबंधित ' मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 81वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में	
श्री जयंत सिन्हा	18
(दो) अलप्पुझा में भारतीय खेल प्राधिकरण के स्पेशल एरिया गेम्स वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की चार बालिका प्रशिक्षणार्थियों द्वारा आत्महत्या करने के प्रयास के बारे में	

13-05-2015

श्री राजीव प्रताप रूडी 19-24

कार्य मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 25

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के साथ किए गए शोषण के बारे में 38-39

(दो) सभा में उठाये गये बिन्दुओं पर मेसर्स शक्तिमान मेगा फूड पार्क को निरस्त किये जाने के बारे 65-66

परक्राम्य लिखित (संशोधन) विधेयक, 2015

विचार करने के लिए प्रस्ताव 67

श्री जयंत सिन्हा 67-68, 98-100, 104-106

श्री एम.आई. शनवास 69-73

श्री हुकुम सिंह 74-76

श्री एस. सेल्वाकुमार चिन्नैयन 77-78

प्रो. सुगत बोस 79-81

श्री झीना हीकाका 82-83

श्री राहुल शेवाले 84-85

डॉ. रविन्द्र बाबू 86

श्री बी. विनोद कुमार 87

डॉ. ए. संपत 88-92

डॉ. वारा प्रसाद राव वेलगापल्ली	92-93
श्री दुष्यंत चौटाला	94
एडवोकेट जोइस जॉर्ज	95-96
डॉ. उदित राज	97
खंड 2 से 4 और 1	107-112
पारित करने के लिए प्रस्ताव	112
राज्य सभा से प्राप्त संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक	113-115, 174
सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015	116-163
विचार करने के लिए प्रस्ताव	116
डॉ. जितेंद्र सिंह	116-123, 162-174
श्री अधीर रंजन चौधरी	118-121
डॉ. संजय जायसवाल	124-131
प्रो. सौगत राय	132-135
श्री भर्तृहरि महताब	136-139
डॉ. रविन्द्र बाबू	140-141
डॉ. के. कामराज	142-143
श्री राहुल शेवाले	144-147
डॉ. ए. संपत	148-153
श्रीमती कविता कलवकुंतला	154-156
कुमारी सुष्मिता देव	157-159

13-05-2015

श्री ओम बिरला 160-161

खंड 2 से 11 और 1 173-174

पारित करने के लिए प्रस्ताव 174

सरकारी विधेयक – पुरःस्थापित

(एक) निरसन और संशोधन (तीसरा) विधेयक ,2015

श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा 176

(दो) बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2015

श्री जयंत सिन्हा 177

सरकारी विधेयक - स्थायी समिति को भेजे गए

(एक) बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2015 178

(दो) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2015 182-185

(तीन) राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015 185

(चार) सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015 185

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' 180-181

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014

(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)

श्री अरुण जेटली 188-198

विचार करने के लिए प्रस्ताव 188-198

खंड 4 से 22 और 1 191-193

संशोधनों पर सहमति	198
विदाई उल्लेख	199-203
राष्ट्रगीत	203

13-05-2015

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

<u>बुधवार, 13 मई, 2015 / 23 वैशाख, 1937 (शक)</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

13-05-2015

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

12 मई, 2015 को नेपाल और भारत के उत्तरी भाग में भूकंप की तबाही

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 12 मई, 2015 को नेपाल में एक और भूकम्प आया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.3 आंकी गई तथा जिसके तीव्र कम्पन भारत के उत्तरी भागों में भी महसूस किए गए। इस भूकम्प का केंद्र काठमांडू से 83 किलोमीटर पूर्व माउंट एवरेस्ट के निकट था। इसके पश्चात् भी इस क्षेत्र में छह बार भूकम्प के तेज झटके आने की सूचना प्राप्त हुई है।

इस भूकम्प में 57 व्यक्तियों की मृत्यु होने और कई अन्य व्यक्तियों के घायल होने तथा सम्पत्ति का भारी नुकसान होने की सूचना मिली है।

उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, असम, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में भी भूकम्प के झटके महसूस किए गए। बिहार में 15 व्यक्तियों सहित भारत में 17 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है।

यह सभा दुःख की घड़ी में नेपाल की सरकार और जनता तथा हमारे अपने देश के विभिन्न भागों में प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति और पूर्ण समर्थन व्यक्त करती है। यह सभा लोगों की मृत्यु पर अपना गहरा शोक व्यक्त करती है और शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती है तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।

यह सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

<u>पूर्वाह्न 11.04 बजे</u>

तत्पश्चात् माननीय सदस्य कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

...(व्यवधान)

13-05-2015

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदया : मैं जानती हूं कि स्थगन प्रस्ताव हैं। हालाँकि ये मामले काफी महत्वपूर्ण हैं, फिर भी ये दिन के कामकाज में रुकावट की गारंटी नहीं देते हैं। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है। वे इसे बाद में उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

13-05-2015

<u>पूर्वाह्न 11.05 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र हैं। श्री जगत प्रकाश नड्डा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने का अनुरोध करता हूं :-

(1) एच.एल.एल. लाइफकेयर लिमिटेड और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 2664/16/15]

(2) एच.एल.एल. बायोटेक लिमिटेड और एच.एल.एल. लाइफकेयर लिमिटेड के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 2665/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी): मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखने के लिए आग्रह करती हूँ।

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) नियम, 2015 जो 27 फरवरी, 2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 126(अ) में प्रकाशित हुए थे।

   [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2666/16/15]

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2014 जो 1 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.एफ. 51-1/2014-

एन.सी.टी.ई. (एन. एंड एस.) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2667/16/15]

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (प्री-प्राइमरी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट विद्यालयों अथवा महाविद्यालयों में शिक्षा अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में भर्ती किए जाने के लिए व्यक्तियों की न्यनूतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 जो 16 दिसंबर, 2014 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.एफ. 62-1/2012/एन.सी.टी.ई. (एन. एंड एस.) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2668/16/15]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री संतोष कुमार गंगवार की ओर से, मैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए वस्त्र मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने की प्रार्थना करता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये, एल.टी. संख्या 2669/16/15]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 की धारा 30क के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 2015 जो 12 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.182 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2670/16/15]

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): मेरी सहकर्मी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से, मैं पटल पर (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति रखने की प्रार्थना करता हूं,

(1) विदेश व्यापार नीति,2015-2020

(2) विदेशी व्यापार नीति, 2015-2020 की प्रक्रियाओं की पुस्तिका,

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2671/16/15]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम ,1956 की धारा 10 के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) का.आ. 3275 (अ) जो 26 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित को प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 नवंबर, 2013 अधिसूचना संख्या का.आ. 3426 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) का.आ.3289 (अ) जो 29 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित को प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.8ई. (भावनगर खंड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(3) का.आ.3035 (अ) जो 1 दिसंबर,2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में प्रस्तावित अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे एन.ई.-1 (अहमदाबाद-वडोदरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(4) का.आ.3293 (अ) जो तिथि 29 दिसंबर,2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में प्रस्तावित वडोदरा-मुम्बई एक्सप्रेसवे (वडोदरा-मुम्बई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(5) का.आ.3295 (अ) जो 29 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई. (भावनगर खण्ड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(6) का.आ.259 (अ) जो 28 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जुनागढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(7) का.आ.121 (अ) जो तिथि 9 जनवरी, 2015 को प्रकाशित हुआ था,जो गुजरात राज्य में (अमेरली खंड) राष्ट्रीय राजमार्ग सं.8ई के भवन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए भूमि के अधिग्रहण के बारे में है।

13-05-2015

(8) का.आ.3218 (अ) जो तिथि 18 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु विशेष भू-अर्जन अधिकारी, राजकोट को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत, किया गया है।

(9) का.आ.2432 (अ) जो 18 दिसंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 फरवरी 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. का.आ. 474 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(10) का.आ.3 (अ) जो 1 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ई (विस्तार) (देवभूमि द्वारका खण्ड का भाग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2672/16/15]

(11) का.आ.3292 (अ) जो 29 दिसंबर,2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में प्रस्तावित वडोदरा-मुम्बई एक्सप्रेसवे (वडोदरा-मुम्बई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(12) का.आ.2849(अ) दिनांक 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 (भावनगर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(13) का.आ.2872(अ) जो 10 नवम्बर,2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में प्रस्तावित वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे (वडोदरा-मुंबई खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2673/16/15]

13-05-2015

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): मैं सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (1) नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2674/16/15 देखें]

(3) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम,1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ख' और 'ग' (रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, टेक्निकल, रेडियो फिटर, ड्राफ्ट्समैन) (अराजपत्रित) पुरुष या महिला रैंक (सिग्नल) भर्ती (संशोधन) नियम,2015 जो 13 मार्च,2015के भारत राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.188(अ) में प्रकाशित हुए थे,की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2675/16/15]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो):मैं वर्ष 2015-2016 के लिए हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2676/16/15]

13-05-2015

पूर्वाह्न 11.12 बजे

जल-संसाधन संबंधी स्थायी समिति
चौथी प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : महोदया, ‘किसानों को बाढ़ से नष्ट हुई उनकी फसलों की हानि के लिए मुआवजा देने और किसानों के खेतों में बची रेत के निपटान के अधिकार सहित देश में बाढ़ प्रबंधन, जलमग्न और अपक्षरित भूमि के लिए मुआवजा और स्वामित्व की स्थिति से संबंधित मुद्दे' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

13-05-2015

<u>पूर्वाह्न 11.13 बजे</u>

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्रालय से संबंधित 'मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि' संबंधी समिति की छठी प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की 81वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[1*]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अरुण जेटली के नाम पर, मैं आपको वित्त मंत्रालय से संबंधित 'मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति की 6[वीं-] प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 81[वें] प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखने के लिए अनुरोध करता हूँ।

[1*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, सं. एलटी 2677/16/15 देखें

13-05-2015

<u>पूर्वाह्न 11.14 बजे</u>

(2) अलप्पुझा में भारतीय खेल प्राधिकरण के स्पेशल एरिया गेम्स वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की चार बालिका प्रशिक्षणार्थियों द्वारा आत्महत्या का प्रयास*

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय महोदया, युवा मामले और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की ओर से, मैं अलप्पुझा में भारतीय खेल प्राधिकरण के स्पेशल एरिया गेम्स वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की चार बालिका प्रशिक्षणार्थियों द्वारा आत्महत्या के प्रयास के संबंध में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।... (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदया, यह गंभीर मुद्दों में से एक है। हमने कल भी यह मुद्दा उठाया था। माननीय मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया है कि वह इस संबंध में एक बयान देंगे। कृपया बयान को पढ़ें।

माननीय अध्यक्षा : आप बयान पढ़ सकते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: यह निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। माननीय मंत्री ने पूरा बयान दिया है और सभी तथ्य यहां उल्लिखित हैं। यदि आपको लगता है कि कुछ अतिरिक्त पूछना है, तो हम निश्चित रूप से आपसे संपर्क कर सकते हैं।

श्री के.सी. वेणुगोपाल: हम बिना पढ़े कैसे जान सकते हैं?

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं यह बयान रख रहा हूँ। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इसे पढ़ सकता हूं। यह केरल का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। अब मैं इसे पढ़ता हूं।

अध्यक्ष महोदया, मेरे सहयोगी श्री सर्बानंद सोनोवाल की ओर से, मैं इस प्रतिष्ठित सभा में भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के इतिहास की सबसे दुखद और चौंकाने वाली घटना पर अलप्पुझा में एस.ए.आई. स्पेशल एरिया गेम्स (एस.ए.जी.) वाटर स्पोर्ट्स सेंटर (डब्ल्यू.एस.सी.) में हुई सबसे दुखद और चौंकाने वाली घटना पर एक स्वत: संज्ञान वक्तव्य पढ़ना चाहता हूं। केरल में 06.05.2015 को चार कैदियों ने *"थालंगा" के*

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखें सं. एलटी 2678/16/15

13-05-2015

रूप में जानी जाने वाली स्थानीय रूप से उपलब्ध जहरीले फल के उपभोग से आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसका वानस्पतिक नाम *सेर्बेरा ओडोलम है।* इस फल को धारण करने वाले पेड़ को आमतौर पर आत्महत्या के पेड़ के रूप में जाना जाता है। लड़कियों को रात 7.15 बजे के आसपास अस्वस्थ पाया गया और उन्हें रात को 9.00 बजे के आसपास अलप्पुझा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक लड़की प्रशिक्षु सुश्री अपर्णा रामंभद्रन, एक 17 वर्षीय जूनियर राष्ट्रीय स्तर की होनहार नाविक ने 07.05.2015 के शुरुआती घंटों में जहर के कारण दम तोड़ दिया, जबकि शेष तीन लड़कियों का अस्पताल की गहन देखभाल इकाई (आई.सी.यू.) में इलाज चल रहा है। नवीनतम अपडेट के अनुसार,12.05.2015 सुबह तक,तीन जीवित लड़कियों की स्वास्थ्य स्थिति में काफी सुधार हुआ है और स्थिर हो गई है।

मामले की जानकारी माननीय मंत्री को सुबह दी गई। उन्होंने एस.ए.आई. के महानिदेशक को मामले की तुरंत जांच करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए एक प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया। डी.जी., एस.ए.आई. लगभग रात को 9.00 बजे कोच्चि पहुंचे और सड़क मार्ग से सीधे अलाप्पुजा सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और लगभग रात को 11.30 बजे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आई.सी.यू. में 3 जीवित प्रशिक्षु छात्राओं से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने लड़कियों के माता-पिता से भी मुलाकात की। एस.ए.आई. के महानिदेशक ने बाद में जिला कलेक्टर से बात की और संकेत दिया कि अगर स्थिति जरूरी हुई तो एस.ए.आई. लड़कियों को एम्स, नई दिल्ली में इलाज के लिए हवाई जहाज से ले जाने को तैयार है।

उनके अनुरोध के आधार पर, एम्स के निदेशक ने लड़कियों के इलाज में आवश्यक सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, कार्डियोलॉजी और इमरजेंसी के प्रमुखों को शामिल करते हुए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया। एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ 08.05.2015 को पूर्वाह्न 10.00 बजे एक टेलीमेडिसिन वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। एम्स के डॉक्टरों की टीम ने अलप्पुझा सरकारी मेडिकल कॉलेज द्वारा अपनाई गई उपचार प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन उपचार प्रबंधन में

13-05-2015

कुछ संशोधनों का सुझाव दिया, जिसका विधिवत पालन किया गया। महानिदेशक, एस.ए.आई. ने एक बार फिर तीन जीवित लड़कियों के माता-पिता से मुलाकात की और विविध खर्चों को पूरा करने के लिए प्रत्येक को रु.25,000/-की वित्तीय सहायता सौंपी। उन्होंने मृत लड़की, सुश्री अपर्णा रामभद्रन के घर का भी दौरा किया और निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने दिवंगत सुश्री अपर्णा रामभद्रन की मां को अनुग्रह धनराशि के रूप में रु.5,00,000 /- (केवल पांच लाख रुपये) का चेक सौंपा। उन्होंने उसे एस.ए.आई. में मल्टी-टास्किंग स्टाफ के रूप में अनुबंध के आधार पर नौकरी की पेशकश भी की।

महानिदेशक, एस.ए.आई. ने अपने छात्रावास परिसर, जो एक किराए की इमारत है, में लड़कियों के साथ बातचीत की और उनसे स्थिति का मजबूती से सामना करने और चल रही जांच में सहयोग करने की अपील की। उसके बाद, उसने उनसे पूछा कि वास्तव में क्या हुआ। उन्होंने एस.ए.आई. केंद्र में रहने वाले प्रशिक्षु बालकों से भी घटना के बारे में पूछताछ की। बातचीत के आधार पर, तत्काल कार्रवाई के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(1) प्रशिक्षुओं को परामर्श देने के लिए मनोविज्ञान परामर्शदाताओं को लगाया जा सकता है ताकि वे भावनात्मक आघात से बाहर आ सकें;

(2) आत्महत्या के प्रयास से बच गई तीन लड़कियों का मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा;

(3) लड़की प्रशिक्षुओं की माताओं को एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक छात्रावास में रहने की अनुमति दी जा सकती है जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है;

(4) जो प्रशिक्षु एक छोटा सा अवकाश लेने के इच्छुक हैं, उन्हें उनके माता-पिता द्वारा घर ले जाने

की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते चल रही जांच के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक न हो;

(5) छात्रावासों का निर्माण प्री-फैब्रिकेटेड तकनीक का उपयोग करके किया जाना चाहिए और सभी निवासियों को कम से कम समय के भीतर एस.ए.आई. केंद्र के परिसर में स्थानांतरित किया जाना चाहिए;

(6) सामान्य स्थिति बहाल होने तक एक सहायक निदेशक अलप्पुझा में तैनात रहेगा।

वर्तमान में कई बाहरी जांचें चल रही हैं, जिनमें पुलिस जांच, जिला प्रशासन द्वारा की गई प्रारंभिक जांच, राज्य खेल सचिव द्वारा जांच, राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जांच आदि शामिल हैं। इसलिए इस संबंध में इस समय कोई विशेष टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हालाँकि, एस.ए.जी. वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, अलप्पुझा में हुई चौंकाने वाली और दुखद घटना एस.ए.आई. प्रशिक्षण प्रणाली को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता की ओर इशारा करती है। महानिदेशक, एस.ए.आई. ने इस उद्देश्य के लिए विस्तृत सुझाव दिए हैं। महानिदेशक, एस.ए.आई. द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं

(1) समूह परामर्श के साथ-साथ व्यक्तिगत परामर्श के उद्देश्य से सभी एस.ए.आई. प्रशिक्षण केंद्रों में परामर्श मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति। यह प्रशिक्षुओं की भावनात्मक भलाई के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है;

(2) योग को सभी एस.ए.आई. केंद्रों में एक अनिवार्य गतिविधि के रूप में पेश किया जा सकता है, क्योंकि इसका एस.ए.आई. प्रशिक्षुओं के समग्र विकास और भावनात्मक कल्याण पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा। इस उद्देश्य के लिए अंशकालिक योग प्रशिक्षकों को लगाया जा सकता है;

(3) प्रशिक्षुओं के लिए खेल मनोविज्ञान पर दो-दिवसीय मॉड्यूल विकसित करने का लक्ष्य, जो उनके लिए बेहद उपयोगी होगा;

(4) हम प्रतिष्ठित खिलाड़ियों से साई केंद्रों को अपनाने और एस.ए.आई. प्रशिक्षु मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। यह न केवल युवा एस.ए.आई. प्रशिक्षुओं को प्रेरित करेगा बल्कि उन्हें अपने रोल मॉडल के गुणों का अनुकरण करने में भी सक्षम बनाएगा;

(5) एक 24x7 हेल्पलाइन एस.ए.आई. प्रशिक्षु संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए शुरू की जा सकती है, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के मामलों का प्रतिवेदन करने के लिए।

(6) राज्य के खेल विभाग के साथ घनिष्ठ तालमेल और समन्वय बनाए रखने के लिए एक मजबूत संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

(7) मौजूदा एस.ए.आई. प्रशिक्षण प्रणाली का अध्ययन करने और खेल और संबंधित बुनियादी ढांचे, उपकरण समर्थन, कोचिंग, खेल विज्ञान (खेल चिकित्सा और खेल मनोविज्ञान सहित), प्रतिस्पर्धा जोखिम, प्रतियोगिता में प्रदर्शन के अवसर, कौशल विकास, प्रबंधन, समग्र प्रशिक्षु विकास, एथलीट शिकायत निवारण, यौन उत्पीड़न विरोधी उपाय और सुरक्षा के क्षेत्रों में इसके और सुधार के लिए आवश्यक सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जा सकती है। समिति प्रत्यक्ष समझ प्राप्त करने के लिए कुछ एस.ए.आई. केन्द्रों का दौरा कर सकती है। समिति दो महीने के भीतर सिफारिशों के साथ अपना प्रतिवेदन सौंप सकती है।

इन सुझावों की जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

मैं केरल सरकार और राज्य के सभी क्षेत्रों के लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने स्थिति से निपटने में हमें पूरी सहायता दी।

धन्यवाद।

13-05-2015

<u>पूर्वाह्न 11.15 बजे</u>

कार्य मंत्रणा समिति की 19वें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा 12 मई, 2015 को सभा को प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 19वें प्रतिवेदन के साथ सहमत हो।"

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 12 मई, 2015 को सभा को प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 19वें प्रतिवेदन के साथ सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य - उपस्थित नहीं।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन के गरौठा में अभी ओलावृष्टि से जो वहां के किसानों के फसलों की तबाही हुई है, उसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा जो चेक बांटे जा रहे हैं, उनमें यह हम लोगों के संज्ञान में लाया गया है कि हमारे जालौन जिले के ग्राम शेखपुर और हदरूख में दो भाइयों के बीच किसी को सात हजार रुपये के चेक दिए जा रहे हैं, तो किसी को अठारह हजार रुपये के चेक दिए जा रहे हैं। वहां लेखपाल अपनी मनमानी के हिसाब से चेक बांट रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे जनपद झांसी में जो गरौठा क्षेत्र है, वहां किसी किसान को चार हजार रुपये के, किसी को छः हजार रुपये के, किसी को सात हजार रुपये के चेक बांटे जा रहे हैं। वहां लेखपाल अपनी मनमानी के हिसाब से चेक बांट रहे हैं।...(*व्यवधान*)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : महोदया, राज्य सरकार अपने स्तर से किसानों को पैसा बांट रही है। केन्द्र सरकार इसके लिए राज्य सरकार को पैसा दे।...(*व्यवधान*)

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: महोदय, अगर उत्तर प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है तो उसे केन्द्र सरकार से पैसा मांगना चाहिए।...(*व्यवधान*) इसका बिना सर्वे कराए लेखपाल अपने मनमाने तरीके से ये चेक बांट रहे हैं।...(व्यवधान) मेरा कहना यह है कि अगर दो भाइयों की जिंस एक हैं तो दोनों को बराबर धनराशि के चेक मिलने चाहिए।...(*व्यवधान*)

महोदया, इसलिए मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि राज्य में जो मशीनरी काम कर रही है, वह बुरी तरह से फेल है और वह मनमाने तरीके से चेक बांट रही हैं।...(*व्यवधान*) मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इसकी विशेष तौर से जांच की जाए और किसानों को जो मुआवज़ा दिया जाना चाहिए, वह प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना चाहिए।...(*व्यवधान*) उत्तर प्रदेश में जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार करके और मनमाने ढंग से चेक दिए जा रहे हैं, उसे बंद किया जाना चाहिए।...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार से इसके लिए पैसा नहीं दिया गया है।...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : मैं इसे बाद में देखूंगी। प्लीज़, को-ऑपरेट करें। बैठिए।

... (*व्यवधान*)

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र मुम्बई साउथ सेंट्रल के देवनार गांव में सौ साल पुराना महालक्ष्मी माता का मन्दिर है, जहां हज़ारों श्रद्धालु पूजा-पाठ करते हैं। प्रत्येक वर्ष यहां पर एक यात्रा भी निकाली जाती है। वर्ष 1960 में इस मन्दिर के आस-पास की भूमि केन्द्र सरकार ने विकास के लिए खरीदी और वहां भूमि आधिग्रहण कर ली। वर्ष 1965 में यहां पर सिर्फ एक टेलीकॉम फैक्ट्री चल रही थी तथा इस ज़मीन का बहुत बड़ा भू-भाग खाली पड़ा है।

देवनार गांव के लोगों ने इस सौ साल पुराने महालक्ष्मी माता मन्दिर के विस्तार और एक मण्डप बनाने के लिए केन्द्र सरकार से 2,902 वर्ग गज भूमि 'देवनार ग्रामस्थ महालक्ष्मी देवालय ट्रस्ट' को ट्रांसफर करने के लिए वर्षों पहले एक ज्ञापन केन्द्र सरकार को दिया था, परन्तु इस प्रस्ताव पर अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि शीघ्र ही देवनार देवालय ट्रस्ट को 2,902 वर्ग गज भूमि ट्रांसफर करे, जिससे इस मन्दिर का पुनरूद्धार और पुनर्निर्माण हो सके।

[अनुवाद]

श्री आर ध्रुवनारायण (चामराजनगर): महोदया, मैं अन्य विकासशील देशों की तुलना में अनुसंधान और विकास में भारत की धीमी प्रगति के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं, जो देश में नवाचार में बाधा डाल रहा है।

यूनेस्को के अनुसार, भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 366 अनुसंधान और विकास कार्मिक हैं। भारत की छोटी संख्या की तुलना में, ब्राज़ील में 1,366 और चीन में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 2,358 कार्मिक हैं। भले ही हम अनुसंधान और विकास पर प्रतिशत खर्च देखते हैं, भारत ने 2014 में अनुसंधान और

विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत खर्च किया था। इसके लिए वैश्विक औसत 1.8 प्रतिशत है। जब हम इसकी तुलना अन्य देशों से करते हैं, तो इजरायल 4.2 प्रतिशत खर्च करता है; चीन दो प्रतिशत खर्च करता है; ब्राज़ील 1.3 प्रतिशत खर्च करता है; और दक्षिण अफ्रीका एक प्रतिशत खर्च करता है। परिणामस्वरूप, भारत नवाचार और पेटेंट दाखिल करने में भी पिछड़ रहा है। जबकि चीन ने 2005-2012 से दो लाख से अधिक पेटेंट दाखिल किए, भारत ने केवल 59,988 दाखिल किए।

इस संबंध में न केवल अनुसंधान और विकास पर निवेश बढ़ाने की बल्कि अनुसंधान संस्थानों के साथ उद्योग और क्षेत्र-विशिष्ट अनुसंधान संबंध स्थापित करने की भी तत्काल आवश्यकता है।

मैं सरकार से इस मुद्दे पर ध्यान देने और कुछ करने का आग्रह करता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री निशिकांत दुबे और श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री आर. ध्रुवनारायण द्वारा उठाए गए मामले से जुड़ने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : महोदया, आजादी के बाद पंजाब के साथ बहुत अन्याय हुआ। यह बहुत लंबी कहानी है। आज मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, जब पंजाब-हरियाणा री-आर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उस फार्मूले के तहत वहाँ इम्प्लाइज और ऑफिसर जो रखने थे, उनका 60-40 के रेश्यो में बंटवारा था। पिछले कुछ दिनों में नया सर्वे आया। वहाँ पाँच परसेंट ही पंजाब के ऑफिसर, इम्प्लाइज रह गए हैं और हरियाणा के भी कम हो गए। एक नया यू.टी. कैडर बना दिया गया।

दूसरा, वहाँ जो पंजाबी लैंग्वेज है, 90 परसेंट लोग पंजाबी बोलते हैं, पढ़ते हैं, जबकि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, पंजाबी को सेकेंड लैंग्वेज भी नहीं बनाया गया।

मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि यह अन्याय पिछले 65 वर्षों से हो रहा है और आज हम आपसे अपेक्षा करते हैं। पहले चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा था, यह पंजाब को ही मिलना चाहिए। दूसरा, कम से कम वहाँ जो ऑफिसर और इम्प्लाइज हैं, वे तो हमारे ही रहने चाहिए।

इसके साथ ही एक दूसरा महत्वपूर्ण इश्यू है। पंजाब के बहुत सारे नौजवान जो इराक में फंसे हुए हैं, उनके परिवार दिल्ली में रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके परिवारजनों की सैटिस्फैक्शन के लिए उनकी जो असली पोजीशन है, रिएल फैक्ट्स हैं, वे उनके परिवारों को दिए जाएं ताकि परिवार सैटिस्फाई हो पाएं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदया: श्री एम.बी. राजेश- वो यहां उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान नए रोजगार के सृजन की ओर दिलाना चाहता हूँ। हालांकि यह बात बिल्कुल सही है कि हमारी नई सरकार ने नए रोजगार के सृजन के लिए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया तथा मुद्रा बैंक जैसे कई कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा मैन पावर हमारे देश में है। इन हाथों में ऐसी कारीगरी है जो सुई से लेकर जहाज तक बनाते रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इस शक्ति का सही उपयोग नहीं किया। लिहाजा युवाओं में एक तरफ निराशा बढ़ी है, दूसरी तरफ हर जरूरत का सामान हमारे पड़ोसी देश चीन से आने लगा और जो हमारे देशी पूंजी निवेशक थे, उनमें भी निराशा आ गई।

इन्हीं कारणों से आज देश में भयंकर बेरोजगारी पैदा हो गई है। हालांकि यह बात सही है कि हमारी नई सरकार ने इस दिशा में बहुत कारगर नए उपाय शुरू किए हैं और उसका परिणाम भी अब देखने को मिलने लगा है। मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि चीन तथा अन्य पड़ोसी देशों की हमारे यहाँ आम जरूरत की जो वस्तुएं बाजार में बिक रही हैं, उन पर रोक लगाकर उन सारी वस्तुओं का देश में निर्माण कराया जाए। इससे जहाँ एक ओर नए रोजगार पैदा होंगे, वहीं दूसरी तरफ देशी पूंजी निवेशकों को भी अवसर मिलेगा और मेड इन इंडिया बनाने में बल मिलेगा। धन्यवाद।

13-05-2015

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी, श्री निशिकान्त दुबे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदया: श्री जनार्दन मिश्र - वह यहां उपस्थित नहीं।

श्री एस.आर.विजय कुमार - वह उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : महोदया, मैं आज थोड़ा सा व्यथित हूँ। मुंबई शहर की रचना आप जानती हैं कि दक्षिण की तरफ वह बहुत ही नैरो बैन्डिड होती जाती है। मुंबई में यातायात की इतनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं कि पूछिए मत। वहां गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। चुनाव के पूर्व हम लोगों ने जनता को वचन दिया था कि हम वहाँ कोस्टल रोड बनाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मुंबई महानगरपालिका ने इस कोस्टल रोड का खर्चा करने की जिम्मेदारी ली। मुंबई महानगरपालिका ने कहा है कि यह सारा खर्चा हम उठायेंगे। वर्ष 2010 में यह सरकार थी, तब यह प्रस्ताव दिया, राज्य की सरकार ने उसकी सिफारिश की, उसके बाद भी हमारी सरकार आने के बाद, पिछले एक वर्ष से प्रस्ताव आपके पास पड़ा है। अपने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक छोटी-सी शिथिलता की आवश्यकता थी। खासकर, सी.आर.जेड. का जो कानून है, उसमें थोड़ी-सी शिथिलता लाने की आवश्यकता थी, उसके कारण यह प्रस्ताव अभी भी रुका हुआ है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि सी.आर.जेड. जोन की जो थोड़ी-सी शिथिलता लानी है, जो रिलैक्सैशन लाना है, वह जल्द से जल्द लायें। मुंबई की जनता परेशान है, वहां की समस्याओं से और गाड़ियों की ट्रैफिक जाम से उनको राहत दिला दें। मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना सरकार से करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदया: श्री राहुल शेवाले, श्रीरंग अप्पा बार्ने और पूनम महाजन को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

13-05-2015

डॉ. उदित राज- उपस्थित नहीं। अब, श्री ई.अहमद।

श्री ई. अहमद (मलप्पुरम): महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं, जो दक्षिण भारत के कई लोगों को प्रभावित करता है। मामला करीप्पुर एयरपोर्ट का है, जिसे कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के तहत आय के मामले में यह पांचवां हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा दुबई, अबू धाबी, शारजाह, दोहा, जेद्दा, रियाद, दम्मम, कुवैत आदि गंतव्यों के लिए विदेशी यात्रियों और मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोयम्बटूर और कोच्चि के लिए घरेलू कनेक्शन प्रदान करता है। भारत और एयर इंडिया के हवाई अड्डे के प्राधिकरण के लिए हवाई अड्डे की कमाई इस हवाई अड्डे के महत्व को दर्शाती है।

अब तक, हवाई अड्डा एयरबस 320 सहित अन्य सभी छोटे विमानों के अलावा बोइंग 747 जंबो विमानों और 777 - 200 और 300 श्रृंखला का संचालन कर रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को विमानपत्तन की री-कारपेटिंग और सुदृढ़ीकरण बहुत पहले ही करना चाहिए था। लेकिन, दुर्भाग्यवश, अचानक, उन्होंने पाया कि इस विमानपत्तन को बड़े विमानों जैसे बोइंग 777 या 747 के लिए प्रचालनात्मक नहीं बनाया जा सकता है। । इस हवाई अड्डे का उपयोग हज संचालन के लिए किया जाता है। इसके अलावा, सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में इस हवाई अड्डे का उपयोग रियाद, जेद्दा और दम्मम की यात्रा के लिए करते हैं।

अब, भारत के हवाई अड्डे के प्राधिकरण को पता चलता है कि तकनीकी कारणों से इस हवाई अड्डे को चालू नहीं किया जा सकता है। एक ऐसा महत्वपूर्ण हवाई अड्डा, जिसने राष्ट्र के लिए कमाई की, बहुत पहले ध्यान में रखा जाना चाहिए था। लेकिन भारत का हवाई अड्डा प्राधिकरण कालीकट हवाई अड्डे के मामले में लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। हो सकता है कि हज संचालन को कालीकट से बदल दिया गया हो।

इससे भी ज्यादा, हवाई अड्डे को री-कारपेटिंग या सुदृढ़ करने के नाम पर, कई महीनों से हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन बंद है। यह वास्तव में बड़ी कठिनाइयों और कठिनाइयों का कारण बन रहा है।

वैसे भी, मैं सरकार से केवल यह आग्रह करूंगा कि हवाई अड्डे की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण को पूरा किया जाए और इसे जल्द से जल्द चालू किया जाए। इसके कारण केरल के हज यात्रियों को भी बहुत असुविधा हो रही है। एयर इंडिया के साथ-साथ सऊदी एयरलाइंस और अमीरात जैसी अन्य विदेशी एयरलाइंस कालीकट हवाई अड्डे से परिचालन कर रही हैं। लेकिन भारत के हवाई अड्डे के प्राधिकरण ने सुरक्षा कारणों से बोइंग 777 और 747 जंबो विमानों के संचालन को पूरी तरह से रोक दिया है।

इस संबंध में, नागरिक उड्डयन महानिदेशक के माध्यम से भारत सरकार को एयर इंडिया के साथ-साथ सऊदी एयरलाइंस, अमीरात एयरलाइंस और कतर एयरवेज जैसी विदेशी एयरलाइंस से यदि जंबो और 777 विमान नहीं हैं तो एयरबस 333 सीरीज और अन्य जैसे छोटे विमानों का संचालन करने के लिए संपर्क करना चाहिए - -कालीकट हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके। एयर इंडिया को कोचीन और कालीकट के बीच छोटे विमानों के साथ शटल सेवा शुरू करने के लिए भी कदम उठाना चाहिए।… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष महोदया: कृपया अहमद जी अपनी बात समाप्त करें। आप पहले ही दो पृष्ठ पढ़ चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद: महोदया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ छोटे विमानों के माध्यम से कालीकट को कोचीन से जोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए। … (*व्यवधान*) भारत के हवाई अड्डे के प्राधिकरण को लोगों की मदद के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए क्योंकि कालीकट दिल्ली से बहुत दूर है। ...(*व्यवधान*) क्या वे इसे नहीं देख पा रहे है? इसीलिए, मैं यह पूछ रहा हूं. आपको भारत को समग्र रूप से देखना चाहिए। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह सब ठीक है। कृपया बैठ जाइए।

अब, प्रो. सौगत राय।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अहमद जी, आपने पूरा कर दिया है। आपने अपने मुद्दे को बहुत अच्छे ढंग से उठाया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया: कोई भी इसके लिए ना नहीं कह रहा है।

सौगत राय जी, कृपया अपना मुद्दा उठाएं।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं बस उनका भाषण समाप्त होने का इंतजार कर रहा हूं।' … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष महोदया: उन्होंने अपना मुद्दा उठाया है। वह पहले ही दो पृष्ठ पढ़ चुके हैं। उनके पास पर्याप्त समय है।

...(व्यवधान)

श्री ई.अहमद: मैने अपने 25 वर्षों के संसदीय करियर में, पहले ऐसा अनुरोध नहीं किया था। … (*व्यवधान*) कालीकट हवाई अड्डे पर परिचालन रोक दिया गया है। … (*व्यवधान*) हज ऑपरेशन को कालीकट से स्थानांतरित किया जाना चाहिए। … (*व्यवधान*) इस सदन के अलावा हम किसके पास जाएं? यह वह सभा है जहां हम आ सकते हैं। … (*व्यवधान*) आप इतने बड़े दिल वाले अध्यक्षा हैं। … (*व्यवधान*) इसलिए, मैं आपसे सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करूंगा।… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्षा: श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, एम.आई. शनावास, एम.के. राघवन, एम.बी. राजेश, पी.के. बीजू, ए. संपत, सी.एन. जयदेवन, वकील जॉयस जॉर्ज और कुमारी शोभा करंदलाजे को श्री ई. अहमद द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

प्रो. सौगत राय: महोदया, मैं एक मुद्दा उठा रहा हूँ, जिसे मैंने पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग के संबंध में उठाया था। यह मुद्दा मेरे सहकर्मी श्री दिनेश त्रिवेदी, जिनका चुनावी क्षेत्र में 22 जूट मिल हैं; श्री कल्याण बनर्जी, जिनके चुनावी क्षेत्र में कई जूट मिल हैं, और डॉ. रत्ना डे (नाग) को प्रभावित करता है। जूट मुर्शिदाबाद, नादिया और रायगंज तक अन्य सभी भागों में उगाया जाता है। बिहार में भी यह पूर्णिया, सुपौल और राज्य के कई अन्य हिस्सों में उगाया जाता है। तो, यह एक बड़ी समस्या है।

13-05-2015

पिछले दो वर्षों में, जूट उद्योग एक अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। इससे राज्य की कुल 56 मिलों में से लगभग 25 प्रतिशत मिलें बंद हो गई हैं और लगभग एक लाख कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। कल भी, श्यामनगर में बुनकर जूट मिल और नैहाटी में नादिया जूट मिल बंद हो गई, पिछले 11 दिनों में 11 जूट मिलें बंद हो गईं। अनिश्चितता के कारण लगभग 40 लाख किसान परिवारों की आजीविका खतरे में है।

इस बीच, बांग्लादेशी जूट उद्योग ने पिछले सात वर्षों में अपना आकार दोगुना कर लिया है और जूट उत्पादों को प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है। इस अस्थिर स्थिति का मुख्य कारण केंद्र सरकार के कुछ कदम हैं जैसे: 1) अनिवार्य पैकेजिंग अधिनियम का कमजोर कर दिया जाना - श्री राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित - जिसमें चीनी और खाद्यान्न के 100 प्रतिशत आरक्षण को कम किया गया - चीनी के लिए 20 प्रतिशत और खाद्यान्न के लिए 90 प्रतिशत - प्लास्टिक उद्योग के मजबूत प्रभाव के कारण; 2) चीनी उद्योग और खरीद एजेंसियों द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने की लगातार कोशिशें: (क) अनिवार्य आवश्यकताओं के बावजूद बैग की खरीदारी में अक्षमता, (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से जूट बैग को बाहर रखने की कोशिश, (ग) स्थापित नियमों और प्रणाली के उल्लंघन में अस्थिर जूट बैग की आवश्यकता; 3) अनाज सुरक्षा के गंभीर अवस्था के कारण गैर-सरकारी बाजार का अपघात - बांग्लादेश से भारत में भारी आयात की मदद से (क) आयात पर शून्य शुल्क और (ख) बांग्लादेश सरकार द्वारा 10 प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन;4) जूलाई से जून तक औसतन 2013 में 26.8 लाख गांठें वार्षिक खरीद की गई थी, 2013-14 में 20.3 लाख गांठें और 2014 -15 में 19.9 लाख गांठें (जुलाई से मई तक) खरीदी गई; 5) मांग की कमी ने कई मिलों को उत्पादन कम करने पर मजबूर किया है जिससे श्रमिक मुद्दों को बढ़ावा मिला है, हिंसा और बंद होने की स्थिति को गंभीर बना दिया।

सिकुड़ते बाजार और भविष्य के बारे में अतिरिक्त अनिश्चितता को देखते हुए, जूट उद्योग गिरावट के दौर से गुजर रहा है। आधुनिकीकरण और उत्पाद विविधीकरण में निवेश 2012-13 के बाद से बंद हो गया है। श्रमिकों के बीच बेरोजगारी कौशल की कमी पैदा कर रही है जबकि बाजार पर अनिश्चितता जूट किसानों को लंबे वर्षों में विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने से हतोत्साहित कर रही है।

एक विस्तारित समय अवधि के लिए स्थिर आदेशों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा एक मजबूत समर्थन और सस्ते आयात से सुरक्षा की आवश्यकता है। इससे उद्योग के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप सस्ते और अधिक कुशल जूट बैग, पैकेजिंग से परे उपभोक्ता बैग, जियोटेक्सटाइल आदि जैसे नए क्षेत्रों में बाजार में उपस्थिति बढ़ाने के लिए उत्पादों का विविधीकरण होगा। जूट जैसा पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ उत्पाद, नदी प्रदूषण, पेट्रोकेमिकल्स की कमी, लैंडफिल ओवरलोड जैसी कई राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में मदद करेगा।

महोदया, मैंने इसे पिछले सप्ताह भी उठाया था। मंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। मैं पिछले तीन दिनों से मंत्री श्री गंगवार की तलाश कर रहा हूं। वह कहीं दिखाई नहीं देते । क्या उसकी कोई प्रतिक्रिया होगी? या फिर एक के बाद एक मिलें बंद होती जाएंगी? वह बरेली से है। बरेली में कोई जूट मिल या कपड़ा मिल नहीं हैं। उसे कोई परवाह नहीं है। उद्योग बंद हो रहे हैं, जिससे लाखों किसानों और श्रमिकों का जीवन खतरे में पड़ गया है। जूट उद्योग में इस बड़े संकट का सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। सरकार मौन है। यह बहुत अजीब है कि सरकार लोगों की परेशानियों और दुखों पर इस तरह प्रतिक्रिया दे रही है!

धन्यवाद। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष महोदया: श्री अभिजीत मुखर्जी, श्री निशिकांत दुबे, डॉ रत्ना दे (नाग) और श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया: श्री एंटो एन्टोनी। वे वहां नहीं हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. ए. संपत।

...(व्यवधान)

डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल): माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने एक योजना - सांसद आदर्श ग्राम योजना - घोषित की है और संसद सदस्यों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एक गांव गोद लेने का अनुरोध किया

है। इसके बाद मीडिया ने भी हर सदस्य से प्रश्न पूछा कि उन्होंने कौन सा गांव गोद लिया है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सात विधानसभा क्षेत्रों और 52 ग्राम पंचायतों में से एक गाँव को गोद लिया, जिसकी कुल आबादी 1.5 मिलियन से अधिक है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन नगर निगम और 52 ग्राम पंचायतें हैं।

मैंने अंचुथेंगु नामक एक गाँव को गोद लिया जिसे अंजेंगो भी कहा जाता है, जो पूरे देश में अंग्रेजों की पहली सबसे पुरानी बस्ती है। वर्ष 1721 में, ब्रिटिश उपनिवेशों के विरुद्ध लोगों का पहला विद्रोह अंजेंगो और अट्टिंगल में हुआ। उस ग्राम पंचायत के पास बहुत सीमित संसाधन हैं। इसकी कुल जनसंख्या 25,000 है और लगभग 3.26 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है।

जिला कलेक्टर की मदद से, मैंने सभी केंद्र सरकार के अधिकारियों, सरकारी एजेंसियों के प्रमुखों और राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों को भी आमंत्रित किया। हमने गांव में ही बैठक की।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे सहायता का अनुरोध करता हूं। मैंने अन्य माननीय सदस्यों की तरह एक गाँव गोद लिया है। बच्चों को गोद लेने की तरह, जिन बच्चों को हम गोद लेते हैं, अगर वे अनाथ हो जाएं तो उनका क्या होगा? हमें सरकारी एजेंसियों और सरकारी विभागों, विशेषकर भारत सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केंद्र सरकार की एजेंसियों से सहायता और समन्वय नहीं मिलता है। मेरा ऐसा अनुभव रहा है।

महोदया, आप मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आपका दिल भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा होगा क्योंकि यह मामला आपसे भी जुड़ा है। महोदया, इस पर कोई राजनीति नहीं है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्षा: मैं हमेशा मुस्कुराते हुए आप सभी को सुनने का प्रयास कर रही हूं।

...(व्यवधान)

डॉ. ए. संपत: माननीय अध्यक्ष महोदया, आप सांसदों की दया को समझती हैं। हमने पहले ही एक गाँव गोद ले लिया है; हमारे पास धन नहीं है; एम.पी.एल.ए.डी. फंड नहीं बढ़ाया गया; एस.ए.जी.वाई. के लिए कोई अलग फंड नहीं है; और लोग हमारे पास आ रहे हैं। उनके पास सपने हैं। अगर उनके सपने टूट जाते हैं तो हम क्या

कर सकते हैं? यह भूकंप की तरह ही जनहानि होगी। मुझे नहीं पता कि अगर सांसद अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो उनका क्या होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं।

इसलिए, मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकारी अधिकारियों की ओर से यह पूरे सदन का अपमान है, और यह माननीय प्रधान मंत्री का भी अनादर है। इसलिए, मैं सभी सांसदों की ओर से आपसे विनती करता हूं कि एस.ए.जी.वाई. योजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। समन्वय की कमी है। सरकारी एजेंसियों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के बीच अधिक समन्वित प्रयास होने चाहिए। हम सी.एस.आर. के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि यह उन वादों को पूरा करने के लिए है जो हमने लोगों से किए हैं। हम उससे बंधे हैं क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री ने उस योजना की घोषणा की है। इसलिए, मुझे आशा है कि आप मंत्रियों के माध्यम से संबंधित सरकारी अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद, महोदया।

माननीय अध्यक्ष महोदया: श्री पी.के. बीजू, श्री एम.बी. राजेश, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सी.एन. जयदेवन, श्री पी.पी. चौधरी और वकील जॉइस जॉर्ज को डॉ. ए. संपत द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी गई है।

13-05-2015

<u>पूर्वाह्न 11.41 बजे</u>

<u>सदस्यों द्वारा निवेदन</u>

(एक) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के साथ किए गए शोषण के बारे में निवेदन

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायप्रश्न (पश्चिम चम्पारण) : अध्यक्ष महोदया, आज 'इंडियन एक्सप्रैस' के पृष्ठ नम्बर पांच पर एक खबर छपी है कि स्कूलों में बच्चों का शोषण किया जाता है। उसमें नाइंथ क्लास की बच्चियों का एक आर्टिकल भी निकला है। पिछले सप्ताह माननीय एच.आर.डी. मंत्री जी ने एक प्रश्न का जवाब देते समय कहा था कि स्कूल एक नॉन प्रॉफिट आर्गेनाइजेशन है और हम उसमें पैसा कमाने के लिए एलाऊ नहीं कर सकते। उसके साथ उनका यह भी जवाब था कि एफ.डी.आई. में हम हन्डर्ड परसेंट इन्वाइट करते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, तो फिर एफडीआई क्यों आयेगी? सही स्थिति यह है कि आज के जमाने में अगर सबसे सेफ धंधा कोई माना जाता है, मैं इसे धंधा बोलूंगा, तो वह प्राइवेट स्कूल खोलना है। उसमें भी डी.पी.एस. आर्गेनाइजेशन है, वह इस बिजनेस का सबसे टॉप आर्गेनाइजेशन है। अगर आपको पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी एक भी डी.पी.एस. का लाइसेंस मिल गया, तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी तीन जनरेशन तर जायेगी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान डी.पी.एस, पटना की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैंने माननीय मंत्री जी को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी है। वहां बच्चों को जानबूझकर नाइंथ क्लास और ग्यारहवीं क्लास में फेल किया जाता है। वे रिजल्ट में पास हैं, लेकिन उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता। डी.पी.एस, पटना के 30 बच्चे साइकिएट्रिक काउंसलिंग में चले गये और दो बच्चियां सूसाइडल टैंडेंसी में चली गयीं। उन सबके लिए ये स्कूल्स पैसे कमाने के धंधे हो गये हैं। यह अब समाज सेवा का धंधा नहीं है। आजकल अंगूठा छाप स्कूल खोलते हैं और सोसायटी चला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया, मेरा अनुरोध है कि सी.बी.एस.ई. स्कूल्स की जो भी गाइडलाइन्स हैं, उसके तहत बच्चों को कापी देखने का मौका दिया जाये। किसी भी प्राइवेट स्कूल में जिन बच्चों को फेल किया जाता है,

उन्हें कापियां तक नहीं दिखायी जातीं। उन्हें कापियां देखने का हक होना चाहिए। अगर वे बच्चे पास हैं, उसके बावजूद भी स्कूल प्रमोट नहीं करता है। यहां माननीय मंत्री जी बैठी हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि वे इस तरह के स्कूलों पर सख्त से सख्त से कार्रवाई करें। मैं स्पेसीफिक डी.पी.एस, पटना का नाम ले रहा हूं। वहां 30 बच्चियों को फेल किया गया। सब बच्चियों को स्कूल छोड़ना पड़ा। आखिर उन सबके करियर के लिए कौन जिम्मेदार है?

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस इश्यू को बहुत सीरियसली लिया जाये। एक तरफ हम बच्चों को कहते हैं कि टेंडर हैं, हर तरह का सपोर्ट देना चाहिए और दूसरी तरफ स्कूल ब्लैकमेलिंग करके ग्राजियन्स से ज्यादा पैसा वसूलने के लिए बच्चों को फेल कराते हैं, फिर डोनेशन लेते हैं और पास कराते हैं। इस धंधे को बंद करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी) : अध्यक्ष महोदया, आदरणीय महोदय ने जो विषय उठाया है और विशेषतः एक स्कूल का नाम लिया है, मेरे मंत्रालय की ओर से मेरा प्रयास रहेगा कि इस विषय में सी.बी.एस.ई. के अन्तर्गत एक जांच जरूर करवाएं। इन्होंने जो सुझाव दिये हैं, उन सुझावों पर भी हम लोग निश्चित रूप से ध्यान देंगे।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. वीरेन्द्र कुमार, श्री पी.पी. चौधरी, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री निशिकान्त दुबे, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री गणेश सिंह और कुमारी शोभा कारान्दलाजे को डॉ. संजय जायप्रश्न द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भरत सिंह (बलिया) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे लोक सभा संसदीय क्षेत्र बलिया की महत्वपूर्ण समस्या के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बक्सर ऐतिहासिक स्थान है। यहां पुल है जो उत्तर पूर्वांचल और बिहार को जोड़ता है। इस पुल पर प्रतिदिन हजारों ट्रक आते-जाते हैं। इस पर भारी वाहन चलते हैं। लगभग एक वर्ष से ट्रकों का आना-जाना बंद है क्योंकि यह पुल जर्जर हो गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं उनसे इस संबंध

में पहले भी मिल चुका हूं। पुल के न बनने और बाधित होने की वजह से बलिया और गाजीपुर जनपद में बालू और अन्य चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। इस कारण भवन निर्माण की कीमत डेढ़ गुना बढ़ गई है। इस पुल को जनहित में तत्काल चालू कराना बहुत जरूरी हो गया है।

मेरा निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इस पुल को तुरंत व्यवस्थित किया जाए। मेरा निवेदन है कि कम से कम इस पर मंत्री जी की तरफ से जवाब आ जाए। इस पुल को तुरंत चालू कराया जाए जिससे लोगों की समस्या का निराकरण हो सके।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): माननीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार को राज्य के बृहनमुम्बई में स्टॉर्म वाटर डिसपोजल सिस्टम हेतु प्रस्ताव भेजा गया था जो ग्रेटर मुम्बई से संबंधित है। केंद्र सरकार ने एम.सी.जी.एम. को 1200 करोड़ रुपए की निधि रिलीज की है। इससे संबंधित यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट केंद्र सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अग्रेषित की गई संशोधित प्रकल्प धनराशि शहरी विकास मंत्रालय से राज्य सरकार को शीघ्र रिलीज कराने का कष्ट करें।

मुम्बई महानगर पालिका ने आशिया खंड में सबसे बड़ा सीवेज एंड डिसपोजल सिस्टम डैवलप किया है। आने वाले दिनों में दुनिया के सामने उदाहरण पेश करने का केंद्र और राज्य सरकार को बृहनमुम्बई महानगर पालिका के पीछे डट कर खड़े रहना चाहिए। राज्य सरकार को जितने धन की आवश्यकता है, उसे केंद्र सरकार को देना चाहिए। अगर इसे समय पर देने का प्रयास किया होता तो मुम्बई महानगर पालिका अपने बलबूते पर आने वाले दिनों में दुनिया के सामने एक बड़ा उदाहरण पेश कर सकती थी क्योंकि मुम्बई महानगर पालिका में इतनी ताकत है। मैं निवेदन करता हूं केंद्र और राज्य सरकार मुम्बई महानगर पालिका की मदद करे।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदया: श्री राम मोहन नायडू किंजरापु - उपस्थित नहीं।

श्री अशोक महादेवराव नेते – उपस्थित नहीं हैं।

13-05-2015

[हिन्दी]

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं भारत में आए बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों के विषय को सदन में उठाना चाहता हूं। मैं देश की चर्चा करने से पहले अपने लोक सभा क्षेत्र की चर्चा करूंगा। यहां बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी संख्या में कुछ राजनैतिक दलों के नेताओं के संरक्षण के कारण जगह-जगह आकर बस गए हैं। इनका न तो इतिहास पता है और न भूगोल पता है लेकिन इनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है। इनके राशन कार्ड बन जाते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने और राशन कार्ड बन जाने के बाद तमाम सरकारी सुविधाएं, जिनके वे हकदार नहीं हैं लेकिन इनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जबकि देश के गरीबों को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। मेरे पास जो आंकड़े हैं, उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल की 53, असम की 40 और लगभग बिहार की 30 विधानसभा सीट और भी ऐसे बहुत से विधानसभा क्षेत्र हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की भारी संख्या में उपस्थिति के कारण निर्णायक भूमिका में आ गए हैं। यह राष्ट्रीय समस्या है। यह विषय लगातार संसद में उठता रहा है। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों की पहचान का काम बहुत दिनों से अधूरा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इनकी पहचान कराने का काम किया जाए। चाहे बिहार, पश्चिम बंगाल, असम का चुनाव हो, आने वाले समय में चुनाव से पहले घुसपैठियों की पहचान कराकर कम से कम मतदाता सूची से उनका नाम काटा जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करना चाहता हूं कि देश में राजनैतिक दल या नेता, जो घुसपैठियों को मतदाता या निवासी बनाकर वोट के लालच में गड़बड़ी करने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। ...(*व्यवधान*) जिसमें कम से कम आजीवन कारावास हो।...(*व्यवधान*)

मैं यह बात इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि मेरे भी लोक सभा क्षेत्र में कम से कम 40000 की संख्या में बंगलादेशी घुसपैठी मतदाता हैं और चाहे मुम्बई हो या दिल्ली हो, चाहे कोलकाता हो, पूरे देश के अंदर बंगलादेशी घुसपैठी पहुंच चुके हैं। मैं इन घुसपैठियों को निकालने की मांग करता हूं। वहां जो चुनाव अभी आने

वाले हैं, चुनाव से पूर्व मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनका मतदाता सूची से नाम कटवाकर इनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, उन पर रोक लगाई जाए और जो राजनीतिक दल का नेता या कार्यकर्ता इसके लिए दोषी पाया जाए, उसके लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए, ऐसी मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्रीमती पूनम महाजन, कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री गणेश सिंह, डा. संजय जायप्रश्न, डा. वीरेन्द्र कुमार, श्री निशिकांत दुबे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं श्री पी.पी.चौधरी को श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़): महोदया, 'शून्यकाल' के दौरान मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कोचीन शहर को अरबी समुद्र की रानी के रूप में जाना जाता है। यदि कोचीन शहर अरब शहर की रानी है, तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उस रानी के गले का रत्न है।

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सी.आई.ए.एल.) को अद्भुत और सबसे आधुनिक बुनियादी ढांचा सुविधाएं मिली हैं। यह एन.आर.आई. द्वारा प्रचारित सबसे अच्छा और सबसे अधिक लागत प्रभावी मॉडल है। इस हवाई अड्डे के मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से सराहा गया है।

यह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 202 देशों से जुड़ा हुआ है। यह अंतरराष्ट्रीय यात्री मात्रा के मामले में चौथे स्थान पर है और कुल यात्री मात्रा के मामले में सातवें स्थान पर है। इसने हाल के वर्षों में 13 प्रतिशत की शानदार वृद्धि हासिल की है। नागरिक उड्डयन पर संसदीय स्थायी समिति पहले ही सिफारिश कर चुकी है कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को 'हब' का दर्जा दिया जाना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृपया संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को स्वीकार करके कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह 'हब' का दर्जा दिया जाए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

13-05-2015

माननीय अध्यक्ष महोदया: श्री पी.के. बीजू, डॉ. ए. संपत, वकील जॉइस जॉर्ज और श्री सी.एन. जयदेवन को श्री एम.बी. राजेश द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी गई है।

श्री एस.आर. विजय कुमार (चेन्नई केन्द्रीय): माननीय अध्यक्ष महोदया, हालांकि भारत सरकार जरूरतमंद और गरीब छात्रों को ब्याज सब्सिडी के साथ शिक्षा ऋण सहायता प्रदान करने में रुचि रखती है, फिर भी वास्तव में, बैंक इस योजना को सफल बनाने में पहल नहीं करते हैं। यद्यपि ब्याज सब्सिडी योजना अधिस्थगन अवधि के दौरान छात्रों को लगाए गए ब्याज की पूरी प्रतिपूर्ति प्रदान करती है, फिर भी छात्रों को देय ब्याज का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही मिलता है। बैंक छात्रों को बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके अलावा, शिक्षा ऋण पर बैंकों द्वारा ली जाने वाली दर इतनी अधिक है कि योजना का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा ऋण सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार बैंकों द्वारा दिए गए शिक्षा ऋणों को फिर से वित्तपोषित करने के लिए एक नया संस्थान बना सकती है। यह नया संस्थान आई.डी.बी.आई., नाबार्ड और एस.आई.डी.बी.आई. की तर्ज पर हो सकता है। नया संस्थान कम ब्याज पर अंतरराष्ट्रीय फंडिंग प्राप्त कर सकता है और फिर कम ब्याज पर उनके द्वारा वितरित शिक्षा ऋण के आधार पर बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान कर सकता है। इससे छात्रों की ब्याज दर में कमी आएगी। इससे बैंकों को शिक्षा ऋण लाभार्थियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदया: श्री निशिकांत दुबे को श्री एस.आर. विजया कुमार द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान जम्मू कश्मीर के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में लगभग दो लाख रिक्रूटमेंट हुई हैं जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो नहीं की गई है। मंडल कमीशन के तहत 27 प्रतिशत रिजर्वेशन ओ.बी.सी. को दिया गया है लेकिन जम्मू और कश्मीर में अभी तक केवल दो प्रतिशत रिजर्वेशन ही लागू किया

गया है। वहां पर जो दो ट्राईबल्स सिप्पी और गद्दी हैं,एक हिन्दू और एक मुसलमान हैं,उनका रिजर्वेशन इसलिए डाइल्यूट हो रहा है कि जो पहाड़ी ट्राईब्स हैं, वे अच्छे कार्य करने वाले हैं उनको इसमें शामिल किया जा रहा है और अनुसूचित जाति के तमाम पदों को खत्म किया जा रहा है। पहले एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तमाम भर्तियां हुई थीं जिसमें रिजर्वेशन फॉलो नहीं हुआ। जब वे पांच साल पूरा कर चुके हैं या जो अनुभव उनको गेन करना चाहिए, वह गेन करने के बाद जब उनको रेगुरेलाइज करने की बात की जा रही है तो उसमें रिजर्वेशन फोलो नहीं हो रहा है। उसमें से आर.ई.टी. विभाग है, आर.ई.जैड. विभाग, एसपीओ विभाग, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पी.डी.डी.एच.ई.ए. इत्यादि ये तमाम सारे विभाग हैं, जहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जा रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वहां की सरकार को सम्वेदित किया जाए कि वहां उनका रिजर्वेशन फॉलो किया जाए।

मैं एक और कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के चीफ इंजीनियर हैं। ...* केवल मुख्य अभियंता ही इंजीनियर-इन-चीफ होने के लिए फिट होते हैं और उन्हें अपने हक से वंचित किया जा रहा है। मैं अपने दोस्त डॉ. जायप्रश्न जी का समर्थन करना चाहता हूं। घर जाने के समय डर लगता है कि वहां अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए घेर लेंगे। हर प्राइवेट स्कूल में चार लाख रुपए, पांच लाख रुपए, दस लाख रुपए डोनेशन मांगते हैं। हमें घर जाने में डर लगता है कि अभिभावक अपने बच्चों की एडमिशन के लिए हमें घेर लेंगे।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान) ... *

[हिन्दी]

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

13-05-2015

माननीय अध्यक्ष : श्री विरेन्द्र कश्यप, श्री पी.[हिन्दी] पी. चौधरी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उन अनिवासी भारतीयों के लिए एक व्यापक पुनर्वास पैकेज पेश करे जो विदेशों में अपना रोजगार खोने के बाद देश में वापस आ रहे हैं।

जैसा कि हम जानते हैं,खाड़ी देश 1970 के दशक से हमारे नागरिकों के लिए विदेशी रोज़गार के प्रमुख गंतव्य रहे हैं। लेकिन निताकत जैसी नीतियों और खाड़ी देशों में सामाजिक-राजनीतिक अशांति के बाद से परिदृश्य बदल रहा है। इन्हीं कारणों से खाड़ी देशों में रोज़गार के अवसर कम हो रहे हैं। मैं एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां एन.आर.आई. की महत्वपूर्ण उपस्थिति है, और मैं उनकी शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। विदेश में रोजगार पाने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को इसके लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस रकम का इंतजाम करने के लिए ज्यादातर मामलों में एन.आर.आई. लोन पर निर्भर रहते हैं। इसलिए, विदेशी रोजगार खोने का मतलब है कि एन.आर.आई. आजीवन ऋण जाल में फंस गए हैं।

अधिकांश एन.आर.आई. कुशल श्रमिक हैं और यदि उनकी विशेषज्ञता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है तो यह भारत के लिए फायदेमंद होगी। यदि सरकार एन.आर.आई. के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना सहित एक व्यापक पुनर्वास पैकेज पेश कर सकती है, तो यह उनके और हमारे देश के लिए समान रूप से फायदेमंद होगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदया: श्री पी.के. बीजू और वकील जॉइस जॉर्ज को श्री एंटो एन्टोनी द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी गई है।

13-05-2015

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): अध्यक्ष जी, विगत दिनों जो दैवीय आपदा विभिन्न प्रकार से आई, उसके कारण किसानों का बहुत नुकसान हुआ था। इसके अलावा एक नई परेशानी बरसात से पीड़ित किसानों को झेलनी पड़ रही है। पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता का चैक राजस्व के अभिलेख के अनुसार जिसमें जाति और उपजाति दर्ज नहीं होती है, दिए जाते हैं लेकिन उनके बैंक खाते में नाम, जाति या उपजाति के साथ

होता है, जिसके कारण बैंक के अधिकारी और कर्मचारी पीड़ित किसानों को चैक का भुगतान करने में असमर्थता जाहिर करते हैं। इस कारण किसान बहुत परेशान हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि अकारण जो यह समस्या पैदा हो गई है, इसके समाधान हेतु बैंक के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने की कृपा करें। यदि खातेदार किसान की पहचान बहुत ही आवश्यक लगे, तो ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए निवास प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें अनुदान देने हेतु कार्रवाई की जाए।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : अध्यक्ष महोदया, मैं अपने आपको श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थोमस (एर्नाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कुछ निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की अनैतिक और अनुचित प्रथाओं को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं जो लोगों को बड़े-बड़े वादों से लुभाती हैं और जब सेवा देने की बात आती है तो उन्हें धोखा देती हैं। ऐसे कई ऑपरेटर और यहां तक कि स्थापित ब्रांड नाम भी हैं जो स्वास्थ्य बीमा कवरेज की आवश्यकता वाले लोगों का शोषण करने पर आमादा हैं।

हाल ही में, कॉलेज में मेरे एक सहयोगी ने चोलमंडलम के रूप में जानी जाने वाली प्रसिद्ध कंपनियों में से एक से बीमा लिया था। नामी-गिरामी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया, लेकिन जब प्रतिपूर्ति की बात आई तो साफ इनकार कर दिया गया। *कल टाइम्स ऑफ इंडिया में* रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में एक ऐसा ही मामला छपा था जिसने समय पर भुगतान नहीं किया।जब सरकार बीमा कंपनियों के निजीकरण की

अनुमति देने के बारे में सोच रही है, तो ये प्रमुख मुद्दे हैं क्योंकि यह स्वास्थ्य बीमा है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि बीमा लेने वाले लोगों को प्रतिपूर्ति मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदया: श्री शिवकुमार उदासी को प्रो. के.वी. थोमस द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के विदर्भ विभाग में चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, भंडारा, गोंदिया एवं कुछ अन्य जिले जहां बंगाली समाज बड़ी संख्या में रहता है, की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदया, इस समाज को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के इन जिलों में, जहां यह बंगाल समाज रहता है, उनको यह प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं से वे वंचित रहते हैं, इससे उन लोगों में असंतोष फैला हुआ है। बंगाल समाज संगठन के माध्यम से जाति का प्रमाण पत्र उनको मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने शासन से कई बार पत्र व्यवहार किया, वहां के लोक प्रतिनिधियों ने भी इसके लिए कई बार पत्र व्यवहार किया, लेकिन अभी तक उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि नियमों में संशोधन करके बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिलाया जाए। ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी. महेंद्रन (पोल्लाची): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

हमारी गतिशील नेता मक्कल मुधलवर पुरैची थलाइवी अम्मा को मेरा धन्यवाद, जो कोंगु क्षेत्र के लिए विशेष विचार रखती हैं।

मक्कल मुधलवर अम्मा ने पहले ही 300 करोड़ रुपये की लागत से वेल्लोर में एक एकीकृत बस स्टैंड की स्थापना करके उक्कदम, सिंगनल्लूर और गांधीपुरम जैसे मौजूदा बस टर्मिनस को स्थानांतरित करके कोयंबटूर निगम में सड़क यातायात की भीड़ को कम करने के लिए कदम उठाए थे।

मालुमाचमपट्टी में एक नया रेलवे स्टेशन स्थापित करने का यह सही समय और समय की मांग है, जो वेल्लोर के पास स्थित है क्योंकि ब्रॉड गेज परिवर्तन का काम अब पोलाची-पोदनूर खंड में चल रहा है।

मलूमाचमपट्टी की वर्तमान आबादी लगभग 50,000 है। यदि एकीकृत बस स्टैंड को वेल्लालोर में स्थानांतरित किया जाता है, तो यहां की अस्थायी आबादी दोगुनी हो जाएगी। यह अपेक्षित अस्थायी जनसंख्या को कम करने का वैकल्पिक समाधान होगा।

चूंकि वेल्लालोर और मालुमाचमपट्टी मेरे पोलाची संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मैं आश्वासन देता हूं कि तमिलनाडु राज्य सरकार हर संभव तरीके से पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। एक विशेष मामले के रूप में, उप-शहरी क्षेत्र में सुधार करने और कोयम्बटूर निगम की सड़क यातायात की भीड़ को कम करने के लिए, पुरैची थलाइवी मक्कल मुधलवर अम्मा की इच्छा के अनुसार मालुमाचमपट्टी में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा।

इसलिए, मैं माननीय से आग्रह करता हूं कि रेल मंत्री इस योजना के लिए जल्द से जल्द पर्याप्त धनराशि आवंटित करके मलूमाचमपट्टी में एक नया रेलवे स्टेशन स्थापित करने पर विचार करें।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदया, इस सरकार, विशेष रूप से रेलवे अधिकारियों द्वारा किए गए बड़े-बड़े वादों के बावजूद, रेलवे में यात्रा आम यात्रियों के लिए एक दुःस्वप्न बन गई है। पिछले मंगलवार को तड़के सियालदह डिवीजन में एक भीषण घटना घटी थी, जहां दो प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच गोलीबारी और बम विस्फोट में सैकड़ों यात्री फंस गए थे। नतीजतन,कई आम यात्री घायल हो गए हैं और उनमें से सात की हालत गंभीर बताई जा रही है।

सच तो यह है कि एक तरफ तो यात्रियों की संख्या और ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेनों और यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं की गयी है। इसके

परिणामस्वरूप, रेलगाड़ियों में सुरक्षा की भारी कमी है जो इस सरकार द्वारा किए गए उच्च वादों को खारिज करती है। उनके सभी तर्कों के बावजूद, रेलवे अधिकारी ट्रेनों को पर्याप्त सुरक्षा कर्मी प्रदान नहीं कर रहे हैं।

मैं इस सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम उन आम यात्रियों को सुरक्षा प्रदान की जाए जो यात्रा में कठिन समय से गुजर रहे हैं।

श्री एम.डी. बदरुद्दोज़ा खान (मुर्शिदाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से, मैं हमारे माननीय कानून मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपर्याप्त अदालतों और अपर्याप्त न्यायाधीशों के कारण हमारे देश की विभिन्न अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय लिया। तदनुसार, मुर्शिदाबाद जिले में नौ अदालतें स्थापित की गईं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि नौ में से चार अदालतों में कोई न्यायाधीश नहीं हैं और जनता बस आ रही है और वापस जा रही है। गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। ज्यादातर गरीब आदमी न्याय पाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इन अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तत्काल कुछ कदम उठाए। मुर्शिदाबाद में, चार अदालतों में जिले में, कोई न्यायाधीश नहीं हैं; और नौ अदालतों में 10,000 मामले लंबित हैं। यह गंभीर मुद्दा है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से फिर अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाए जाएं। धन्यवाद।

डॉ. प्रभास कुमार सिंह (बारगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस स्टेशन का दौरा किया था। तीन जिले, बारगढ, सम्बलपुर और सुंदरगढ़ प्रतिदिन इस रेलवे स्टेशन पर निर्भर हैं क्योंकि विभिन्न दिशाओं से विभिन्न ट्रेनों के यात्री अपने दिन-प्रतिदिन के काम के लिए इस स्टेशन का उपयोग करते हैं। लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह लंबे समय से उपेक्षित है। कोई कनेक्टिविटी नहीं है; वहां न पानी की आपूर्ति है, न जल निकासी की व्यवस्था है और न ही

स्वच्छता की व्यवस्था है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन को एक रेलवे डिवीजन घोषित किया जाए क्योंकि यह एक औद्योगिक गलियारे में है और इस स्टेशन के पास कई औद्योगिक घराने स्थित हैं जो इसे एक औद्योगिक केंद्र बनाते हैं और चूँकि 2016 के दौरान एक नया हवाई अड्डा बनेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि झारसुगुड़ा को रेलवे डिवीजन घोषित किया जाए और झारसुगुड़ा शहर के चौकी पारा में एक नया ओवरब्रिज बनाया जाए, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग है।

माननीय अध्यक्ष महोदया: श्री अजय मिश्रा - उपस्थित नहीं श्री पी. करूणाकरन।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): मैं इस सदन में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाना चाहूंगा। मैं देश के विभिन्न हिस्सों की जेलों में बंद लाखों विचाराधीन बंदियों की आवाज उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

विभिन्न राज्यों की विभिन्न जेलों में लगभग चार लाख कैदी अपने मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार या न्यायपालिका की ओर से लंबे समय तक बिना किसी मुकदमे के लोगों को जेलों में डालने का कोई औचित्य नहीं है। यह वास्तव में किसी व्यक्ति को प्राप्त संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध है, उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है जिनका नागरिक लाभ उठा सकता है और उस मानवीय विचार के भी विरुद्ध है जो एक नागरिक को मिलना चाहिए।

वास्तव में कारण यह बताया गया है कि न्यायाधीशों की कमी है, विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी है, जैसा कि इस सभा में अब एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा है। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों सहित लगभग सभी अदालतों में मामले लंबित हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गंभीरता से ध्यान दे। निश्चित रूप से यह न्यायपालिका की एक ज़िम्मेदारी है लेकिन साथ ही सरकार की भी एक ही ज़िम्मेदारी है। इसलिए, वास्तव में सरकार की विफलता और न्यायपालिका के कारण निर्दोष लोगों को लंबे समय से दंडित किया गया है। इन लोगों को जेलों में रखने का सरकार और न्यायपालिका का क्या औचित्य है? एक साल से लेकर दस साल तक की अवधि के लिए वे बिना किसी मुकदमे के जेलों में बंद हैं। इस पर सरकार का क्या कहना है? इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

13-05-2015

माननीय अध्यक्ष महोदया: श्री पी.के. बीजू और श्री जॉइस जॉर्ज को श्री पी. करुणाकरन द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मैं बच्चों के बचपन और उनके कंधों पर किताबों का जो बोझ बढ़ रहा है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने उठाना चाहता हूं। देखने में यह आ रहा है कि बच्चों की मासूमियत खत्म हो रही है, उनका बचपन खो रहा है। अवीवा इंडिया कम्पनी के द्वारा दस शहरों में 2250 पैरेंट्स का सर्वे कराया गया, जिसमें 93 परसेंट अभिभावकों ने माना है कि वह जो बचत करते हैं, वह बच्चों की उच्च शिक्षा को ध्यान में रख कर करते हैं। 70 प्रतिशत अभिभावकों की तमन्ना थी कि उनके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनें। बच्चों के प्रति यह जो जागरूकता आयी है, यह अच्छी बात है, लेकिन उनकी अव्यवहारिक अपेक्षाएं मासूम बच्चों से उनका बचपन छीन रहा है। जो अभिभावक नहीं कर पाए हैं, वह बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी आगे बढ़े। यह मानसिकता बच्चों के लिए शारीरिक और मानसिक पीढ़ा का सबब बन रही है। कोचिंग, ट्यूशन, होम वर्क इन सबका दबाव इतना अधिक बढ़ रहा है कि यूनाईडिट फोरम द्वारा कुछ स्कूलों में एक अध्ययन कराया गया, उसमें 8-19 वर्ष की उम्र के 30 प्रतिशत बच्चे तनाव व अवसाद का शिकार पाए गए हैं और इसके कारण बच्चे अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं तथा आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। देश के 85 शहरों के एक लाख से भी अधिक स्कूली बच्चों पर अध्ययन कर के बॉडी इंडेक्स निकाला गया है। इससे जुड़े आंकड़े बताने हैं कि देश में स्कूल जाने वाले 40 प्रतिशत से भी आधिक बच्चे शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हैं। महानगरों के बच्चे आज स्कूली होमवर्क की आधिकता और कम शारीरिक व्यायाम की समस्या से जूझ रहे हैं। इससे भविष्य में अस्वस्थ किशोरों की संख्या में वृद्धि का डर बना रहेगा।

महोदया, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्एप व फेसबुक के साथ बच्चे अपने मनोरंजन की बहुत सी जरूरतें पूरी कर लेते हैं पर इससे वे शारीरिक श्रम से जुड़ी गतिविधियों से दूर होने के कारण मोटापा, गर्दन व जोड़ों के दर्द, लीवर में सूजन, चिंता, निराशा व आंखों में बहुत जल्दी चश्मा लगने जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

यह एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है। खेल के मैदानों से बच्चों की किलकारियां खत्म हो रही हैं। फरीदाबाद के सैक्टर 11डी स्थित डी.पी.एस. में बच्चों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए नई तकनीक का साहारा लिया गया है। 9 अप्रैल से यह प्रयोग शुरू हो चुका है। सैशन में बच्चे अपने बैग में एक टैबलेट लेकर आएंगे। इसमें रिकॉर्ड सभी विषय होंगे। इसके साथ केवल चार कॉपी बैग में ले कर आना होंगी। नर्सरी से 12वीं तक के छात्रों को बढ़ते बैग के बोझ से मुक्ति देने के लिए यह कदम उठाया गया है। इतना ही नहीं अभिभावक घर से स्कूल जाते समय और कैंपस में अपने बच्चों की गतिविधियों पर पल-पल नजर रख सकेंगे। इसके लिए भी अलग से अभिभावकों के लिए मोबाइल एप भी तैयार किया गया है। इसके द्वारा बच्चों की पढ़ाई नई तकनीक से होगी। इसमें पश्चिम व पूर्व की शिक्षा संस्कृति की झलक मिलेगी। सीबीएससी बेस्ड पढ़ाई होगी। यह एक बहुत अच्छा प्रयोग उस स्कूल में किया गया है। इसी तरह कुछ स्कूलों में बच्चों का होमवर्क स्कूलों में ही कराने की परंपरा शुरू की है ताकि बच्चे अपना बस्ता घर न ले जाएं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए, उसमें बच्चों का शारीरिक और बौद्धिकि विकास होना चाहिए। उसमें शिक्षा भी हो, खेल भी, कविता भी हो, गीत भी हो, कहानी भी हो और इसके लिए योगाचार्यों, मनोवैज्ञानिकों, बाल विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और समाजशास्त्रियों का सहयोग लेकर स्कूली शिक्षा को व्यावहारिक एवं ज्ञानवर्धक बनाने की योजना क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री निशिकान्त दुबे, डॉ. मनोज राजोरिया, श्रीमती रीती पाठक, श्रीमती संतोष अहलावत, श्री पी.पी.चौधरी को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा) : महोदया, देश में ओलावृष्ट और ओलों की मार से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने पुराने नियमों को शिथिल करते हुए 50 प्रतिशत के बजाय 33 प्रतिशत नुकसान को सौ प्रतिशत मान कर किसानों को राहत धनराशि दी है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार खरीदी हो रही है और बड़ी तादाद में किसान गेहूं मंडियों में ले जा रहे हैं। लेकिन रीवा जिले में आतिवृष्टि से गेहूं के दाने आति पतले हो गए हैं, जिससे वे वज़न में हल्के हो

गए हैं, इसलिए आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि रीवा जिले के किसानों को 300 रूपये प्रति क्विंटल खरीदी दाम से अतिरिक्त बोनस देने की कृपा की जाए।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतगत जनपद चित्रकूट के तहसील कर्वी के ग्राम ओरा के पास बांगै नदी में लिफ्ट केनाल के पास खनन माफियाओं ने बालू निकालने का पट्टा प्राप्त कर लिया है। वहां पर बड़ी-बड़ी मशीनों से गहरा कर बालू निकाला जा रहा है। फलस्वरूप जिस धार पर पंप हाऊस लगा है, उससे नदी की धार बदल जाएगी। इससे वह बड़ी पुरानी सिंचाई परियोजना नष्ट हो जाएगी। इस परियोजना से दर्जनों ग्रामों की हजारों एकड़ फसल की संचाई होती है। किसान कई दिनों से उस स्थल पर इकट्ठे हो कर धरना दे कर विरोध प्रकट कर रहे हैं। बालू माफिया उनको डरा-धमका रहे हैं। उनके खिलाफ झूठे मुकदमें भी लिख रहे हैं। प्रशासन ने जन दबाव को देखते हुए खनन कार्य को अस्थायी रूप से रुकवा दिया है। लेकन खनन माफियाओं की मशीनें अभी भी वहीं खड़ी हैं। दर्जनों असलहाधारी अराजकतत्व वहां पर उपस्थित है तथा खनन की योजना में हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त खनन पट्टे को निरस्त कराने की कृपा करें तथा यह सुनिश्चित कराएं कि पम्प हाउस के आसपास 1 किलो मीटर तक कोई खनन कार्य न हो।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): महोदया, मैं यहाँ से बोलने की अनुमति चाहूँगा।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, बोलिए। आज सबको अनुमति है।

श्री गौरव गोगोई : महोदया, मैं आपके द्वारा केन्द्र सरकार के सुरक्षा मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमें बताया गया है कि जंग की स्थिति में भारत के गोला-बारूद के भण्डार में पर्याप्त मात्रा में गोला-बारूद होना चाहिए। पिछले हफ्ते आई सुरक्षा मंत्रालय पर सी.ए.जी. रिपोर्ट से विपक्ष बहुत चिन्तित है। सी.ए.जी. रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा मंत्रालय के भण्डार में सिर्फ 10 दिन की जंग के लिए गोला-बारूद है, जबकि हमारे पास 40 दिनों के लिए पर्याप्त गोला बारूद होना चाहिए।

[अनुवाद]

सी.ए.जी. प्रतिवेदन में उच्च क्षमता वाले गोला-बारूद सहित 10 प्रमुख श्रेणियों पर प्रकाश डाला गया है, जहाँ आवश्यक गोला-बारूद का प्रतिशत महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय की खराब स्थिति तब और भी जटिल

हो जाती है जब 2015-16 के रक्षा बजट में 1960 के बाद से रक्षा बलों के वार्षिक बजट में सबसे कम वृद्धि की गई। राफेल जेट सौदे में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को रद्द करने से घरेलू रक्षा विनिर्माण उद्योग, विशेष रूप से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को नुकसान हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है, लेकिन रक्षा मंत्री अमेठी फूड पार्क पर टिप्पणी करते हुए सुना गया है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप यह बात छोड़िए। आप अपनी बात उठाओ।

[अनुवाद]

श्री गौरव गोगोई: हमारा अनुरोध है कि मंत्री महोदय हमारे सशस्त्र बलों को उच्च बजट और प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ समर्थन दें। मैं कलियाबोर से हूं, मुझे गर्व है कि असम से कई लोग सशस्त्र बलों में शामिल होते हैं। हम चाहते हैं कि इन सशस्त्र बलों को रक्षा मंत्री का समर्थन मिले। हम अनुरोध करते हैं कि रक्षा मंत्री सी.ए.जी. प्रतिवेदन का जवाब दें।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदया, मैं आपके माध्यम से हम अपने संसदीय क्षेत्र बाँका, जो बिहार और झारखंड का सीमावर्ती इलाका है, वहाँ रेल सेवा और यात्रियों की सुविधा में कमी रहने के कारण बहुत परेशानी यात्रियों को होती है। मेरी एक माँग है कि पटना से बाँका वाया भागलपुर एक नई इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाए। मैं कई बार सदन में माननीय मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह कर चुका हूँ। हम आज भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि एक नई बाँका इंटरसिटी ट्रेन पटना से बाँका तक वाया भागलपुर चलाई जाए। दूसरा, पटना से भागलपुर तक जाने वाली विक्रमशिला को बाँका तक बढ़ाया जाए। तीसरा, बाँका में एक वाशिंग पीट स्वीकृत किया जाए। चौथा, डी.आर.एम. कार्यालय, जो पहले से स्वीकृत हुआ है, वह बाँका में खोला जाए।

माननीय अध्यक्ष : सभी रेलवे मिनिस्ट्री से सम्बन्धित माँगे हैं।

13-05-2015

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : वर्तमान इंटरसिटी में एक नया कोच दिया जाए और अंत में जिसे निशिकान्त जी भी सपोर्ट करेंगे, हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी ट्रेन प्रतिदिन चलाई जाए और जसीढी में उसका ठहराव हो। हम यही माँग करके अपनी बात समाप्त करते हैं। नमस्कार।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदया: अब दीपेंद्र जी बोलें। क्या हो गया?

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुडा (रोहतक): महोदया, कृपया पहले श्री खड़गेजी को अनुमति दें। उन्होंने नोटिस भी दिया है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, ऑन दीपेन्द्र जी, आपको मौका दे रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, मैंने जो नोटिस दिया था। बहुत से सैंक्शन प्रोजेक्ट्स आज रूके हुए हैं। इसका कारण मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो हमको इत्तला आती है कि या तो जमीन नहीं रहने की वजह से या बजट रिलीज नहीं होने के कारण या कोई टेक्निकल फ्ला रहने की वजह से या ऐसे बहाने से प्रोजेक्ट्स कैन्सिल हुए हैं, जो भी यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए थे, उन्हें रोका जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट। दीपेन्द्र, आपका वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा था। मैं कुछ समझी नहीं, यह क्या है?

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैडम, खड़गे जी ने किसी अन्य मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, मैंने जीरो ऑवर के लिए दिया था, अगर आप अनुमति दें तो मैं कहता हूँ, नहीं तो मैं बाद में बोलूँगा।

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : यह अलग नोटिस है और मेरा अलग है। आप कृपया मुझे बाद में अनुमति दें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: एक 9 बजे दिया और एक 10 बजे दिया।

माननीय अध्यक्ष : मैंने इनका नाम लिया था, लेकिन चलिए अब आप बोलिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: गलती न हो, ऐसा समझकर एक 9 बजे दिया और फिर 10 बजे आकर ऑफिस को एक और दे दिया। इस मुद्दे पर मैं ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कल भी यहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स हुई।...(*व्यवधान*) मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ।...(*व्यवधान*)

पहला मुद्दा यह है कि नागौर, राजस्थान के लिए पीने के पानी के लिए इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर चरण 2 में तीन हजार करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू करने की स्कीम थी। उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस आज तक जीरो है। उसको कोई पैसा भी नहीं दिया गया है और वह वैसा ही पड़ा हुआ है। दूसरा,प्रोजेक्ट एम्स,जो नई दिल्ली प्रोजेक्ट है,उसमें नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का, 1000-बिस्तर एम्स, नई दिल्ली का बिस्तर विस्तार सैंक्शन भी हुआ और हर तरीके से इस प्रोजेक्ट को पिछली सरकार ने मदद की थी,लेकिन आज इसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स मैं बताता हूँ। रेलवे कोच फैक्ट्री, सोनीपत ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर में एक विषय ही उठाते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं यह मुद्दा इसीलिए उठा रहा हूँ कि बहुत से जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमने शुरू किए थे, या तो पैसे नहीं देने की वजह से या बजट में प्रोविजन नहीं करने की वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स बन्द हो गए हैं। उसके रीजन्स भी वे अलग-अलग ढ़ंग से देते हैं। अभी कल का ही उदाहरण मैं आपके सामने देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप जानते हैं शून्य काल में पूरा भाषण नहीं देते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। ...(*व्यवधान*) मिसेज हरसिमरत कौर बादल ने कल ही आपके सामने बोला।...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आप नाम लेते हैं और मेरे लिए मुश्किल कर देते हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं उसका ही उदाहरण देता हूँ।...(*व्यवधान*) मैं एक ही उदाहरण देता हूँ।...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : फिर वे नाराज हो गए।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अखबार में आया है, आप लोग सुनिए।...(*व्यवधान*) आप थोड़ी शान्ति से सुनिए।...(*व्यवधान*)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: महोदया, यह रोज-रोज की बात हो गई है।...(*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं आपके नोटिस में लाता हूँ।...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आप कुछ मत सुनाओ, आप अपनी बात रखिए।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप ही यह निर्णय लीजिए कि यह परपजली किया जा रहा है,...(*व्यवधान*) इन्टेन्सली किया जा रहा है।...(*व्यवधान*) मैं आपको उन्हीं का एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाता हूँ।...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : इतना नहीं, सबका समय खराब हो रहा है।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: दिनांक 26-06-2014 के पत्र द्वारा यह सूचित किया गया कि अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण अभी उनके द्वारा किया जाना है, क्योंकि उक्त पट्टे पर दिए जाने के लिए यू.पी.एस.आई.डी.सी. के निदेशक द्वारा दिए जाने वाले परिवर्तन विचाराधीन हैं। प्रमोटर कम्पनी ने 30 सितम्बर, 2014 तक और समय विस्तार का अनुरोध किया था।

दूसरा, प्रमोटर कम्पनी द्वारा अन्तिम अनुमोदन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों को पूरा करने में होने वाले अत्यधिक विलम्ब के सम्बन्ध में...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, यह जीरो ऑवर चल रहा है। इसमें भाषण नहीं कर सकते हैं।

... *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सचिव अध्यक्षता वाले आमंत्रण, अनुमोदन की दिनांक 30-06-2014...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती अंजू बाला।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपकी बात हो गई। आपने बात उठा दी है।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : भाषण नहीं करना है। कृपया, बैठिए।

... *(व्यवधान)*

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : अंजू बाला जी, एक मिनट रूकिए।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : हरसिमरत कौर जी, आप बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदया: श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, मैं आपको अनुमति नहीं दे रही हूं।

...(व्यवधान)

13-05-2015

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप अभी तो बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? मुझे मालूम है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदया: नहीं, यह अच्छा नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप जानते हो कि शून्य काल में इतना लम्बा भाषण नहीं होता है। आपका यहाँ पर नोटिस भी नहीं मिला है, फिर भी मैंने आपको अलाऊ किया है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैंने ऐसा उदाहरण इसलिए दिया, क्योंकि इसी सदन में वह बोला गया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी का माइक बन्द है। बार-बार खड़गे जी का माइक क्यों बन्द कर रहे हो?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: नियरली 12 मेडिकल कॉलेजेज जो गरीबों के लिए शुरू हो गए थे, उन्हें भी बन्द किया गया है।...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। इतना लम्बा शून्य काल में नहीं बोला जाता है।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यानी इस तरीके से अगर हर प्रोजेक्ट बन्द करते गए तो उसका कोई कारण नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई है।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उसका कारण एक ही हो सकता है, वह पॉलिटिकल हो सकता है।...(व्यवधान) दूसरा और कुछ नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। ऐसा नहीं होता है।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह तो अवेंजर पॉलिटिक्स है।...(व्यवधान) मैं बता रहा हूँ कि दूसरा क्या है।...(व्यवधान) यह अवेंजर पॉलिटिक्स है।...(व्यवधान) इसकी दूसरी वजह नहीं हो सकती है।...(व्यवधान) जमीन रहते हुए नहीं दे रहे हैं, अप्रूवल रहते हुए उसे आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इसीलिए जो ऐसे प्रोजेक्ट कैन्सिल हो रहे हैं, इससे आपकी जो मंशा डेवलपमेंट करने की है, वह नहीं पूरी होगी। इसीलिए मैं आपके माध्यम से उनसे विनती करता हूँ कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आप कैन्सिल कर रहे हैं या रोक रहे हैं, उन्हें चलने दें और चलाएं।...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आपका कोई ऐसा नाम नहीं लिया है। केवल कल के लिए कहा है।

श्रीमती अंजू बाला : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहती हूँ। ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आपका नाम कल के लिए लिया है, रोज़ रोज़ कोई एक्सप्लानेशन नहीं होता। आप क्या कहना चाहती हैं। अंजू बाला जी, आप प्लीज़ बैठिये।

... *(व्यवधान)*

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल) : जो उस लैटर के बारे में बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिये। रोज ऐसा नहीं होगा। आप प्लीज़ बैठिए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रही हूं। प्लीज़ बैठिये।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : रोज़ रोज़ यहाँ प्रश्नोत्तरी मत करिये। आप बैठिये। आप भी बैठिये। कोई नहीं बोल रहा है। यह अगर-मगर का युद्ध मत चलाओ। यहाँ कोई फाइट नहीं चल रही है। प्लीज़ बैठिये।

... *(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैडम, मेरा नाम लिया गया है। ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : अंजू बाला जी, आप बोलिये।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदया: मैं श्रीमती हरसिमरत कौर को अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप प्लीज़ बैठिये। रोज़-रोज़ नहीं होता है।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय. अध्यक्ष महोदया: 'शून्यकाल' समाप्त हो गया है।

श्री जयंत सिन्हा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिये। मिस्टर मिनिस्टर, आप भी बैठिये।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदया : सभा की कार्यवाही बाद अपराह्न12.45 बजे आरंभ होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.28 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा अपराह्न बारह बजकर पैंतालीस मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई।

अपराह्न 12.47 बजे

लोक सभा घड़ी के बारह बजकर सैंतालीस मिनट पर पुनः आयोजित किया गया।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, बैठिए।

... *(व्यवधान)*

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष महोदया, मैं एक विषय के बारे में बोलना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, बैठिए।

... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी शायद कुछ ऐसी बात हुई, जिसमें हरसिमरत कौर जी का नाम लिया गया था।

हरसिमरत जी, मेरा इतना ही कहना है कि अगर आपको कुछ कहना है तो आप उसे सदन के पटल पर रख सकती हैं, क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हो गए हैं। चूंकि उनके द्वारा आपका नाम लिया गया था, इसलिए आप अपने एक्सप्लैनेशन को सदन के पटल पर रख सकती हैं।

... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 12.48 बजे

(इस समय श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल) : मैडम, मैं आपसे यही आग्रह कर रही थी कि एक रिपोर्टर ने चिट्ठी में लिखा है कि उनको एक यूनीक एडवांटेज दिया जा रहा था।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपकी जो भी बात है, आप सदन के पटल पर रख दें।

... *(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैडम, मैं उसी के बारे में उल्लेख करना चाहती हूं, आप परमिशन दे दीजिए।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.49 बजे

(श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य फिर अपनी सीटों पर वापस चले गए।)

अपराह्न 12.49 1/4 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन ... जारी

(2) सभा में उठाये गये बिन्दुओं पर मेसर्स शक्तिमान मेगा फूड पार्क को निरस्त किये जाने के संबंध में निवेदन*

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल): लोक सभा में 12 मई, 2015 को बने मेसर्स शक्तिमान मेगा फूड पार्क को रद्द करने के संबंध में वक्तव्य को जारी रखते हुए, श्री माननीय संसद सदस्य श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नए मुद्दे उठाए, इसलिए उसी के आलोक में, यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रालय को 19.07.2012 दिनांकित एक पत्र मिला, यह बताया गया कि यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम बोर्ड ने मेगा फूड पार्क की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए खाली भूमि को उप-किराए पर देने और वाणिज्यिक दरों पर शुल्क न लेने का निर्णय लिया है। उसी पत्र के अनुसार, इसके बाद मेसर्स इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स और मेसर्स शक्तिमान मेगा फूड पार्क लिमिटेड को उनके अनुरोध के अनुसार एक सप्ताह के भीतर कागजात जमा करने के लिए कहा गया। क्या आवश्यक दस्तावेज़ एस.पी.वी. द्वारा यू.पी.एस.आई.डी.सी. को प्रस्तुत किए गए थे, इसकी प्रतिवेदन एस.पी.वी. द्वारा नहीं दी गई।

18 दिसंबर, 2012 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि देश में घरेलू गैस की कमी को देखते हुए जगदीशपुर स्थित मेगा फूड पार्क में प्रस्तावित कैप्टिव पावर प्लांट के लिए गैस का आवंटन करना संभव नहीं होगा।

---

* सभा पटल पर रखा गया

13-05-2015

16 जनवरी,2013 को, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के मंत्रालय को मेसर्स से एक पत्र मिला। शक्तिमान मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड (आदित्य बिड़ला समूह कंपनी) जिसमें प्रवर्तकों ने प्राकृतिक गैस आधारित कैप्टिव प्लांट स्थापित करने के लिए जगदीशपुर में गेल प्राकृतिक गैस टर्मिनल से प्रशासित कीमतों (ए.पी.एम.) पर प्राकृतिक गैस के लिए अनुरोध किया, जो उनके फूड पार्क को एक अनूठा लाभ प्रदान करेगा। प्रवर्तकों ने कहा और मैं उद्धृत करती हूं कि "हम इस परियोजना पर तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर स्पष्ट नहीं हो जाते जिसके लिए प्रशासित कीमतों पर घरेलू प्राकृतिक गैस के लिए आपकी मंजूरी बिल्कुल महत्वपूर्ण है"।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं सभा को सूचित करना चाहूंगी कि यू.पी.एस.आई.डी.सी. वाणिज्यिक दरों पर शुल्क लगाए बिना एस.पी.वी. को भूमि उप-किराए पर देने के लिए सहमत हो गया है, ऐसा लगता है कि भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं। मेसर्स शक्तिमान मेगा फूड पार्क द्वारा प्रशासित कीमतों पर गैस की सुनिश्चित आपूर्ति के साथ कैप्टिव पावर प्लांट लगाने के लिए सीमित अनूठा लाभ भी योजना के दिशानिर्देशों के तहत मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए एक पूर्व-आवश्यकता या पूर्व-शर्त नहीं था।

13-05-2015

<u>अपराह्न 12.49 ½ बजे</u>

परक्राम्य लिखित (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय अध्यक्ष महोदया: अब,हम मद सं13 - परक्राम्य लिखित (संशोधन) विधेयक, 2015।

श्री जयंत सिन्हा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं:

"कि परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दशरथ रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (आपराधिक अपील संख्या 2287/2009) के मामले में माना कि चेक के अनादर के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र उस न्यायालय तक सीमित है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, उद्योग संघों और वित्तीय संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा सरकार को अभ्यावेदन दिए गए हैं, जिसमें इस निर्णय के व्यावसायिक हितों पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की गई है क्योंकि यह पीड़ित शिकायतकर्ता की कीमत पर चूककर्ताओं को अनुचित संरक्षण प्रदान करेगा, विभिन्न स्थानों पर बैंकों पर निकाले गए कई चेक को कवर करने वाले मामलों की बहुलता को जन्म देगा और पूरे भारत में फैले ग्राहकों के साथ एकल खिड़की एजेंसी के लिए इसका पालन करना अव्यावहारिक है।

उक्त अधिनियम की धारा 138 के तहत मामला दर्ज करने में भुगतानकर्ता या धन के ऋणदाता के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, जिसके कारण बड़ी संख्या में मामले अटके हुए हैं, धारा 138 के तहत अपराध के लिए अधिकारिता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। परक्राम्य लिखित (संशोधन) विधेयक,2015 निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है,अर्थात्:-

(1) केवल उस अदालत द्वारा मामले दाखिल करना जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर आदाता की बैंक शाखा स्थित है, जहां आदाता भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करता है;

13-05-2015

(2) यह निर्धारित करते हुए कि जहां अधिकार क्षेत्र की नई योजना के तहत अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में चेक जारी करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, उसी चेक जारीकर्ता के खिलाफ उक्त अधिनियम की धारा 138 से उत्पन्न होने वाली सभी बाद की शिकायतें उसी अदालत के समक्ष दायर की जाएंगी, भले ही वह कुछ भी हो। क्या वे चेक उस अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए थे;

(3) यह निर्धारित करते हुए कि यदि अलग-अलग अदालतों के समक्ष एक ही चेक जारीकर्ता के खिलाफ एक से अधिक अभियोजन दायर किया जाता है, तो उक्त तथ्य अदालत के ध्यान में लाए जाने पर, अदालत मामले को क्षेत्राधिकार नई योजना के अनुसार अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में स्थानांतरित कर देगी। और

(4) उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत स्पष्टीकरण में संशोधन "इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक चेक" अभिव्यक्ति के अर्थ से संबंधित है,क्योंकि उक्त अर्थ में कमी पाई जाती है क्योंकि यह एक भौतिक चेक की ड्राइंग की कल्पना करता है, जो "इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक चेक" तैयार करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में अंतर्विष्ट अभिव्यक्तियों का संदर्भ देते हुए उक्त धारा में एक नया स्पष्टीकरण 3 सम्मिलित करने का उद्देश्य नहीं है।

यह आशा की जाती है कि परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1981 में प्रस्तावित संशोधन यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि उक्त अधिनियम की धारा 138 के तहत मामलों का निष्पक्ष परीक्षण शिकायतकर्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाए, ताकि चेक के अनादर के लिए मामलों की कोशिश करने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया जा सके।

इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करें। इस विधेयक का समर्थन करने के लिए इस महती सभा के सदस्य। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

अब,श्री एम.आई.शनावास।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए, अभी कुछ नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एम.आई. शनावास (वायनाड): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर इस बहस में हस्तक्षेप करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।… (*व्यवधान*)

परक्राम्य लिखित अधिनियम,1881 प्रोमिसरी नोट्स, विनिमय के बिलों और चेक से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। परक्राम्य लिखित (संशोधन) विधेयक, जिसे माननीय मंत्री ने अभी पेश किया है... (*व्यवधान*)

महोदया, सदन में कुछ व्यवस्था बहाल की जा सकती है। … *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ नहीं हो रहा है, बैठिए। बिल शुरू हो गया है। अगर आपको बिल पर बोलना हो तो आपको अनुमति है; अन्यथा नहीं। प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया: अगर आपको नहीं चलाना है तो सभा अपराह्न 2 बजे फिर से मिलने के लिए स्थगित कर दी गई है।

<u>अपराह्न 12.53 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न के दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

13-05-2015

<u>अपराह्न 02.03 बजे</u>

अपराह्न 02:03 बजे लोक सभा पुनः समवेत हुई।

[**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

परक्राम्य लिखित (संशोधन)
विधेयक,2015 - क्रमागत

माननीय उपाध्यक्ष: अब, श्री एम.आई. शनावास।

श्री एम.आई. शनावास (वायनाड): धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष । सबसे पहले, मेरा अनुरोध है कि मुझे इस सीट से बोलने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: आपको वहां से बोलने की अनुमति है।

श्री एम.आई. शनावास: धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष। माननीय सदस्य द्वारा इस सभा में परक्राम्य लिखित (संशोधन) विधेयक,2015 पेश किया गया है सबसे पहले, मैं बताना चाहूंगा कि यह एक अधिनियम है, जिसे प्रॉमिसरी नोट्स, एक्सचेंज के बिल और चेक से संबंधित कानून को परिभाषित करने और संशोधित करने के लिए 1881 में अधिनियमित किया गया था। यह संशोधन विधेयक, जिसे माननीय मंत्री ने पेश किया है, एक बहुत छोटा विधेयक है जिसमें केवल चार खंड हैं। यद्यपि इसमें केवल चार खंड हैं, फिर भी यह अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। यह लाखों लोगों की चिंता है। भारत के विभिन्न न्यायालयों में चेक से संबंधित लगभग 40 लाख मामले लंबित हैं।

महोदय, कई बार, परक्राम्य लिखित अधिनियम में संशोधन किया गया है। 1988 और 2001 में, इस अधिनियम में आमूल-चूल संशोधन किये गये। चेक जारी करने और चेक बाउंस होने को लेकर इस देश में हर जगह बहुत सारे मुकदमे हैं। इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं।

मैं इस प्रतिष्ठित सभा में एक या दो निर्णयों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बहुत संक्षेप में बोलूंगा। ऐसा ही एक निर्णय भास्करन *बनाम* शंकरन मामला,1999 था, जो सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह तय किया गया था कि क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार कहां परिभाषित किया गया है।

13-05-2015

परक्राम्य लिखित अधिनियम में, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार परिभाषित नहीं है। भास्करन *बनाम* शंकरन के मामले में, इसे परिभाषित किया गया था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई के पांच तरीके तय किए गए थे। एक, जहां चेक काटा जाता है; दो, जहां भुगतान करना था; तीन, जहां चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है; चार, जहां चेक अनादरित हो जाता है, और पांच, जहां नोटिस दिया जाता है। इसमें भुगतानकर्ता के लिए एक फायदा था। निम्नलिखित में से किसी भी स्थान पर ड्रॉअर, यानी डिफॉल्टर का विवाद है। पांच स्थानों पर, साहूकारों द्वारा मुकदमेबाजी शुरू की जा सकती है।

तो, उसके बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय फिर से इस मामले में आया क्योंकि यह अधिनियम 135 वर्षों पुराना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर से इस मुद्दे पर विचार किया। हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड *बनाम* नेशनल पैनासोनिक इंडिया लिमिटेड केस में,माननीय सर्वोच्च न्यायालय उन लोगों के बचाव में आया जो चेक जारी करते हैं, दाताओं, भुगतानकर्ताओं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

> "जैसा कि आज हालात हैं, हम इस तथ्य से अनजान नहीं रह सकते कि एक ही उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित कई चेक रखने वाला बैंकिंग संस्थान न केवल चार अलग-अलग स्थानों पर अपने नकदीकरण के लिए चेक प्रस्तुत कर सकता है, बल्कि चार अलग-अलग स्थानों से नोटिस भी भेज सकता है ताकि सक्षम बनाया जा सके। इसे चार अलग-अलग स्थानों पर चार शिकायत मामले दर्ज करने होंगे।। इससे केवल आरोपी को गंभीर उत्पीड़न होता है। इसलिए, इस प्रकृति के मामले में शिकायतकर्ता के अधिकार और आरोपी के अधिकार के साथ-साथ आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।"

इसलिए शिकायतकर्ता के अधिकार और आरोपी के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए, इसे हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम नेशनल पैनासोनिक इंडिया लिमिटेड मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया था।

अब, माननीय मंत्री ने संशोधन प्रस्तुत करते हुए दशरथ रूपसिंह राठौड़ मामले के बारे में कहा। दशरथ रूपसिंह राठौड़ मामले पर एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो 2014 में आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। माननीय सर्वोच्च ने दिनांक 4 अगस्त,2014 के अपने निर्णय में भास्करन मामले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 'चेक के अनादर का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार उस अदालत तक ही सीमित है

जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर अपराध हुआ है, वर्तमान मामले में जहां चेक उस बैंक द्वारा अनादर किया जाता है जिस पर वह आहरित किया गया था।'

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में आ गया है। चेक से भुगतान करने वालों, चेक देने वाले के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता और इसकी धारा 177, धारा 178 और धारा 179 पर भरोसा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस उत्पीड़न को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चेक के दाताओं का उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'इस प्रक्रिया का उद्देश्य अक्सर इस तरह की दमनकारी मुकदमेबाजी का उपयोग करके आरोपी को दूर के स्थान पर खींचकर दावों का मुकाबला करने के उचित अवसर से इनकार करके उससे पैसे निकालने के संपार्श्विक उद्देश्य को प्राप्त करना होता है।' मान लीजिए कि लेन-देन केरल में होता है। जो पैसा देगा, वह दिल्ली में होगा। उसका नागालैंड में खाता होगा। वह नागालैंड में चेक प्रस्तुत कर सकता है और वह गरीब आदमी या आम आदमी से पैसे निकाल सकता है और इस आदमी को नागालैंड तक जाना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह धारा किसकी मदद के लिए है? इस धारा द्वारा किसका हित सुरक्षित है? इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैराग्राफ 5 में, इस सरकार द्वारा कहा गया है कि 'सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, भुगतानकर्ता या ऋणदाता के सामने आने वाली कठिनाइयों के निवारण के लिए सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन दिए गए हैं। उक्त अधिनियम की धारा 138 के तहत मामला दायर करने में धन की कमी होगी' और इसलिए यह विधेयक आ रहा है।'

तो, सरकार किसके हितों की रक्षा कर रही है? सरकार साहूकारों के हितों की रक्षा कर रही है। शार्क और शाइलॉक्स गरीब लोगों से पैसा वसूलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट सही था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 135 वर्षों में मुकदमों की एक श्रृंखला का समापन किया गया और कहा गया, "पैसे निकालने के लिए दमनकारी कदम नहीं उठाए जाएंगे।"

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री एम.आई. शनावास: मैं निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं।

अब यहां प्रश्न यह उठता है कि इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या है? अब 40 लाख मामले लंबित हैं। श्रीमान माननीय वित्त मंत्री जी, मुझे आपसे यह पूछने दीजिए। लंबित 40 लाख मामलों में से 95 प्रतिशत मामले गरीब आम आदमी से संबंधित हैं।। उन्हें परेशान किया जा रहा है. "तो, एक पूर्ण परिवर्तन आता है।" यह सरकार इस कानून को लाकर साहूकारों के हितों की पूरी तरह से रक्षा कर रही है

एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने एक आँकड़ा जारी किया था। इसमें कहा गया था कि 24 बैंकों में 406 बैड लोन खाते हैं, जिनकी कुल राशि 70,70,000 करोड़ रुपये है। बैंकों में इन बैड लोन की वसूली के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? पिछले सात सालों में बैड लोन 4,95,000 करोड़ रुपये है और बैड लोन एक साथ मिल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस सदन में हर कोई जानता है कि एक बिजनेस टाइकून, जिसे शराब कारोबारी के रूप में जाना जाता है, ने बैंक से 7,500 करोड़ रुपये का लोन लिया है।

माननीय उपाध्यक्ष: इसका परक्राम्य लिखित विधेयक से कोई संबंध नहीं है।

श्री एम.आई. शनावास: लेकिन वह ऋण वापस नहीं किया गया है, फिर भी वह स्वतंत्र घूम रहा है अगर एक गरीब आदमी पाँच सेंट जमीन के साथ ₹.50,000 या ₹.1,00,000 का ऋण लेता है, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है।" माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार गरीब लोगों के नहीं बल्कि धनशोधकों के हितों की रक्षा करने के लिए आई है

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री एम.आई. शनावास: मैं समाप्त कर रहा हूँ।

मैं इस सरकार से इस कठोर कानून को वापस लेने का आग्रह करता हूं, जो आम आदमी के हितों के खिलाफ है और जिससे लाखों लोग प्रभावित होने वाले हैं। तो, कुछ करना होगा। … (*व्यवधान*) किसानों की संपत्तियों को ख़त्म किया जा रहा है और श्रमिकों के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यह विधेयक सरकार के असली रंग को दिखा रहा है क्योंकि गरीब श्रमिक और सामान्य व्यक्ति के हित प्रभावित होंगे। ...(*व्यवधान*)

इसलिए, मैं सरकार से यह विधेयक वापस लेने की अपील करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी जो संशोधन विधेयक लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह बहुत ही सूक्ष्म, साधारण, सामान्य संशोधन है। उन्होंने अपने उद्बोधन में इस बात का उल्लेख किया कि इस संशोधन को लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? एक समय था, जब कुछ भी चीज खरीदनी होती थी, तो जेब में नोट भरकर या थैली में रुपये भरकर ले जाना पड़ता था। लेकिन समय बदलता गया और वर्ष 1881 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना। इससे चैक की सुविधा मिली। इससे पैसे ले जाने की जरूरत नहीं, चैक बुक ले जाओ और जहां जरूरत पड़े, वहां चैक काटकर दे देना। उसमें भी कुछ दिक्कत आने लगी। बहुत से लोगों ने धोखे की मंडी खोल ली। बैंक एकाउंट में पैसा हो या न हो, उन्होंने चैक इश्यू कर दिया। उस मजबूरी में आकर फिर और संशोधन करना पड़ा। इसमें धारा 138 से लेकर धारा 142 तक, यानी चार धाराएं और बढ़ानी पड़ीं। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि अगर बैंक एकाउंट में बैलेंस नहीं है और आप चैक इश्यू करते हैं, तो यह एक अपराध होगा, जुर्म होगा। यह मामला ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमैंट दिया कि केस का ट्रायल कहां होगा, कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कौन सा होगा? उस जजमैंट में उल्लेख किया गया कि जहां पर उस चैक को डिसऑनर किया जाता है, उसका अधिकार क्षेत्र जिस कोर्ट में आता है, केवल वहीं पर मुकदमा कायम हो सकेगा। इससे सबको दिक्कत आने लगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रगतिशील युग है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रानिक युग आ गया, इलेक्ट्रानिक चैक की सुविधा हो गयी। इलेक्ट्रानिक चैक की सुविधा के बाद अगर यह पाबंदी रहती कि केवल वहीं पर मुकदमा चलेगा, तो शायद उसी आदमी को आराम मिलता, जिसने एक गलत चैक इश्यू किया, बिना बैलेंस के चैक इश्यू किया। अब उन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, जिन्हें परेशानी हुई है। उस परेशानी को दूर करने के लिए आज माननीय मंत्री जी एक संशोधन लेकर लाये हैं। मैं उस संशोधन का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ मेरे दो-तीन सुझाव हैं, क्योंकि आज पहली बार इस संशोधन के माध्यम से बैंक पर चर्चा करने का अवसर मिला है। बैंक की गतिविधियां बहुत बढ़ गयी हैं। आज बैंक केवल कुछ

उद्योगपतियों और शहर में रहने वालों तक ही सीमित नहीं है। आज बैंक की गतिविधि गांव तक बढ़ी है। किसानों का पैमेंट भी बैंक द्वारा होने लगा है। यहां तक कि मनरेगा का पैमेंट भी बैंक में हो रहा है। जितने भी अनुदान या सब्सिडीज जाती हैं, वे भी सीधे खाते में जाती हैं। ये सारी गतिविधियां इतनी बढ़ गयीं कि इस बात का अहसास होने लगा कि बैंक कहां-कहां होना चाहिए।

अभी आदर्श गांव की बात चल रही थी। मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। आज गांव का इन्वाल्वमेंट बैंक में बहुत तीव्र गति से हुआ है। आज गन्ने किसानों का पैमेंट भी उनके खातों में सीधे जा रहा है। अगर बैंक केवल शहर की सीमाओं तक ही सीमित रहेंगे, तो गांव के लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, वह उनको नहीं मिल पायेगी। आज जिस तरह से कुछ जगहों पर कानून-व्यवस्था है, उसे देखते हुए अगर वे शहर से पैसा कैश कराकर गांव में जायेंगे, तो रास्ते में उनकी क्या हालत होगी, उसका आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। आज गांव को बैंकों से शामिल किया गया है। इसके लिए प्रधान मंत्री ने जन-धन योजना चलायी है। उस योजना में हर व्यक्ति का खाता खुल गया है। क्या इस बात पर विचार नहीं होना चाहिए कि बैंक की शाखाओं का एक्सपैंशन भी उसी गति से होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस पर ध्यान दिया जाये कि अगर मुझे चैक कैश कराने के लिए जिला मुख्यालय में आना पड़ता है, तो मुझे क्या सुविधा मिली? आप बड़े-बड़े गांवों को ईकाई मानिए। जब गतिविधियां बढ़ी हैं, बैंकों पर लोड बढ़ा है, जिम्मेदारियां बढ़ी हैं तो बैंक की शाखाओं का भी विस्तार होना चाहिए, एक्सपैंशन होना चाहिए। गांव-गांव में बैंक की स्थापना होनी चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि हर सांसद को एक आदर्श गांव बनाना है। शिकायत हो रही थी कि सरकारी महकमें सुविधा नहीं दे रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। आदर्श गांव को बनाने की जो नीति बनाई गई है, उसमें थोड़ा-बहुत योगदान हमारा होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि आज कम से कम इतनी बात ही हो जाए कि आज ही माननीय मंत्री जी घोषणा कर दें कि जितने भी आदर्श गांव का चयन हुआ है, हर गांव में एक बैंक की शाखा निश्चित रूप से खोली जाए। हम लोग ही शुरुआत नहीं करेंगे तो और कौन शुरुआत करेगा। आदर्श गांव हवा में तो बनना नहीं है। आदर्श गांव तभी बनेगा जब हम अपना योगदान देंगे।

महोदय, मैंने मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का पूर्ण समर्थन करते हुए कुछ सुझाव दिए हैं। इनमें से एक सुझाव यह भी है कि बैंक की गतिविधियों में इतना विस्तार हुआ है कि बैंक गांव तक पहुंचा है। मनरेगा के लाभार्थियों का भुगतान खाते में होता है, अन्य अनुदानों की धनराशि भी खाते में आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन-धन योजना की घोषणा की और करोड़ों लोगों के खाते खोले गए। इनमें अधिकांश लोग गांव में रहने वाले हैं। अगर गांव में बैंक की शाखा नहीं होगी, उनको शहर में आना पड़ेगा। गांवों में बैंक न होने के कारण गरीब आदमी तक लाभ नहीं पहुंच पाता है। मैं विशेष रूप से आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की उस योजना, जिस पर आपत्ति की जा रही थी, को पूर्णतः सफल करने के लिए जितने आदर्श गांव का चयन माननीय सांसदों द्वारा हुआ है, आपके द्वारा यहीं से शुरुआत हो जाए, घोषणा की जाए कि हर आदर्श चयनित गांव में राष्ट्रीय बैंक द्वारा शाखा की स्थापना निश्चित रूप से होगी। यह सभी की मांग है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है, इसका महत्व तभी दिखाई देगा जब सबको लगेगा कि सरकार इसके बारे में गंभीर है, यह संशोधन लाई है और इस संशोधन के साथ माननीय वित्त मंत्री जी ने इसकी घोषणा भी की है और इसका पालन भी होगा।

महोदय, जिस प्रकार से बैंक बढ़ रहे हैं, जिन सुविधाओं को देने के लिए संशोधन बिल लाए हैं, आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। आप गांवों को जोड़िए, देहातों को जोड़िए जहां देश की 70 प्रतिशत आबादी रह रही है। हम इनको शहर में आने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? मेरा आपसे विशेष रूप से अनुरोध है कि आपके मन में जो भावना है, सरकार के मन में जो भावना है, उसे फलीभूत करने के लिए हर गांव में संख्या निर्धारित कर दें कि 5000 की आबादी वाले गांव में बैंक की शाखा होगी। मेरा अनुरोध है कि आप कम से कम एक मानक निर्धारित कर दें ताकि गांव बैंक की सुविधा से वंचित न रहे। यह सब होने से समझा जाएगा कि हम वास्तव में इसके लिए गंभीर हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

13-05-2015

[अनुवाद]

श्री एस. सेल्वकुमारचिन्नायन (इरोड): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर के लिए अध्यक्षपीठ का आभारी हूँ और हमारे नेता मानबुमिघु अम्मा का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस गणराज्य सदन में इरोड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का यह अवसर दिया।

1881 में वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक के आलोक में परक्राम्य लिखित अधिनियम बनाया गया था। इसलिए, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के कई वर्षों बाद, 1988 में ही एक संशोधन किया गया, जिसके तहत बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों को इस अधिनियम के दायरे में लाया गया। चेक का अनादर, चाहे धन की कमी के कारण हो या सत्यनिष्ठा की कमी के कारण या किसी अन्य कारण से, सभी संबंधित पक्षों के लिए समस्याएँ पैदा करता है। इस संबंध में कई न्यायालयों में मुकदमे भी चलाए गए, लेकिन 1 अगस्त, 2014 को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने पूरी तस्वीर ही बदल दी।

परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत, न्यायालयों की अधिकारिता, या तो जब भुगतानकर्ता या जब भुगतानकर्ता अदालत जाने पर विवाद का विषय था, लेकिन 2014, में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, यह अधिकारिता वहाँ सीमित है जहां नामधारित बैंक स्थित है।

देश भर में कई बार एसोसिएशनों के साथ-साथ उद्योग संघों, वित्तीय संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों ने सरकार के ध्यान में इस फैसले का व्यावसायिक हित पर प्रभाव डाला। उन्होंने डिफॉल्टरों को दी जाने वाली अनुचित सुरक्षा के बारे में भी बताया। यह व्यवसायियों को तत्काल नकद व्यवसाय का सहारा लेने के लिए भी मजबूर कर रहा है क्योंकि क्रेडिट व्यवसाय का प्रबंधन करना मुश्किल हो गया है। यह देखते हुए कि इससे व्यापार की मात्रा में कमी आएगी, वस्तुओं की भारी कमी होगी, कीमतों में वृद्धि होगी और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा सभी कम कर संग्रह से ऊपर, केंद्र सरकार ने इस संशोधन को लाना आवश्यक समझा ताकि मूल स्थिति को बनाए रखा जा सके और चेक के भुगतान करने वाले लाभान्वित हो सकें।

अब, यह संशोधन केवल उस अदालत द्वारा मामले दायर करने का प्रावधान करता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में भुगतानकर्ता की बैंक शाखा या जहां भुगतानकर्ता भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करता है वह स्थित

है। मैं व्यापारिक समुदाय और केंद्र व राज्य सरकारों दोनों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं। इस विधेयक में संशोधनों को लेकर विभिन्न विधिज्ञ संघों के समर्थक भी बहुत खुश हैं।

इस समय, मैं सरकार को यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि वे निम्नलिखित कानूनी कार्यवाही शुरू करने पर विचार कर सकते हैं: (1) जहां चेक जारी किया गया था; (2) जहां चेक अनादरित हो गया था; (3) जहां शिकायतकर्ता रहता है; और (4) जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि यह विधेयक पूर्वव्यापी प्रभाव से आना चाहिए।

मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्हें मैंने हाल ही में इस संबंध में एक पत्र लिखा था, जिसमें पूरे देश में व्यापारिक समुदाय और कानूनी बिरादरी दोनों की शिकायतों को उठाया था। इस विधेयक पर अपना समर्थन व्यक्त करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

13-05-2015

प्रो. सुगाता बोस (जादवपुर): मैं इस सरकार द्वारा लाए गए परक्राम्य लिखित (संशोधन) विधेयक पर अपनी पार्टी की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह विधेयक अधिनियम की धारा 138 के तहत सुनवाई किए जाने वाले मामलों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के संबंध में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास करता है। मैं वित्त राज्य मंत्री - जो सभा में मौजूद हैं - से पूछना चाहता हूं कि वह हमें उस समस्या के पैमाने पर स्पष्टीकरण दें जिसका हम सामना कर रहे हैं। मैंने पाया कि 9 दिसंबर 2014 को वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा दिए गए एक उत्तर में कहा गया था कि: "31 जुलाई 2013 तक विभिन्न अदालतों में चेक बाउंस और अनादरण से संबंधित लंबित मामलों की कुल संख्या 21,94,022 मामले थे।"

हालाँकि, हमने पाया है कि विधि आयोग की एक प्रतिवेदन है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि, वास्तव में, इस प्रकृति की आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करने वाले मामलों की संख्या 40 लाख थी, और अकेले दिल्ली में 5.5 लाख से अधिक लंबित हैं। इसलिए, जब राज्य मंत्री अपना जवाब देने के लिए खड़े होंगे, तो हम समस्या के पैमाने का स्पष्ट अंदाजा लगाना चाहेंगे। लेकिन अगर,वास्तव में, लंबित मामलों की संख्या, वित्त मंत्री के अनुसार, पिछले साल के जुलाई तक केवल 22 लाख से कम है, तो भी, मैं कहूंगा,20 लाख मामले बहुत अधिक हैं।

जब मैं इस प्रकार के आँकड़े देखता हूँ तो दो बिंदु होते हैं, जो हमें बहुत कुछ कहने पर मजबूर कर देते हैं। सबसे पहले, भारत, अपने आर्थिक, मौद्रिक और वित्तीय इतिहास में, हमेशा अपने परक्राम्य उपकरणों की परिष्कृत प्रकृति के लिए जाना जाता है। परक्राम्य उपकरण जो लंबी दूरी के व्यापार का वित्तपोषण करते हैं, उपकरण जिन्हें हम *हुंडी* या *सुफ़्ताजा* के नाम से जानते थे, ने इस देश के व्यापारियों को उप-महाद्वीप में और भारतीय महासागर की दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इस उप-महाद्वीप के तटों से परे सभी व्यापार करने में सक्षम बनाया।

जब हमारे पास इतने सारे चेक बाउंस होते हैं, अनादरित होते हैं, तो हम पाते हैं कि विश्वास पर आधारित हमारी समझौता योग्य उपकरणों की पूरी प्रणाली पूरी तरह से टूट गई है क्योंकि जब कोई चेक जारी किया जाता

है, तो वह अनादरित नहीं होने वाला है। यह मूल रूप से विश्वास का उल्लंघन है, जो अतीत में हमारे परक्राम्य दस्तावेजों का आधार था।

दूसरी विशेषता जो आंकड़ों को देखकर मुझे बहुत चिंतित करती है, वह है लंबित मामलों की संख्या। यह विशेष संशोधन विधेयक केवल समस्या के किनारों को छेड़ता है। इस सरकार से हमें व्यापक न्यायिक सुधारों की योजना चाहिए। आज 'शून्यकाल' के दौरान भी, मुर्शिदाबाद के मेरे एक मित्र ने बताया कि जिस जिले का वह प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां कितने मामले लंबित हैं। इसलिए, यह समस्या के केवल एक बहुत छोटे हिस्से का ही समाधान करेगा। मेरा मानना है कि हमें व्यापक न्यायिक सुधार लाने की जरूरत है।

एक और बात है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मैं विपक्ष के पिछले वक्ता की तरह कठोर नहीं होऊंगा, जिन्होंने कहा है कि यह विधेयक साहूकारों की मदद करता है। यदि यह छोटे कर्जदारों और जबरन वसूली करने वाले साहूकारों के बीच का मुद्दा होता, तो हम पूरे दिल से छोटे कर्जदारों के पक्ष में होते, लेकिन इस मामले में, यह उन चेकों का प्रश्न है जो जारी किए जा रहे हैं, जो किसी भी कमी के कारण सम्मानित नहीं किए जा रहे हैं। सत्यनिष्ठा के कारण या धन की अपर्याप्तता के कारण, और जो कोई भी ये चेक जारी कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि ये चेक मान्य नहीं होंगे। इसीलिए हम इस विशेष संशोधन के साथ जाने के लिए तैयार हैं।

हालाँकि, वे कौन से लोग हैं जो तथाकथित हितधारक हैं जो 1 अगस्त 2014 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिए जाने के तुरंत बाद सरकार में आए थे? हम न केवल मीडिया में पढ़ रहे हैं, बल्कि इस सरकार द्वारा बताए गए उद्देश्यों और कारणों में भी पढ़ रहे हैं कि ये वित्तीय संस्थान और उद्योग संघ थे जो सबसे अधिक चिंतित थे। मैं देख सकता हूं कि जब मुद्दा व्यापार करने में आसानी का होता है तो यह सरकार बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देती है। लेकिन क्या यह सरकार तब भी इतनी तत्परता से जवाब देगी जब प्रश्न व्यवसायों का नहीं बल्कि छोटे उपभोक्ताओं का हो? हम इस सभा में लगातार सुनते हैं कि अनेक बैंकिंग मानदंडों का सरलीकरण किया जा रहा है। जिस धूमधाम से जन धन योजना का विज्ञापन पूरे देश में हुआ है ,उसे हमने सुना है। लेकिन जब मैं अपने जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र में अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाता हूं, तो मैं लगातार उन लोगों से शिकायतें

सुनता हूं जो या तो कोलकाता शहर में रहते हैं या कोलकाता के दक्षिण में गांवों में रहते हैं, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं कि उन्हें के.वाई.सी. मानदंडों को पूरा करने के लिए अब भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह एक वास्तविक कठिनाई है और विभिन्न मानदंडों को आसान बनाने के बारे में इस सभा में जो कहा गया है और उपभोक्ताओं को जिन वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके बीच एक अंतर है। जैसा कि बताया गया था, ऐसे कई गांव हैं, कई ग्राम पंचायतें हैं जहां कोई बैंक नहीं है, इसलिए उन बैंकों से चेक निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं है जो बाउंस हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसलिए, मैं इस सरकार से आग्रह करूंगा कि जिस तरह उन्होंने उद्योग संघों और वित्तीय संस्थानों की चिंताओं का जवाब दिया है, उसी तरह उन्हें छोटे उपभोक्ताओं, उन लोगों की चिंताओं का भी जवाब देना चाहिए जो अभी भी बैंकिंग क्षेत्र तक पहुंच से वंचित हैं।

तो, मैं बस इतना कहूंगा कि यह वास्तव में कानून का एक बहुत छोटा टुकड़ा है। देश को व्यापक न्यायिक सुधार और व्यापक बैंकिंग सुधार लाने के लिए प्रमुख कानूनों की आवश्यकता है जो हमारे देश में बहुत ही सामान्य लोगों को ऋण तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करेंगे ताकि वे वास्तव में चेक लिखने में सक्षम हो सकें। यह वह मूल अधिकार है जिससे विशेषकर उपमहाद्वीप के गांवों में रहने वाले हमारे लोगों की बड़ी संख्या को वंचित रखा गया है।

अंत में, मैं बस इस सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जन-हितैषी होने की उनकी बयानबाजी को केवल बयानबाजी तक ही सीमित न रहने दें। उन्हें कार्य करने दें, उन्हें कानून बनाने दें और हमें इस देश के नागरिकों के लाभ के लिए उन कानूनों को लागू करने दें।

13-05-2015

श्री झिना हिकाका (कोरापुट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परक्राम्य लिखित (संशोधन) विधेयक 2015 पर मुझे अपने विचार कहने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

यह विधेयक परक्राम्य लिखित अधिनियम,1881 में संशोधन की मांग कर रहा है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि बैंकिंग, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और परक्राम्य लिखित कानूनों से संबंधित परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 से 142 तक आहरणकर्ता के खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण अस्वीकृति या चेकों की अस्वीकृति या वापसी से संबंधित अपराध की हालिया समस्याओं से निपटने में कमी पाई गई।

माननीय उपाध्यक्ष: क्या मैं ट्रेजरी बेंच के सदस्यों से अनुरोध कर सकता हूं कि वे सुनें कि सदस्य क्या बोल रहे हैं? मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। आप बाहर जाकर बैठ सकते हैं। मुझे यह देखकर दुख हो रहा है कि अशांति इसी ओर से अधिक आ रही है।

...(व्यवधान)

श्री झिना हिकाका: इस संबंध में, मुझे स्पष्ट करना चाहिए कि परक्राम्य लिखित अधिनियम का उद्देश्य सामान्य व्यावसायिक लेनदेन के लिए एक विश्वसनीय वित्तीय साधन के रूप में चेक की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए चेक का उपयोग सुनिश्चित करना है। यह अंततः सुचारू व्यापार और वाणिज्य के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करेगा और चेक बाउंस के मद्देनजर ऋण चूककर्ताओं के डर के बिना बैंकों जैसे ऋण देने वाले संस्थानों को वित्तीय रूप से समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

यह कदम एक स्वागत योग्य कदम है और इसका उद्देश्य पूरे देश में चेक बाउंस मामलों की बढ़ती घटनाओं को हल करना है। 2014 के अंत तक, हमारे देश के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में अनादर या चेक बाउंस से संबंधित लगभग 35 मिलियन मामले लंबित हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे ऋण देने वाले संस्थान, उधार देने वाली एजेंसियां आर्थिक रूप से कितनी असुरक्षित हैं। यह प्रवृत्ति सुचारू व्यापार,वाणिज्य, वित्तीय लेनदेन आदि के उद्देश्य को पूरी तरह से कम कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है। इसलिए, ऐसी समस्याओं पर जल्द से जल्द अंकुश लगाना आवश्यक है।

13-05-2015

एक और बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दशरथ रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में अपने पहले के फैसले के अनुसार यह माना था कि चेक के अनादरण के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार उस न्यायालय तक सीमित है जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया था। मैं आगे बता सकता हूं कि यह विधेयक केवल उस न्यायालय द्वारा मामलों को भरने का प्रावधान करता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में भुगतानकर्ता की बैंक शाखा स्थित है जहां भुगतानकर्ता भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करता है। मेरी राय में, उल्लंघनकर्ताओं से सुरक्षा खतरे से बचने के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए शिकायतकर्ताओं के हित के अनुसार अदालतों में अधिकार क्षेत्र के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। इसलिए,मैं यह कहना चाहूंगा कि जीवन के खतरे की पृष्ठभूमि में समस्या का समाधान करना आवश्यक है, अस्वीकृति या चेक की वापसी के अपराध की जांच की जानी चाहिए और केवल उस अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर भुगतानकर्ता की बैंक शाखा स्थित है, मेरा मतलब है कि जहां भुगतानकर्ता भुगतान के लिए चेक जमा करता है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जानबूझकर चेकों की वापसी या अनादर का आधार बनाने वाले दोषियों के खिलाफ दंड का कठोर कार्य शुरू किया जाना चाहिए।

यह बहुत अच्छा कदम है। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के कुशल नेतृत्व में, हम सभी इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित करने और लागू करने के लिए तहे दिल से समर्थन करते हैं।

श्री राहुल शेवाले (मुंबई दक्षिण मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे परक्राम्य लिखित (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। विधेयक परक्राम्य लिखित अधिनियम,1881 में संशोधन करना चाहता है। मैं सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हूँ।

अधिनियम में प्रॉमिसरी नोट, विनिमय बिल, चेक को परिभाषित किया गया है और चेक बाउंस होने जैसे मुद्दों और निर्दिष्ट परिस्थितियों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है जिसके तहत चेक बाउंस की शिकायत दर्ज की जा सकती है। हालाँकि, इसमें उस अदालत के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को निर्दिष्ट नहीं किया गया जहाँ ऐसी शिकायत दर्ज की जानी है। अधिनियम में संशोधन करना वास्तव में एक अच्छा कदम है, जिसमें चेक बाउंस होने के मामले उस अदालत में दायर किए जा सकते हैं, जिसके अधिकार क्षेत्र में भुगतानकर्ता की बैंक शाखा आती है। यदि चेक जारी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित अधिकारिता के साथ अदालत में शिकायत दर्ज की गई है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ बाद में सभी शिकायतें एक ही अदालत में दायर की जाएंगी।

यदि एक ही व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न अदालतों में एक से अधिक मामला दायर किया जाता है, तो मामला उचित अधिकारिता के साथ अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बिल इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक की परिभाषा को भी संशोधित करता है। अधिनियम के तहत, इसे एक चेक के रूप में परिभाषित किया गया था जिसमें एक पेपर चेक की सटीक दर्पण छवि होती है और डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके एक सुरक्षित प्रणाली में उत्पन्न होती है। परिभाषा को किसी भी कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में खींचे गए चेक का अर्थ करने के लिए संशोधित किया गया है और जिसे डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के साथ एक सुरक्षित प्रणाली में हस्ताक्षरित किया गया है।

यह काफी प्रशंसनीय है क्योंकि न्यायक्षेत्र संबंधी मुद्दों का स्पष्टीकरण समानता के दृष्टिकोण से वांछनीय हो सकता है क्योंकि यह शिकायतकर्ता के हित में होगा और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करेगा और वित्तीय साधन के रूप में चेक की विश्वसनीयता भी बढ़ाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे सामान्य रूप से व्यापार और वाणिज्य को भी मदद मिलेगी और बैंकों सहित ऋण देने वाली संस्थाओं को चेक की बैंकिंग के कारण ऋण डिफ़ॉल्ट की आशंका के बिना अर्थव्यवस्था में वित्तपोषण जारी रखने की अनुमति मिलेगी।

मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। चूंकि पीड़ित व्यक्ति पहले ही भुगतान न करने, ब्याज, वसूले जाने वाले पैसे से भुगतान की जाने वाली अन्य बकाया धनराशि के लिए मानसिक आघात के कारण नुकसान उठा चुका है, इसके अलावा उसे कोई सुराग नहीं होगा कि बेहतर वकील कहां मिलेगा, मुकदमेबाजी की लागत और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नतीजा कब और क्या होगा। यह केवल उसकी ओर से कठिनाई है। इसलिए मेरा आग्रह है कि ऐसे मामलों में जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसी तरह, अधिकांश छोटे लेनदार मुकदमेबाजी के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि यह समय और धन की कुल बर्बादी होगी। इसके अलावा, यह केवल कानून तोड़ने वाले का पक्ष लेगा जो निर्दोष लेनदारों की मेहनत की कमाई चुरा सकता है।

एक परक्राम्य लिखित धारक को शीघ्र भुगतान की उम्मीद करने में सक्षम बनाता है क्योंकि अनादर का मतलब उन सभी व्यक्तियों के क्रेडिट को बर्बाद करना है जो लिखित के पक्षकार हैं। इसलिए, मेरा सुझाव है कि एक समय सीमा लागू की जानी चाहिए और त्वरित निर्णय के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जानी चाहिए जिससे जुर्माने सहित कुल मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

यह देखा गया है कि न्यायपालिका की प्रणाली पर अत्यधिक बोझ है और यदि हम ऐसे मामलों को सुलझाना चाहते हैं, तो हमारे लंबित निर्णयों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अंतर-राज्यीय व्यापार लेनदेन के मामले में लेनदार ऐसी किसी भी संभावित जटिलता से बचना पसंद कर सकते हैं और वैकल्पिक और जोखिम कम विकल्पों के लिए दबाव डाल सकते हैं।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि एक ईमानदार ऋणदाता द्वारा सामना की गई उपर्युक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, परक्राम्य उपकरणों की सूची एक बंद अध्याय नहीं है। वाणिज्य के विकास के साथ, नए प्रकार की प्रतिभूतियां परक्राम्य उपकरणों के रूप में मान्यता का दावा कर सकती हैं। आवश्यक संशोधनों को आगे भविष्य के लेनदेन को ध्यान में रखते हुए शामिल किया जाएगा ताकि वास्तव में हम *'सब का साथ, सब का विकास'* का दावा कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

डॉ. रवीन्द्र बाबू (अमलापुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा उत्पन्न दोहरे संकट को समाप्त करने का प्रयास करता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने दोहरा संकट उत्पन्न कर दिया था। उदाहरण के लिए, एक गरीब व्यक्ति जिसने तिरुवनंतपुरम में अपना चेक जमा किया है, उसे जम्मू-कश्मीर या उत्तर पूर्व जाना चाहिए, जहाँ उसे अपना पैसा वापस पाने के लिए अपना मामला प्रस्तुत करना है। सबसे पहले, उसने अपना पैसा खो दिया है। दूसरे, उसे चेक अनादर के अपने मामले को लड़ने के लिए दक्षिण से उत्तर तक यात्रा करनी होगी।

इसलिए, यह दोहरा खतरा जो सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय द्वारा बनाया गया था,को परक्राम्य लिखित अधिनियम में संशोधन के एक झटके के साथ अमान्य करने की मांग की गई है। हम इस कदम का तहेदिल से स्वागत करते हैं। यह विधेयक पैसे खोने वाले गरीब आदमी और जिसको न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता वाले स्थान पर जाना है,जहाँ उसे लड़ना है, उस पर की गई बाधाओं और बोझ को दूर करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द करता है। एक ही झटके में यह बाधा दूर हो गई।

यह दो और उपबंध भी बनाता है। इस अधिनियम से तीन चीजें निकलती हैं। पहला, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का निर्धारण करना है। दूसरा, बिल के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हस्ताक्षर को परिभाषित करना। तीसरा, कई स्थानों से निपटना है। कोई व्यक्ति इतने सारे व्यक्तियों को इतने सारे चेक देता है और न्यायालय इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निर्धारित करेगा। इस विधेयक में कई बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है जिनका हमने अनुभव भी किया है और जिनका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। हम तेलुगु देशम पार्टी से इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करते हैं। हम मंत्री जी को भी यह साहसिक कदम उठाने के लिए बधाई देते हैं।

श्री बी.विनोद कुमार (करीमनगर): महोदय, अपनी पार्टी की तेलंगाना राष्ट्र समिति की ओर से, हम इस परक्राम्य लिखित (संशोधन) विधेयक 2015 का समर्थन करते हैं। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2014 में पारित निर्णय के कारण आया है। भुगतान प्राप्तकर्ता को होने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए सदन में एक छोटा सा कानून लाया गया है। हम इस कानून का स्वागत करते हैं क्योंकि जिस स्थान पर भुगतानकर्ता चेक जमा करता है और उस बैंक का क्षेत्राधिकार, परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के रूप में लिया जाता है।

अन्य खंड 4 में, वह धारा 142 (अ) है जिसे वे एक नई धारा के रूप में सम्मिलित करने जा रहे हैं, यह कहा गया है कि एक ही आरोपी के खिलाफ सभी लंबित मामलों को एक ही अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। यही इस कानून का लक्ष्य और उद्देश्य है और हम इसका समर्थन करते हैं।' सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पीड़ित पक्ष की कीमत पर डिफॉल्टरों को अनुचित सुरक्षा दी थी।

मुद्दे पर आते हुए, माननीय मंत्री को विधि आयोग की सिफारिश लेनी चाहिए। अभी मेरे माननीय सहयोगी ने कहा था कि 2013 तक 37,466 मामले थे जिनमें से 20,000 मामले पिछले तीन वर्षों से लंबित हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों की लंबितता के संबंध में,25 लाख से अधिक मामले हैं। विधि आयोग ने अपनी प्रतिवेदन सं.230 में 2009 में कहा गया था कि विभिन्न अदालतों के समक्ष लंबित मामलों को निपटाने के लिए, परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत अस्वीकृत चेकों का निपटान के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जानी चाहिए। भारत सरकार, विशेष रूप से वित्त मंत्री को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि विभिन्न राज्यों में लंबित मामलों के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट तुरंत स्थापित किए जाएं, और इन फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल): उप सभापति महोदय, मैं इस सीट से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं क्योंकि सभा लगभग खाली है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: हां, आप वहां से बोल सकते हैं।

डॉ. ए. संपत: उपाध्यक्ष महोदय, परक्राम्य लिखित (संशोधन) विधेयक,2015, विधेयक सं.2015 का 151 प्रथम दृष्टया एक छोटा सा बिल है। लेकिन मैं यहां एक वकील के दृष्टिकोण से बोलना चाहूंगा। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आप एक वकील हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. ए. संपत: हां, मेरे पास अभी भी केरल की राजधानी तिरूवनन्तपुरम में एक कक्ष है। मेरे जूनियर इसे चला रहे हैं। मेरे पास अब कोई फाइल नहीं है। मेरे पास अब कोई क्लाइंट नहीं है। मैं एक वकील हूं जिसके पास कोई फाइल नहीं है और कोई फीस नहीं है। … (*व्यवधान*) मुझे आशा है, आपका हाथ घंटी पर जल्दी नहीं जायेगा। … (*व्यवधान*)

श्री ई. अहमद (मलप्पुरम): मुझे नहीं पता कि वह इतना चिंतित क्यों हैं। … (*व्यवधान*) मुझे कुछ कहने की अनुमति हो सकती है। पहली बात, उन्होंने कहा कि कोई मामला नहीं, कोई फीस नहीं। … (*व्यवधान*)

डॉ. ए. संपत: यह, 'कोई संक्षिप्त विवरण नहीं, कोई मामला नहीं, और कोई फीस नहीं' है, महोदय। … (*व्यवधान*)

श्री ई.अहमद: आपको फीस मिलेगी और आपको सब कुछ मिलेगा। … (*व्यवधान*)

डॉ. ए. संपत: मेरे विद्वान मित्र श्री जयंत सिन्हा, जो इस विधेयक का संचालन कर रहे हैं, के प्रति पूरे सम्मान के साथ मुझे खुशी है कि मुझे श्री यशवंत सिन्हा के साथ स्थायी समिति में काम करने का अवसर मिला।

आपकी अनुमति से, मैं माननीय राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि माननीय मंत्री श्री अरुण जेटली सदन में नहीं हैं। मैं राजनीति पर बात नहीं कर रहा हूं बल्कि केवल सदन के समक्ष होने वाले कामकाज पर बात कर रहा हूं, जो कि परक्राम्य लिखित अधिनियम है।

पृष्ठ 2, खंड 3 (2) में, यह कहा गया है:

"धारा 138 के तहत अपराध की जांच और सुनवाई केवल उसी अदालत द्वारा की जाएगी जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में भुगतानकर्ता की बैंक शाखा, जहां भुगतानकर्ता भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करता है, स्थित है।"

इससे व्यवसायियों के लिए नहीं, उद्योगों और वाणिज्य के लिए समस्या पैदा होती है। आज, मैं जो समझता हूं वह यह है कि भारत सरकार ने मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत एफ.डी.आई. करने का निर्णय लिया है। मुझे याद है, पंद्रहवीं लोक सभा में, जब सत्ता पक्ष के वर्तमान सदस्य विपक्ष में थे, तो वे मल्टी-ब्रांड खुदरा बाजारों में एफ.डी.आई. का पुरजोर विरोध कर रहे थे। मैं वहां था। मेरे नेता श्री करुणाकरण और अन्य भी थे। हम इसका विरोध कर रहे थे। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया आप परक्राम्य लिखित अधिनियम पर बोलें।

...(व्यवधान)

डॉ. ए.संपत: हाँ।

आपकी अनुमति से, मैं वस्तुओं और कारणों के कथन पर आऊंगा। यहां कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि चेक के अवमान के लिए क्षेत्रीय अधिकार को उन कोर्टों के भीतर सीमित किया जाता है जो कि स्थानीय अधिकार क्षेत्र के अंदर अपराध किया गया था, जो वर्तमान संदर्भ में तब होता है जब बैंक द्वारा जिस पर चेक खिंचा गया है, उस बैंक के संदर्भ में चेक को अवमानित किया जाता है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए है।

सरकार वस्तुओं और कारणों के कथन के पैरा 4 में कहती है

"सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, विभिन्न हितधारकों द्वारा सरकार को प्रतिनिधित्व किया गया है - यहां मैं 'हितधारकों' शब्द को उजागर करना चाहूंगा - जिसमें उद्योग संघ और वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं, जिन्होंने इस फैसले के व्यापक प्रभाव के संदर्भ में चिंताएं व्यक्त की हैं क्योंकि यह अविश्वसनीय रक्षा प्रदान करेगा दोषियों को त्रुटि की लागत पर पीड़ित शिकायतकर्ता के नुकसान के बजाय।"

13-05-2015

मैं यहां बकायेदारों के लिए बहस नहीं कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उपभोक्ता संगठनों से कोई सुझाव, राय या टिप्पणियां की हैं। बेशक, वे उद्योग और वाणिज्य से सुझाव लेने के लिए उदार थे। यहाँ मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक व्यावसायिक फर्म है, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ जो मुंबई में पंजीकृत है और मेरा केरल और तमिलनाडु में भी अपना व्यवसाय है।

मेरी कंपनी की शाखा त्रिची, तिरूवनन्तपुरम, डिंडीगुल, चेन्नई, कोट्टायम, कोच्चि आदि में है और लोग वाहनों या उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए वहां जाते हैं और ऋण का लाभ उठा रहे हैं। वे मेरे कार्यालयों से पैसे प्राप्त कर रहे हैं। वे चेक जारी करते हैं जो मेरे उद्यम के पास है। इसके बाद, जैसे कुछ निजी एयरलाइंस कहती हैं कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने हवाई किराए में बदलाव किया है, वे किसी बहाने से अधिक पैसे की मांग करेंगे; प्रशासनिक व्यय जैसा कुछ, जिसका भुगतान आपको चेक से करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी रसीद नहीं होगी, ठीक वैसे ही जैसे कल दिल्ली में एक पुलिसवाले ने एक महिला से पैसे मांगे लेकिन वह उसे कोई चालान नहीं देगा। दुर्भाग्य से, ऐसा होता है। इसलिए, लोग इस उद्यमी की दया पर होंगे और स्वाभाविक रूप से उन्हें भुगतान करना होगा। मेरे उद्यम के पास बिना किसी तारीख के चेक हैं। मैं कुछ तारीख रखूंगा और उन्हें मणिपुर में कहीं पेश करूंगा। ये चेक अनादरित हो जायेंगे। क्या हो जाएगा? चेक जारी करने वाले इन लोगों को केस चलाने के लिए मणिपुर तक जाना होगा।

मेरा सीधा प्रश्न यह है कि अगर आप वाणिज्य, उद्योग आदि के हितों की रक्षा कर रहे हैं तो आम आदमी के हितों की रक्षा करना न केवल आपका सम्मान है बल्कि आपका कर्तव्य भी है। आपको इन सभी लोगों को अदालत में क्यों घसीटना चाहिए?

मुझे कुछ सुझाव देने हैं। लेन-देन का स्थान शिकायतकर्ता को प्रस्तुत करने का मानदंड होना चाहिए और शिकायत में क्षेत्राधिकार और लेन-देन की दलील शामिल होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 एक आपराधिक मामले के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारित करती है परक्राम्य लिखित अधिनियम में संशोधन करके, हम सी.आर.पी.सी. द्वारा परिकल्पित कुछ कानूनी निहितार्थों को कैसे दूर कर सकते हैं?

कार्रवाई का कारण इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने का मानदंड है। इसलिए अधिकार क्षेत्र पक्षकारों के बीच लेन-देन के स्थान पर आधारित होना चाहिए न कि शिकायतकर्ता या आरोपी की सुविधा पर। केरल में ऋण को आगे बढ़ाने वाले बैंक की शाखाएं उत्तर भारत में हो सकती हैं। ऐसी स्थिति हो सकती है। जहां उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार शिकायत दर्ज कराई है, बैंक उनकी सनक और सनक की तरह चेक प्रस्तुत करेगा और यह लोगों के लिए उत्पीड़न होगा ताकि आरोपी पर मामले को निपटाने के लिए दबाव डाला जा सके।

संस्था या एजेंसी या उद्यमी और व्यक्ति के बीच लेनदेन के लिए, शिकायत दर्ज करने के लिए जगह तय करने के लिए उनका अपना समझौता हो सकता है और इसीलिए मैंने संशोधन के लिए नोटिस दिया है। मेरे संशोधन हैं और मुझे नहीं पता कि मंत्री जी को उन्हें स्वीकार करने में खुशी होगी या नहीं। उसके पास बहुमत है और यह उसका अपना निर्णय है।

न्यायालय को संज्ञान लेने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह पहले से ही अनिवार्य है।

साक्ष्य के अलावा शिकायतकर्ता की उपस्थिति पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार कह रही है कि शिकायतकर्ता को डिफॉल्टर की दया पर छोड़ दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। यहां प्रत्येक पोस्टिंग में आरोपी की उपस्थिति अनिवार्य है और इसलिए किसी भी अदालत में मामला चलाने से शिकायतकर्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरोपी अनुमान को खारिज करने के लिए अपने मामले का बचाव कर सकता है।

विधायिका नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए भी बाध्य है, जैसे कि वे वित्तीय संस्थान के हितों की रक्षा कर रहे हैं।

महोदय, यदि यह विधेयक इस सत्र के अंतिम दिन देर रात तक इस सभा द्वारा अधिनियमित हो जाता है तो हम अधिक से अधिक आत्महत्याएं देखेंगे क्योंकि लोग अब साहूकारों की दया पर निर्भर हैं। किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं। गरीब लोगों ने आत्महत्या की है। उन्होंने आत्महत्याएं की हैं क्योंकि वे कर्ज में डूबे हुए हैं। तो, महोदय, यह आम आदमी के लिए फांसी की सजा होगी। महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक

को कानून और न्याय की स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए था और उस समिति को विभिन्न हितधारकों से पर्याप्त सबूत लेने चाहिए थे और उसके बाद ही इसे पारित किया जाना चाहिए था। धन्यवाद।

अपराह्न 03.00 बजे

श्री वरप्रसाद राव वेलागापल्ली (तिरुपति): मैं परक्राम्य लिखित अधिनियम में संशोधन पर बोलने का अवसर देने के लिए अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं।

संशोधन मुख्य रूप से मुख्य अधिनियम की धारा 138 से संबंधित है जो चेक बाउंसिंग मामलों से संबंधित है। चेक बाउंस के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि पहले के वक्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया है, इसने 40 लाख मामलों के खतरनाक आंकड़े को छुआ है, अकेले दिल्ली में 5.5 लाख मामले हैं। वास्तव में, वृद्धि इतनी अधिक है कि ये मामले न्यायिक प्रणाली का गला घोंट रहे हैं क्योंकि अन्य मामलों के लिए समय नहीं मिल पा रहा है।

इस तरह के लंबित होने का एक मुख्य कारण धारा 138 के तहत मामले दर्ज करने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र में अस्पष्टता है। वर्तमान संशोधन आवश्यक हो गया था क्योंकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि चेक के अनादरण का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार जिला अदालत है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है, जिसका अर्थ है कि जहां चेक का अनादर हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इससे संबंधित अन्य सभी शिकायतों को भी उस विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

मुख्य अधिनियम सारांश परीक्षण और समझौता योग्य अपराध का प्रावधान करता है। 1999 के एक मामले को संदर्भित करना प्रासंगिक है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्षेत्राधिकार की बहुलता के बारे में बात की थी। एक ओर, यह कहता है कि इसे केवल एक विशेष न्यायालय को संदर्भित किया जाना चाहिए और दूसरी ओर यह क्षेत्राधिकार की बहुलता के बारे में बात करता है। मेरी राय में, शिकायतकर्ता को विकल्प दिया जा सकता है जो पीड़ित है। इसलिए, इस विरोधाभास को देखते हुए, कई हितधारकों ने इस संबंध में शिकायत की है। इसलिए, शिकायतकर्ता को मामला दर्ज करने के संबंध में विकल्प दिया जाना चाहिए।

13-05-2015

वर्तमान संशोधन यह भी निर्धारित करता है कि यदि एक ही दराज के खिलाफ एक से अधिक अभियोजन दायर किया जाता है, तो इन सभी मामलों को एक ही अदालत में भेजा जाना चाहिए। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सभी मामले एक विशेष अदालत में जाते हैं, तो पक्षपात की संभावना होती है जिससे अदाकर्ता या भुगतानकर्ता पर असर पड़ेगा। इसलिए शिकायतकर्ता को एक विकल्प दिया जाना चाहिए।

फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप एक स्वागत योग्य कदम है और हम इसकी सराहना करते हैं। यह सूचना प्रौद्योगिकी के साथ चलता है। लेकिन उन्होंने इसे इतना सरल बना दिया है कि वे इसे सी.आर.पी.सी. से जोड़ना भी भूल गए हैं। यह सी.आर.पी.सी. के अनुभाग 177,178 और 179 के साथ मेल नहीं खाता है। इसलिए, इस संशोधन में सी.आर.पी.सी. के साथ-साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आर.टी.जी.एस. और अंतर-बैंक मोबाइल भुगतान प्रणाली के संबंध में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था ताकि इसे केवल एक मुद्दे तक सीमित रखने के बजाय अधिक व्यापक बनाया जा सके।

इसलिए, मेरी राय है कि केवल यही एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा जब तक कि इसे अधिक व्यापक संशोधन नहीं बनाया जाता है।

13-05-2015

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज यहां 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2015' के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार द्वारा इस तरह की मुहिम चलाए जाने का स्वागत करता हूं, क्योंकि जहां बड़ी-बड़ी कंपनियां चेक जारी कर देती थीं और छोटे-छोटे लोगों को शहरों में जाकर उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़नी पड़ती थीं। आज सरकार की ओर से यह एक कदम है, जिसके तहत इस तरह के अत्याचार को रोकने के लिए हमारा सदन एक बिल पारित करने जा रहा है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को एक ही सुझाव देना चाहूंगा। जिस तरह से मेरे से पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि आप केवल बड़े उद्योगों के बारे में ही नहीं, बल्कि उन छोटे लोगों के बारे में भी सोचिए, जिन्हें बड़े उद्योग चेक दे देते हैं और वे चेक बाउंस हो जाते हैं। उनके पास भी बराबर का अधिकार होना चाहिए कि जहां उनका गृह क्षेत्र है, वहां वे उन पर मुकदमा कर सकें। बड़ी कंपनी तो दिल्ली में, मुम्बई में, कोलकाता में रजिस्टर्ड है और कोई गांव का व्यक्ति दिल्ली में आकर बड़े वकीलों को रख कर उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके लिए भी कोई अमेंडमेंट क्लॉज़ इसके अंदर लाना चाहिए। मेरा तो यही सुझाव है।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

13-05-2015

[अनुवाद]

एडवोकेट जॉयस जॉर्ज (इडुक्की): महोदय, परक्राम्य लिखित (संशोधन) विधेयक 2015 के संबंध में, मैं सरकार के एक पहलू से सहमत हूं क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उलझन को दूर करने के लिए अत्यावश्यक है,जिसमें डी.आर. राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि जहां आहरणकर्ता का बैंक स्थित है, वह क्षेत्राधिकार क्षेत्र में आता है। उस कमी को आवश्यक रूप से दूर किया जाना चाहिए। लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए, सरकार अब केवल तभी अधिकार क्षेत्र तय कर रही है जब चेक भुगतानकर्ता के बैंक के समक्ष संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

पहले, 1999 में भास्करन बनाम शंकरन वैद्य बालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने पांच स्थानों को अपने अधिकार क्षेत्र के रूप में नियत किया है और वह भी, यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 177 से 179 के विस्तृत विचार के बाद किया गया था। कार्रवाई का कारण उन स्थानों पर उत्पन्न होता है जहां आहरणकर्ता का बैंक या आदाता का बैंक स्थित है। अब, इस संशोधन के अनुसार, प्रावधान केवल उन न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र देने का है जिनके अंतर्गत आहर्ता बैंक स्थित है। यह बड़े पैमाने पर लोगों के अधिकार को प्रभावित करेगा।

जैसे कि मेरे साथी, डॉ. संपत और अन्य लोगों ने इस पर ध्यान दिलाया है, व्यवसाय को सरल बनाने के नाम पर, अगर हम गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं की मांगों को स्वीकार करते हैं, तो हम गरीब लोगों और उन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो अपने चेक का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं, जो कि उनकी गलती नहीं हो सकती है लेकिन कुछ अन्य कारणों से हो सकती है।

यदि हम इस संशोधन के अनुसार चलते हैं, तो एक व्यक्ति जो तिरूवनन्तपुरम या किसी अन्य स्थान पर एक गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम को चेक जारी करता है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय दिल्ली या कश्मीर में है, और यदि वह अपना चेक किसी अन्य स्थान पर प्रस्तुत करना चाहता है उत्तरी राज्यों में, तो उस व्यक्ति को अपना मुकदमा लड़ने और अपने लिए न्याय पाने के उद्देश्य से कश्मीर या उत्तरी राज्यों में जाना पड़ता है।

13-05-2015

हमें एक स्थिति को समझना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति के पास चेक को मानने के लिए वास्तविक शिकायत है, और यदि कोई संदेहास्पद मुकदमेबाज मुंबई या कश्मीर में मुकदमा दर्ज करने का चुनाव करता है, तो वह गरीब व्यक्ति जो तिरूवनन्तपुरम या चेन्नई में निवास कर रहा है, उसे उस स्थान पर जाकर अपना मुकदमा लड़ने और न्याय प्राप्त करने के लिए सारी दूरी तय करनी पड़ती है।

इस बिंदु को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसीलिए, मैंने एक संशोधन भी पेश किया है। सरकार को इन शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए और मुद्दे को स्थायी समिति को भेजना चाहिए।

13-05-2015

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): माननीय उप सभापति महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दरअसल, इस बिल पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

अब लोग दोहरे संकट से सुरक्षित हो जाएंगे। वास्तव में, कुछ दिन पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बड़ी संख्या में व्यापारी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उनके लिए काफी समस्याएं पैदा हो गई हैं। उन्हें ही भुगतान मिलना चाहिए, लेकिन वे बकाएदारों को अधिक से अधिक भुगतान कर रहे हैं।

इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

13-05-2015

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जवाब देने के लिए कुछ समय दिया है। मैं पहले तो सिर्फ धन्यवाद दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि करीब आठ-दस वक्ता ने इस विषय पर बोला है। यह इस सदन की महानता है और हमारे जो माननीय सदस्य हैं, उनकी सोच इतनी अच्छी है कि यह जो एक छोटा सा चार क्लॉज का बिल है, परंतु इस विषय पर भी और जो काफी टेक्निकल मामला है, फिर भी उन्होंने कई रोमांचक पहलू के बारे में चर्चा की है। माननीय सुगत बोस जी ने एक ऐतिहासिक पहलू निकाला और उन्होंने बताया कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, वह 1881 का एक्ट है। वह बहुत सालों से चला आ रहा है। हम लोगों ने उसमें काफी परिवर्तन किया है, परन्तु यह एक प्रकार का ऐतिहासिक एक्ट है, आज इसे हमारे कानून बुक में सम्मान दिया जाता है। पहला तो यह ऐतिहासिक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि यह कानूनी तरीके से इस मामले को कैसे संभाला जाये, इस मामले पर किस तरह की कार्रवाई की जाये, हमें इसके कानूनी पहलू को भी समझना है। अगर, हमें इसका समाधान करना है तो इसे बिजनस, इकॉनोमी, व्यापार और व्यवसाय के दृष्टिकोण से संभालना है। क्योंकि, अंत में इस बिल के माध्यम से हम यह करना चाह रहे हैं कि जो व्यवसाय इस देश में चल रहे सहैं, उनको आसानी से किया जाये और जो दो पार्टियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन्हें हम किस तरह से मजबूत बनायें, और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक सैंक्टिटी ऑफ लॉ और उनको इम्पलिमैन्टेशन में आसानी दी जाये। यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय देश में जो आर्थिक हालात हैं, और जो चेक्स के आंकड़े हैं, उन्हें उन पर ध्यान देना चाहिए। कई सदस्यों ने पूछा है कि कितने चेक्स बाउंसिंग के केसेज आज न्यायालयों में हैं? हम लोगों के पास जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार इस समय 21 लाख चेक बाउंसिंग के केसेज कई न्यायालयों में फंसे हुए हैं, जिनमें हाई कोर्ट्स में 42,000 केसेज हैं। बहुत बड़ी संख्या में केसेज के ऊपर कार्रवाई हो रही है। साथ-साथ 259 कोर्ट्स सिर्फ चेक बाउंसिंग के लिए स्थापित किये गये हैं। आपको इससे पता चलेगा कि हमारा जुडिशियल सिस्टम इसमें बहुत फंसा हुआ है, उससे बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, खासकर हमारे जो व्यापारी हैं, जो व्यवसाय का काम कर रहें हैं उनको इससे काफी समस्या हो रही है। अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आयी है, जिसका जिक्र कई माननीय

सदस्यों ने किया है, जिसमें यह कह दिया गया है कि अगर आपको कोई केस फाइल करना है तो आप केस वहां फाइल करिए, जहां चेक इश्यू होता है, उससे और भी बड़ी समस्या हो सकती है।

मैं इसके दो महत्वपूर्ण पहलू आप लोगों को समझाना चाहता हूं। आप किसी भी टेलीकॉम कम्पनी को ले लीजिए, जिसके करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। अक्सर, यह होता है कि कई सब्सक्राइबर्स अपना बिल नहीं देते हैं, जब वह लोग बिल नहीं भरते हैं और उनके चेक बाउंस कर जाते हैं तो उस टेलीकॉम कम्पनी के लिए या कोई छोटा व्यापारी भी हो, जिसके पास 10, 20 या 25 ग्राहक हों, जिनके चेक बाउंस कर गए हैं, वह मुंबई में है तो वह कहां-कहां जाकर लाखों लोगों के विरूद्ध कोर्ट में केस फाइल करेगा और बोलेगा कि आपको जो हमें पैसा देना था, वह हमें दीजिए। यह बड़ा इम्प्रैक्टिकल मामला है। कोई इस तरह से अपना व्यापार और व्यावसाय नहीं चला सकता है। इसलिए हम लोगों को यह कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इसको किस तरह से कनविनिएंट बनायें। इसको इस तरह से चलायें जिसमें जो बिजनसेज हैं, अगर उनके हजारों या लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके चेक बाउंस कर गये हैं, वे एक जगह केस फाइल करके कार्रवाई करें। इसलिए इसको कनविनिएंट बनाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी, वह बड़ी इम्प्रैक्टिकल थी, उसको हम लोग कनविनिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय सदस्यों ने कहा है कि इससे सामान्य जनता को हानि होगी क्योंकि आप कॉमन मैन को खिंच कर कहीं और ले जाइएगा और उस पर आप कार्रवाई चालू करवा दीजिएगा, आप उसे न्यायालय में ले जाइएगा।

माननीय सदस्यों को मैं यह समझाना चाहता हूं कि 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' के पहले 50 प्रतिशत लोगों के पास तो बैंक एकाउंट्स ही नहीं थे तो वे चेक्स के साथ क्या कर सकते थे? आप जिन गरीबों की यह बात कर रहे हैं कि उनके साथ वे फंस जायेंगे, उनके पास तो बैंक एकाउंट्स ही नहीं थे, उनके पास चेक्स भी नहीं थे तो वे किस तरह से इस चंगुल में फंसते, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं। इसलिए यह उन गरीब किसानों के लिए नहीं है, जिसके पक्ष में आप बहस कर रहे हैं, यह उन लोगों के लिए है जो डिफॉल्टर्स हैं। जिन्होंने किसी से एक सर्विस ली या किसी से कोई चीज खरीदी तो फिर उसके लिए जो पैसे देने चाहिए थे, वह उसे नहीं दिये। इसके लिए उन पर जो कार्रवाई करनी चाहिए, उसको कनविनिएंट बनाने के लिए हम लोगों ने बिल पेश किया

है। बहुत सारे लोगों ने आकर हम लोगों को रिप्रजैन्टेशन दिये हैं। बहुत लोगों ने कहा है कि हम लोग यह नहीं कर पायेंगे तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेन्ट की इंटीग्रिटी है। माननीय सूगत बोस जी कह रहे थे कि हिन्दुस्तान में एक इतिहास है, उसकी इंटीग्रिटी पर एक बड़ा धब्बा आयेगा और यह मुश्किल होगा कि हम उसे कैसे आगे बढ़ायें।

इसके साथ-साथ हमारी कोशिश यह भी है कि आगे के समय और भी 'कैशलेस' सोसायटी की तरफ चलें, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेन्ट्स से काफी सारे ट्रांजैक्शंस कर सकें। अगर इलैक्ट्रॉनिक पेमैंट्स का डिफॉल्टर्स पर कलैक्ट नहीं कर पाएंगे तो वहां भी बहुत बाधाएं आएंगी और हम कैशलैस सोसाइटी की तरफ नहीं जा पाएंगे। इस सबका समाधान करने के लिए, फाइनैंशियल सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए जिसमें ब्लैक मनी को कम किया जाए, कैशलैस सोसाइटी की तरफ चला जाए। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि फाइनैंशियल इनक्लूजन होना चाहिए। शाखाएं नहीं हैं इसलिए हमें कोई न कोई सुधार लाना चाहिए। इन सब चीजों को मजबूत बनाने के लिए जिसमें मोबाइल बैंकिंग कर पाएं, इलैक्ट्रॉनिक पेमैंट्स कर पाएं, इस प्रकार के एक्ट की बहुत सख्त जरूरत थी। इसलिए हमने यह एक्ट पेश किया है। कई माननीय सदस्यों ने इसके लिए सहयोग और समर्थन प्रकट किया है। इसलिए हमें विश्वास और भरोसा है कि अगर आप इस बिल के लिए समर्थन दें तो जिस प्रकार हमने अभी तक जन-धन योजना में बहुत अच्छी तरह लोगों को फाइनैंशियल इनक्लूजन में जोड़ दिया है, आज हर परिवार का बैंक में खाता खुल गया है। हम इससे सिस्टम की इंटैग्रिटी को मजबूत बनाएंगे, कैशलैस सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं, बिजनस कौरैस्पौंडेंस, मोबाइल बैंकिंग आदि आधुनिक टैक्नोलॉजी का प्रयोग कर पाएंगे। इस प्रकार सिस्टम को मजबूत बनाते हुए, नई-नई टैक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हर व्यक्ति चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो या बड़े-बड़े बिजनस हों, सबको आधुनिक, डिजिटल इकोनॉमी में लाकर सुविधा पहुंचा पाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

मैं इस विधेयक को पारित करने के लिए सभा की सराहना करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री एस.एस. अहलुवालिया (दार्जिलिंग): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि व्यापार बढ़ाने के लिए इनकी जरूरत है। मैं गवाह हूं। जब सैक्शन 138 ऐड किया गया था, मैं उस कमेटी का सदस्य भी रहा हूं जिस कमेटी ने रिपोर्ट दी और यह बना था। तब हायर-परचेज का जमाना था और हायर-परचेज इंडस्ट्री हमारी कंट्री में नहीं आ रही थी क्योंकि पीडीसी का सिस्टम नहीं था, 138 सैक्शन नहीं था। सैक्शन 138 लाया गया था कि हायर-परचेज आगे बढ़े। हायर-परचेज में सबसे ज्यादा ऑटो इंडस्ट्री आई। ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर साइकिल, कार से लेकर ट्रक तक अभी हायर-परचेज में लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट से पहले केरल हाई कोर्ट ने एक जजमैंट दी। केरल हाई कोर्ट की जजमैंट को ही जस्टिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमैंट दी। जजमैंट की मेन चीज है कि क्रिमिनल जुरिसपुडैंस कहता है कि प्लेस ऑफ औकरैंस, क्राइम कहां हुआ। अगर किसी का चैक बाउंस हुआ है, जहां मर्डर हुआ है प्लेस ऑफ औकरैंस वहां हुआ है। उस औकरैंस को ही एविडैंस माना जाता है और उस पर कार्यवाही होती है। प्लेस ऑफ औकरैंस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां चैक बाउंस हुआ है, उसी को प्लेस ऑफ औकरैंस माना जाए और केसेज़ वहीं फाइल हों।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जितनी ऑटो इंडस्ट्रीज हैं, सबकी फाइनैंस कम्पनियां हैं। किसी का चेन्नई में हैडक्वार्टर है, किसी का मुम्बई में हैडक्वार्टर है, किसी का नासिक में है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उप सभापति: श्री आलूवालिया, आपको एक विशिष्ट प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए।

श्री एस.एस.अहलुवालिया: मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। मुझे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यह स्पष्टीकरण है जिसे हमें आम आदमी के लाभ के लिए चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: आपका क्या कहना है? आप बताइए।

13-05-2015

श्री एस.एस.अहलुवालिया: मुझे एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मेरा कहना यह है कि कल उत्तर-पूर्वी राज्य का एक व्यक्ति एक विशेष ब्रांड का वाहन खरीदता है जिसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है। 'घटना का स्थान' का अर्थ उत्तर-पूर्वी राज्य की उस शाखा से है जहां चेक बाउंस हुआ। मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा कि केस उस ब्रांच ऑफिस में दायर किया जाए जहां चेक बाउंस हुआ हो। वित्त कंपनी कहेगी," नहीं, मामला मुंबई में दायर किया जाएगा। " तो उत्तर-पूर्वी राज्य के व्यक्ति को, मिजोरम के व्यक्ति को मुंबई जाकर केस लड़ना होगा। क्या वह जीवित रह सकता है? क्या उसे न्याय मिल सकता है? यही मेरा बिंदु है। यहां मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि सरकार सामने आकर कहे कि हम उन्हें न्याय देंगे. … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पहले ही बहस में भाग ले चुके हैं। अब, आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): माननीय मंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है?

श्री एम.आई. शानवास: माननीय मंत्री सामाजिक प्रभाव के बारे में भूल गए हैं। मैं व्यापारिक मुद्दों और लेन-देन को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। गरीब किसान द्वारा साहूकार से कर्ज लेने का सामाजिक प्रभाव क्या है? इसका उत्तर क्या है?

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): जहां तक कार्रवाई के कारण और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, इसे संबंधित कानूनों में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। हम कह सकते हैं कि यह एक विशेष कानून है। यह एक व्यवस्थित सिद्धांत है। विभिन्न घोषणाओं में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की उस परिभाषा के आधार पर, यदि हम क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार या कार्रवाई का कारण प्रदान करते हैं जो बहुत अच्छी तरह से जोर दिए जाने से कुछ अलग है, तो मुझे लगता है, यह एक स्थिति पैदा कर सकता है। गरीब लोगों के लिए बहुत भ्रम है। वे उस स्थान पर संपर्क नहीं कर सकते जहां कंपनियों द्वारा मुकदमा दायर किया गया है। मेरा निवेदन है कि इन सभी चीजों का समाधान कैसे किया जाए। जब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा प्रादेशिक अधिकारिता और कार्रवाई का कारण तय कर लिया गया है, तो क्या यह इस प्रतिष्ठित सदन द्वारा बनाए गए कानून के साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले को बदल पाएगा?

13-05-2015

प्रो. सुगाता बोस (जादवपुर): माननीय मंत्री ने व्यापक उत्तर दिया है लेकिन मैं स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा। हमारा संविधान शक्तियों का विभाजन करता है। हम कानून बनाते हैं, और इस संसद में कानूनों में संशोधन करते हैं लेकिन न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या कर सकती है। उच्चतम न्यायालय के फैसले से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए जब हम कानून में संशोधन कर रहे हैं तो हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। मैं चाहता हूं कि मंत्री इस सभा को आश्वस्त करें कि यह कानून, भले ही छोटा है, कानून और न्याय विभाग द्वारा पूरी तरह से जांच की गई है, और यह किसी भी न्यायिक जांच में खरा उतरेगा।

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. संपत, आप पहले ही संशोधन दे चुके हैं।

डॉ. ए. संपत: विधेयक में यह कहा गया है। एक ही भुगतानकर्ता के खिलाफ धारा 138 से उत्पन्न होने वाली सभी बाद की शिकायतें उसी अदालत के समक्ष दायर की जाएंगी, भले ही वे चेक उस अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए हों। क्या यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता, किसी विशेष अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न उठाने जैसा नहीं होगा? सी.आर.पी.सी. और हमारे देश में मौजूद अन्य दंडात्मक कानूनों के अलावा, हम किसी अदालत के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को कैसे परिभाषित कर सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह (आरा) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इस कानून का कुप्रभाव आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। चूंकि आम आदमी के पास बैंक अकाऊंट नहीं है, इसलिए वह लोन पर कार या मोटरसाइकिल नहीं लेता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अगर कोई लोअर मीडिल क्लास का आदमी लोन लेकर पटना में कार लेता है और उसका केस पूना में होता है तो क्या वह आम आदमी नहीं है? इससे आम आदमी को बहुत परेशानी होगी।

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदय, मैं मंत्री जी से एक ही क्लेरिफिकेशन चाहता हूं, अभी मंत्री जी ने बताया कि मोबाइल कंपनी करोड़ों सब्सक्राइबर तक पहुंचती है। अगर हम मोबाइल कम्पनीज की बात करें, तो गरीब से गरीब आदमी के पास आज मोबाइल फोन है। आप कहते हैं कि जहां उसका हैडक्वार्टर है, वहां पर जाकर वह

13-05-2015

गरीब आदमी, सिरसा के एक छोटे से गांव से उठकर मुम्बई में एक टेलीफोन कम्पनी के विरोध में कैसे लड़ेगा, इसकी आप मुझे क्लेरीफिकेशन दीजिए।

13-05-2015

[अनुवाद]

श्री जयंत सिन्हा: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों ने फिर से कई अच्छे बिंदु उठाए हैं, जिन पर आसानी से ध्यान दिया जा सकता है और मैं इसे क्रम से करूंगा।

मुझे लगता है कि पहला बिंदु जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने बात की है वह आम व्यक्ति का प्रश्न है और मैं उस पर व्यापक रूप से विचार करूंगा। माननीय सदस्यों ने एक बहुत ही वैध चिंता व्यक्त की है।

एक मामला बनाया गया कि अगर कोई गरीब किसान है जो साहूकार के चक्कर में है और वह साहूकार इस किसान से उगाही करेगा क्योंकि वह अपने स्थान से कहीं दूर मुकदमा दायर करेगा। यह मामला पेश किया गया था।

श्री आलूवालिया द्वारा प्रस्तुत दूसरा मामला एक ऑटो रिक्शा चालक का मामला है, जिसने अपना ऑटो-रिक्शा चेन्नई में स्थित एक किराया खरीद कंपनी से खरीदा है और वह अपना ऑटो-रिक्शा दिल्ली में चला रहा है। उस व्यक्ति का क्या होता है?

फिर, तीसरा मामला जो माननीय सदस्य श्री दुष्यंत चौटौला ने प्रस्तुत किया वह एक मोबाइल ग्राहक का मामला था जिसके पास हरियाणा के सिरसा में एक मोबाइल फोन है। वह व्यक्ति मुंबई जाकर केस कैसे लड़ेगा?

ये तीन उदाहरण प्रस्तुत किए गए। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि इनमें से प्रत्येक मामले में माननीय सदस्यों की आशंकाएं निराधार क्यों हैं।

सबसे पहले मैं मोबाइल केस से शुरुआत करता हूं क्योंकि इसके बारे में बात करना सबसे आसान है। मोबाइल फोन के मामले में, अधिकांश लोग, हमारे भारत में मौजूद मोबाइल ग्राहकों में से 90 प्रतिशत से अधिक, प्री-पेड ग्राहक हैं, यानी, आप नकद में अग्रिम भुगतान करते हैं और इसमें कोई चेक शामिल नहीं होता है। इसलिए, हरियाणा में किसी को केस लड़ने के लिए मुंबई जाने के लिए मजबूर करने का यह मामला शायद कभी नहीं उठेगा क्योंकि ज्यादातर ग्राहक प्री-पेड ग्राहक हैं जो नकद भुगतान करते हैं। तो, वास्तव में उस मामले में चेक शामिल होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ... (*व्यवधान*)

श्री दुष्यंत चौटाला: इस देश में पोस्ट-पेड मोबाइल ग्राहक भी हैं। उनके साथ क्या होता है? … (*व्यवधान*)

श्री जयंत सिन्हा: ठीक है। पोस्ट-पेड ग्राहक भी हैं जो आमतौर पर चेक या क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान करते हैं। अधिकांश मोबाइल कंपनियों की नीति यह सुनिश्चित करने की है कि ग्राहक अपना बकाया चुकाएं। … (*व्यवधान*) यदि किसी ग्राहक ने लगातार दो या तीन महीने तक अपने बिल का भुगतान नहीं किया है, तो यह मोबाइल कंपनी के अधिकार में होगा कि वह ग्राहक की सेवा बंद कर दे या उसे अपना बकाया भुगतान करने के लिए कहे। यदि वह प्री-पेड ग्राहक है, तो ग्राहक के पास तब तक सेवा रहेगी जब तक उसने इसके लिए भुगतान किया है। पोस्ट-पेड ग्राहकों के मामले में, यदि उन्होंने दो या तीन महीने तक अपना बकाया नहीं चुकाया है, तो यह कंपनी का अधिकार है कि या तो सदस्यता रद्द कर दे, जो वे आम तौर पर तीन महीने के बाद करते हैं या यदि डिफॉल्टरों की संख्या बड़ी है , फिर वे बकाया वसूलने का प्रयास करेंगे, यही कारण है कि हमारे पास अभी जितने मामले हैं, उतने हैं। मुझे लगता है कि यह मोबाइल फोन ग्राहकों के मामले को संबोधित करता है। … (*व्यवधान*)

अब, हम दूसरे मामले पर आते हैं। … (*व्यवधान*) महोदय, मुझे लगता है कि मैंने उस बिंदु को संबोधित किया है। … (*व्यवधान*) मैं झुकने वाला नहीं हूं। … (*व्यवधान*) आइए अब बात करते हैं उस ऑटो-रिक्शा चालक के मामले की जिस पर कर्ज है। … (*व्यवधान*)

श्री एस.एस. अहलुवालिया: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ऑटो-रिक्शा का उल्लेख नहीं किया है। मैंने कहा 'ऑटो' जिसका मतलब ट्रक भी है। माननीय मंत्री जी यह न कहें कि यह गरीबों का मामला है। किसी भी नागरिक को इस कठिनाई में डाला जा सकता है जो मैंने समझाया है। हम यहां कानून बनाने के लिए हैं और हम सभी नागरिकों की मदद करना चाहते हैं। … (*व्यवधान*)

श्री जयंत सिन्हा: महोदय, मैं उनकी चिंता को समझता हूँ। मैं बताता हूँ। कानून क्या कहता है? इस विधेयक के खंड 3 (2) में कहा गया है:

> "धारा 138 के तहत अपराध की जांच और सुनवाई केवल उसी अदालत द्वारा की जाएगी जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में भुगतानकर्ता की बैंक शाखा, जहां भुगतानकर्ता भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करता है, स्थित है।"

उदाहरण के लिए, यदि किसी ने दिल्ली में किसी उपभोक्ता वित्त कंपनी या बैंक से ऑटो-रिक्शा या ऑटोमोबाइल ऋण या कोई अन्य ऋण खरीदने के लिए ऋण लिया है, तो यह बहुत दुर्लभ है कि वह चेक वहां जमा करने के लिए मुंबई भेजा जाएगा, कंपनी वहीं है। अधिकांश उपभोक्ता वित्त कंपनियां इसे दिल्ली की उस शाखा में जमा करेंगी जहां अपराध किया जाएगा। … (*व्यवधान*) यह बिल्कुल स्पष्ट है। तो, मुझे लगता है, यह उस प्रश्न का उत्तर देता है। … (*व्यवधान*)

अब, किसान और साहूकार के मामले में, उनमें से अधिकांश नकद लेनदेन हैं। यह परक्राम्य उपकरणों के बारे में है; यह उन प्रकार के नकद लेनदेन के बारे में नहीं है। तो, मुझे लगता है, वह डर भी निराधार है। तब एक प्रश्न था, इस बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी कि क्या इसकी पूरी तरह से जांच की गई है। हर दूसरे कानून की तरह, जो भारत सरकार इस महती सदन में प्रस्तुत करती है, वह कंपनी मामलों के विभाग को जाता है और कुछ इस तरह; यह कानून मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय को जाता है। इसलिए इसकी अच्छी तरह से जांच की जाती है। इस महती सदन में माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले इसकी बहुत सावधानी से जांच की जाती है। इसलिए, आपको उस मामले के बारे में काफी आश्वस्त होना चाहिए।

अंत में अदालतों के समक्ष समेकन के प्रश्न के बारे में, मैंने आपको बताया कि आज हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां लगभग 21 लाख मामले लंबित हैं। यदि हमें न्यायिक दक्षता और सुव्यवस्थितता सुनिश्चित करनी है, तो हमें इन मामलों को समेकित करना होगा। चेक कई अलग-अलग स्थानों पर प्रस्तुत किए जाते हैं। यह न्यायिक दक्षता और न्यायिक सुव्यवस्थित सुनिश्चित करने के लिए है। इसलिए, मुझे लगता है कि इन सभी को एक विशेष अदालत में समेकित करना एक बहुत ही सुविचारित प्रावधान है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर खंड-दर-खंड विचार करेगा।

प्रश्न यह है:

खंड 2 धारा 6 का संशोधन

"कि खंड 2 विधेयक का हिस्सा हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 धारा 142 का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. ए. संपत, क्या आप अपने संशोधन संख्या .1 को खंड 3 में स्थानांतरित कर रहे हैं?

डॉ. ए. संपत: हां, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 2, लाइन 13, -

के बाद"न्यायालय जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में है"

"बैंक या" दर्ज करें। " (1)

महोदय, आपकी अनुमति से और भारत सरकार, विशेष रूप से मेरे विद्वान मित्र, वित्त राज्य मंत्री के प्रति उचित सम्मान के साथ, उन्होंने इस प्रतिष्ठित सभा में जो तर्क दिया है, वह आत्मघाती है। … (*व्यवधान*) यहां वो बिना किसी आंकड़े के, बिना किसी आंकड़े के गरीब आदमी और आम आदमी की बात कह रहे हैं। इसके बीच क्या अंतर है? जनधन योजना के संबंध में सरकार ने कार्ड भी जारी किए। वह यह मान कर चल रहे

हैं कि गरीब लोग चेक जारी नहीं करेंगे। भारत सरकार इस बात पर भी जोर दे रही है कि सभी लोगों के बैंक खाते होने चाहिए। वैसे भी, हम बिना किसी बैंक खाते के ऋण नहीं ले सकते हैं। साथ ही, माननीय सदस्य ने विभिन्न उदाहरणों का हवाला दिया है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं अब धारा 3 में डॉ. ए. सम्पत द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सदन के मत के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: एडवोकेट जॉइस जॉर्ज, क्या आप अपना संशोधन संख्या .2 खंड 3 में ले जा रहे हैं?

एडवोकेट जॉइस जॉर्ज (इडुक्की) : हाँ, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ

"पृष्ठ 2, पंक्तियां 13 और 14,--

"भुगतानकर्ता, जहां भुगतानकर्ता भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करता है",

"ड्रॉवर, जहां चेक का अनादर किया जाता है" दर्ज करें। " (2)

माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट है कि यह विधेयक बिना सोचे-समझे सदन में लाया गया है। सरकार जमीनी हकीकत को भी नहीं समझ रही है। परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही का दुरुपयोग करने के उदाहरण हैं। कुछ दूरस्थ स्थानों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं; इसलिए कई मामले हैं। माननीय मंत्री इन सभी मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहे हैं। इसलिए, मैं संशोधन का प्रस्ताव करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं अधिवक्ता जॉइस जॉर्ज द्वारा प्रस्तुत खंड 3 में संशोधन संख्या 2 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. ए. संपत, क्या आप अपने संशोधन संख्या .3 को खंड 3 में स्थानांतरित कर रहे हैं?

डॉ. ए. संपत: हां, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 2, लाइन 14, -

के बाद " अवस्थित है",

"जब तक कि अधिकार क्षेत्र के स्थान के संबंध में आहर्ता और आदाता के बीच कोई विशिष्ट समझौता न हो।" दर्ज करें। " (3)

वैसे भी, मुझे उम्मीद है कि यह एक व्यर्थ अभ्यास नहीं होगा। न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, चाहे वह निचली अदालत हो या उच्च न्यायालय। कभी-कभी, निश्चित रूप से, अपने विवेक को पराजित करके, ट्रेजरी बेंच मेरे संशोधन को पराजित करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन वे अपने विवेक को पराजित नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा आएगा जब आम आदमी आपकी तरफ उंगली उठाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष: मैं अब धारा 3 में डॉ. ए. सम्पत द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सदन के मत के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 के तहत नई धारा 142अ को सम्मिलित करना

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. ए. संपत, क्या आप अपने संशोधन अंक 4 को खंड 4 में स्थानांतरित कर रहे हैं?

डॉ. ए. संपत: हां, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 2, लाइन 29, -

के बाद "उस अदालत",

13-05-2015

"जब तक कि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के संबंध में आहर्ता और आदाता के बीच कोई विशिष्ट समझौता न हो"। दर्ज करें। (4)”

13-05-2015

इस संशोधन सं. 4 पृष्ठ 2, पंक्ति 29 के लिए है। यह खंड 4 उप-धारा (2), पंक्ति 29 के लिए है।

यह है:

"...एक ही भुगतानकर्ता के खिलाफ धारा 138 से उत्पन्न होने वाली सभी बाद की शिकायतें उसी अदालत के समक्ष दायर की जाएंगी, भले ही वे चेक उस अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए हों।"

मैं यहाँ जो जोड़ना चाहूँगा वह है, 'उस न्यायालय' शब्दों के बाद, 'जब तक कि आहर्ता और आदाता के बीच कोई विशिष्ट समझौता न हो...' (*व्यवधान*)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): संपतजी, अपना संशोधन पेश करें या इसे वापस ले लें।

डॉ. ए. संपत: निशिकांत जी, तो आप संशोधन पेश करें। मैं बैठ जाऊंगा। आप ट्रेजरी बेंचों और यहां भी दोनों स्थानों पर भूमिका निभा सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री संपत, अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

डॉ. ए. संपत: इसलिए, मैं यहां "उस न्यायालय" के बाद शब्द जोड़ना चाहूंगा, 'जब तक कि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के संबंध में आहर्ता और आदाता के बीच कोई विशिष्ट समझौता न हो।' यह एक बहुत ही प्रासंगिक कानूनी बिंदु है। सत्ता पक्ष में मेरे दोस्तों को कानून का कुछ अनुभव है। मैं यह केवल अधिवक्ताओं के लिए नहीं कह रहा हूँ। सपने दिखाना ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम किसी ऐसी चीज में प्रवेश कर रहे हैं जो एक दोष है। अगर हम इस तरह से इस विधेयक को पारित करने जा रहे हैं तो यह भी असंवैधानिक है। इसलिए, मुझे यह संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं डॉ. ए. संपत द्वारा प्रस्तुत खंड 4 में संशोधन अंक 4 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

13-05-2015

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

"धारा 1, लागू करने का सूत्र और लंबा शीर्षक विधेयक में जोड़े गए।".

श्री जयंत सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

यह विधेयक पारित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

यह विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13-05-2015

<u>अपराह्न 03.37 बजे</u>

राज्य सभा का संदेश और राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक*

माननीय उपाध्यक्ष: अब, महासचिव।

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की प्रतिवेदन करनी है:-

'मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश दिया गया है कि 17 दिसंबर, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा पारित कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 को 13 मई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में राज्य सभा द्वारा निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित किया गया है:-

<u>अधिनियमन सूत्र</u>

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 पर, "पैंसठवें" शब्द ***<u>के</u>*** स्थान पर "छियासठवें" शब्द को ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।

<u>खंड1</u>

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 2 पर, चित्र "2014" ***<u>के</u>*** लिए, चित्र "2015" को ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।

<u>खंड 4</u>

3. कि पृष्ठ 1 पर, 15 से 17 पंक्तियों ***<u>के लिए</u>***, निम्नलिखित को ***<u>प्रतिस्थापित</u> किया जाए,*** अर्थात्: -

"4. मूल अधिनियम की धारा 11 का हटा दिया जाएगा।"

---

* सभा पटल पर रखा गया।

13-05-2015

धारा 11
का हटा
दिया गया।

नए खंड
18क का
सम्मिलन।

धारा 248
का
संशोधन।

<u>नया खंड 22</u>

5. कि पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 31 के ***<u>बाद</u>***, निम्नलिखित ***<u>अंतःस्थापित</u> किया जाए,*** अर्थात्: -

[अनुवाद]
नए खंड 22
सम्मिलित।

"22. मूल अधिनियम के धारा 462 में, उप-धारा (2) के लिए, निम्नलिखित उप-धारा से स्थानांतरित किया जाएगा:

धारा 462
का संशोधन।

" (2) उपधारा (1) के तहत जारी करने के प्रस्तावित प्रत्यक्ष, हर दिन, संसद के प्रत्येक सभा के समक्ष मसौदे में रखा जाएगा, जब तक कि सत्र हो, यह तीस दिनों का एक कुल अवधि के लिए है, और अगर, दोनों सभा सहमत हैं कि अधिसूचना की प्रतिक्रिया देते हैं या अगर दोनों सभा सहमत हैं कि अधिसूचना में कोई संशोधन करें, तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी, या यथासंभव उस संशोधित रूप में जारी की जाएगी जैसा कि दोनों सभाों द्वारा सहमति प्राप्त हो।"

(3) उप-धारा (2) में संदर्भित जैसे ही किसी ऐसी 30 दिनों की अवधि को मान्यता देने के लिए, उस अवधि के दौरान कोई भी विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उप-धारा (2) में संदर्भित सभा को विधिक रूप से प्रविष्ट किया या चार लगातार दिनों से अधिक के लिए विलंबित किया नहीं गया है।

(4)इस धारा के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की प्रतियां, जारी होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, संसद के प्रत्येक सभा के समक्ष रखी जाएंगी। ".".

अत, मैं राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबन्धों के अनुसार उक्त विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटाता हूं कि उक्त संशोधनों पर लोक सभा की सहमति की सूचना इस सभा को दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाए गए कंपनी (संशोधन) विधेयक,2014, को सभा पटल पर रखता हूं।

13-05-2015

अपराह्न 03.38 बजे

व्हिसिल ब्लोअर्स संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय उपाध्यक्ष: अब, हम मद सं. 14 लेंगे - श्री जितेंद्र सिंह।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं:

यह विधेयक व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम,2011 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

[हिन्दी]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्हिसल ब्लोअर प्रोटैक्शन अमेंडमेंट बिल 2015. 11 मई, 2015 को इस सदन में इंट्रोड्यूस किया गया था। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल है और इसकी विशेषता यह है कि सदन के प्रत्येक वर्ग की चिन्ताएं इससे जुड़ी है एवं समय समय पर प्रत्येक वर्ग ने इसका समर्थन भी किया है। संक्षेप में इस बिल के तीन पहलू हैं। एक- प्रशासन पारदर्शिता बढ़ाई जाए; शासन में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास।[हिन्दी] दूसरे,भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो व्यक्ति शिकायत करे,उसकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तीसरा यह पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए,यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी भी बरती जा सकती है कि प्रकटीकरण भारतीय गणराज्य के आवश्यक सुरक्षा उपायों अर्थात् सुरक्षा,संप्रभुता और अखंडता को खतरे में नहीं डालते हैं।[हिन्दी] इस बिल को लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि व्हिसल ब्लोअर बिल 2011 जब राज्य सभा से वर्ष, 2014 में पारित किया गया था तो कुछेक संशोधन उसमें सुझाये गये थे जो सदन के प्रत्येक वर्ग को लगभग स्वीकार भी थे परंतु

सत्र का समापन होने जा रहा था और पन्द्रहवीं लोक सभा का भी वह आखिरी सत्र था, इसलिए राज्य सभा में जब उसे पारित किया गया तो किन्हीं कारणों से वे संशोधन, वे अमेंडमेंट उसमें सम्मिलित नहीं किये गये। उसी खामी की भरपाई और पूर्ति करने के लिए इस बिल को पुन: इस सदन में लाने की आवश्यकता महसूस हुई है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> यह विधेयक व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम,2011 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): उपाध्यक्ष महोदय, व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण (संशोधन) विधेयक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जिसे पहली बार यू.पी.ए. सरकार द्वारा इस सभा में लाया गया था। यह कानून कार्यवाही अत्याचार के खिलाफ एक जंग के रूप में कार्य कर सकता है, जो प्रशासनिक व्यवस्था में घुस गया है; और जिस पर अक्सर विभिन्न आरोप उठते रहते हैं।

अपराह्न 03.41 बजे (**श्री के. एच. मुनियप्पा** *पीठासीन हुए*)

महोदय, जब मैं इस कानून पर चर्चा में भाग ले रहा हूं, तो यह जानकर खेद है कि सिद्धांत अधिनियम के स्वर और भाव को कमजोर कर दिया गया है। इसीलिए इस सरकार की ईमानदार मंशा पर अब प्रश्न उठ रहे हैं।

महोदय, इतिहास इस बात का गवाह है कि मुखबिर हमेशा से रहे हैं, जो अंदर की बात दूसरों को बता देते थे। यहां तक कि प्राचीन यूनानियों ने भी सदियों पहले ध्यानाकर्षण के बारे में बात की थी। लिकोर्गोस,एथेनियन वक्ता,ने लियोक्रेटिस के खिलाफ अपने भाषण में कहा:

उन्होंने कहा कि न तो कानून और न ही न्यायाधीश कोई परिणाम ला सकते हैं, जब तक कि कोई गलत काम करने वालों की निंदा न करे। ”

महोदय, यहां तक कि किंग मार्टिन लूथर भी कहते हैं:

"अच्छे इंसानों की चुप्पी बुरे लोगों की क्रूरता से ज्यादा खतरनाक होती है।"

इसलिए मैंने इस विधेयक पर गंभीरता से विचार किया है।

महोदय, प्राचीन भारत में भी 'व्हिसलब्लोअर' की अवधारणा अस्तित्व में थी। कौटिल्य ने प्रस्तावित किया:

13-05-2015

“कोई भी मुखबिर *(सुचक)* अपराध की समाप्ति के तहत घोटाले के बारे में जानकारी प्रदान करता है, और यदि उसे इसे सिद्ध करने में सफलता मिलती है, तो उसे उस धनराशि का एक-छठाई भाग इनाम के रूप में प्राप्त होगा; अगर वह कोई सरकारी सेवक (*भृतक*) होता है, तो उसी क्रिया के लिए उसे उस धनराशि का एक-बारहवां भाग प्राप्त होगा।" "

महोदय, 'व्हिसल-ब्लोइंग' शब्द संभवतः रेफरी या अंपायर के अनुरूप उत्पन्न हुआ है, जो सीटी बजाकर किसी खेल में बेईमानी की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करता है, जो कानून प्रवर्तन अधिकारियों और आम जनता दोनों को खतरे के बारे में सचेत करेगा। यही कारण है कि एक व्हिसिल ब्लोअर हमें उस व्यापक भ्रष्टाचार के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने की कोशिश करता है जिसने हमारे देश के विभिन्न प्रशासनिक निकायों को संक्रमित कर दिया है। यही इस कानून को बनाने का उद्देश्य होना चाहिए।

महोदय, मैं यह बात बहुत संक्षेप में कह सकता हूं। एक प्रसिद्ध व्हिसलब्लोअर ने कहाः

"मेरे प्रमुख ने मुझसे कहा कि मैं उसके प्रति वफादार नहीं हूं,और मैंने उससे पूछा,""मुझे क्या होना चाहिएः आपके प्रति वफादार या आपके संगठन के प्रति वफादार?"

इसलिए, सरकार को एक मजबूत व्हिसलब्लोअर सुरक्षा बनानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग प्रशासन या कार्यालय के प्रति वफादार हैं, उन्हें संरक्षित और सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे बिना किसी डर के, बिना किसी डर के अपनी बात बोल सकें। यह इस कानून का मूल उद्देश्य है जिसे मैं समझता हूँ।

महोदय, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में व्हिसलब्लोअर की विभिन्न श्रेणियां मौजूद हैं। इनमें आंतरिक व्हिसल-ब्लोइंग, बाहरी व्हिसल-ब्लोइंग, अलुमिनी व्हिसल-ब्लोइंग, खुली व्हिसल-ब्लोइंग, व्यक्तिगत व्हिसल-ब्लोइंग, अवैयक्तिक व्हिसल-ब्लोइंग और कॉर्पोरेट व्हिसल-ब्लोइंग शामिल हैं। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम,2011 भारत की संसद का एक अधिनियम था। यह किसी भी लोक सेवक द्वारा कथित भ्रष्टाचार, जानबूझकर सत्ता या विवेक के दुरुपयोग की जांच करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है और यह सरकारी

निकायों, परियोजनाओं और कार्यालयों में कथित गलत कामों को उजागर करने वाले किसी भी व्यक्ति की रक्षा करता है। गलत काम धोखाधड़ी,भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का रूप ले सकता है।

व्हिसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट की उत्पत्ति इस तथ्य में निहित है कि वर्ष 2003 में, जहां तक मुझे याद है, श्री सत्येन्द्र दुबे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में हुए कुछ भ्रष्टाचार को उजागर किया था। वह एक प्रतिष्ठित इंजीनियर थे और भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद, श्री मंजूनाथ ने एक पेट्रोल पंप के संबंध में भ्रष्टाचार का भी खुलासा किया जो मिलावटी ईंधन बेच रहा था और इस घटना पर 'मंजूनाथ' नामक एक फिल्म भी बनाई गई थी। बताया गया है कि कई व्हिसिल ब्लोअर्स मारे गए हैं। इस साल अप्रैल से तीन व्हिसिल ब्लोअर्स को बेरहमी से मार दिया गया है क्योंकि कानून के अभाव में उन्हें अपेक्षित सुरक्षा कवच प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए, व्हिसिल ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए कानून समय की आवश्यकता है।

इस अधिनियम को देश की नौकरशाही में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के अभियान के हिस्से के रूप में भारत के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और लोक सभा द्वारा 27 दिसंबर,2011 को पारित किया गया था। विधेयक एक अधिनियम बन गया जब इसे 21 फरवरी,2014 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था और 9 को मई,2014 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। भ्रष्टाचार या शक्ति या विवेक के जानबूझकर दुरुपयोग की प्रतिवेदन करने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अलग कानून बनाने का निर्णय लिया गया, जिससे सरकार को नुकसान होता है या जो किसी लोक सेवक द्वारा आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं।

महोदय, आप जानते हैं कि 6 मई को इस सभा में हमारे नेता, प्रिय महोदया सोनिया गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया था। मैं उनके भाषण को उद्धृत करना चाहूंगा।

> “इस सरकार ने कई कानून लागू करने में असाधारण तात्कालिकता दिखाई है, फिर भी व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा अधिनियम, 2011 को अभी तक लागू नहीं किया गया है, भले ही इसे मई, 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई हो। यह अधिनियम व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा के लिए आवश्यक है जो आर.टी.आई. अधिनियम के व्यापक उपयोगकर्ता हैं। ये सभी भ्रष्टाचार से लड़ने के उपकरण हैं और इन्हें कुंद करने से इस सरकार की वास्तविक मंशा पर गंभीर आरोप लगते हैं।"

महोदय, उन्होंने इस सभा में यह भी उल्लेख किया कि अभी भी सी.आई.सी. का पद खाली पड़ा है। चूंकि सी.आई.सी. का पद खाली पड़ा है, इसलिए सरकार उस संस्थागत तंत्र के प्रति पूरी तरह से उदासीन है जो हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्मयुद्ध छेड़ने के लिए बनाया गया है। ध्यान देने वाली दिलचस्प बात यह है कि माननीय महोदया सोनिया गांधी जी द्वारा उठाए गए मुद्दे के बाद, सरकार को कानून लाने के लिए प्रेरित किया गया। सच तो यह है कि महोदया सोनिया गांधी के दबाव के कारण ही यह सरकार झुकी है। हालाँकि, इस विधेयक के निर्माण में राजनीतिक चालाकी बहुत स्पष्ट है।

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैंने अभी अपना भाषण शुरू किया है। महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम के तहत व्हिसलब्लोअर द्वारा प्रकट की जाने वाली जानकारी को काफी हद तक कम करने का प्रस्ताव दिया है। 2011 यदि संशोधन पारित हो जाता है, तो कोई व्हिसिल-ब्लोअर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923, के तहत संरक्षित दस्तावेज़ और जानकारी प्रदान नहीं कर पाएगा, जिससे सरकार के सभी वर्गीकृत और गुप्त दस्तावेज़ पहुंच से बाहर हो जाएंगे। व्हिसिल-ब्लोअर को ऐसी किसी भी जानकारी का खुलासा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसे सरकार और उसकी एजेंसियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदान करने से छूट प्राप्त है।

नतीजतन, एक संभावित व्हिसिल-ब्लोअर ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दे पाएगा जो न केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ-साथ सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकती है, बल्कि राज्य के रणनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हितों को भी प्रभावित कर सकती है। हम सभी अपने देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए चिंतित हैं। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता की आड़ में, हमें मूल अधिनियम के उद्देश्यों के स्वर और भाव को कमजोर नहीं होने देना चाहिए।

13-05-2015

वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा से संबंधित जानकारी भी तब तक सीमा से बाहर होगी जब तक सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) के माध्यम से प्राप्त नहीं की जाती। इससे किसी भी कथित कॉर्पोरेट गलत काम को उजागर करने वालों के लिए जगह काफी कम हो जाएगी।

किसी दलाल या वकील या एजेंट द्वारा प्रत्ययी क्षमता के तहत रखी गई जानकारी को लीक करना भी कानून द्वारा संरक्षित नहीं किया जाएगा जब तक कि जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्राप्त न की गई हो। इसी तरह, ऐसी जानकारी जो जांच या आशंकाओं या अपराधियों के अभियोजन में बाधा डाल सकती है, वह भी कानून के दायरे से बाहर होगी। इसके अतिरिक्त, जिस जानकारी को किसी व्यक्ति की 'निजता का अनुचित आक्रमण' कहा जा सकता है, वह भी कानून के दायरे में नहीं आएगी जब तक कि मूल रूप से आर.टी.आई. के माध्यम से प्राप्त न की जाए।

महोदय, मैं इस संबंध में केवल दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम 2011 में न तो वित्तीय प्रोत्साहन के साथ व्हिसलब्लोअर को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है, न ही कॉर्पोरेट व्हिसलब्लोअर्स से संबंधित कोई प्रावधान है। यह अपने अधिकार क्षेत्र को निजी क्षेत्र तक विस्तारित नहीं करता है और इसमें उत्पीड़न की परिभाषा शामिल नहीं है। इसके अलावा, अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी बहुत सीमित हैं और यदि शिकायतकर्ता सक्षम प्राधिकारी के किसी भी आदेश से संतुष्ट नहीं है तो उसे अपील का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। अपील प्रावधान केवल जुर्माना लगाने से संबंधित प्रदान किए गए हैं।

इसलिए, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे पहले, व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम के अर्थ और अवधारणा के बारे में जानकारी का प्रसार होना चाहिए।

व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2011 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि निजी उद्यमों को सुरक्षा शामिल की जा सके। व्हिसलब्लोअर संरक्षण नियमों के तहत गठित एक विशेष समिति द्वारा एक मॉडल व्हिसलब्लोअर नीति तैयार की जा सकती है।

व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम,2011 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि उन व्हिसलब्लोअर्स को प्रोत्साहन दिया जा सके जिनके खुलासे सुनवाई के बाद सही साबित होते हैं और उनमें दम होता है।

13-05-2015

व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम,2011 को भी संशोधित किया जाना चाहिए ताकि 'पीड़िता' की परिभाषा को शामिल किया जा सके। संशोधन बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा अधिनियम मुखबिरों को उनके उत्पीड़न से बचाने से संबंधित है और यदि शब्द ही स्पष्ट नहीं है तो पूरे अधिनियम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अधिनियम के तहत गठित सक्षम प्राधिकारी पूर्ण गुमनाम खुलासे की बात नहीं करता है। अधिनियम व्हिसलब्लोअर की पहचान उजागर करने का प्रावधान करता है।

महोदय, हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को देखने के लिए सी.वी.सी. एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। लेकिन सी.वी.सी. एक बहुत ही कमजोर संस्था बन गई है क्योंकि यह अब एक बिना सिर वाली संस्था, बिना सिर वाली मुर्गी बन गई है। सर्वोच्च न्यायालय सी.वी.सी. को अधिक शक्ति और शक्ति प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सरकार इसे एक कुशल और सक्षम प्राधिकारी बनाने में विफल रही है।

महोदय, मैं स्वामी विवेकानंद जी को उद्धृत करूंगा जिन्होंने कहा था कि हर राष्ट्र को महान बनाने के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं:1) अच्छाई की शक्ति का विश्वास; 2) ईर्ष्या और संदेह की अनुपस्थिति; 3) उन सभी की मदद करना, जो अच्छा बनने और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस सरकार से आग्रह करूंगा कि जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वे कानून के माध्यम से सहयोग दें ताकि वे अपनी अच्छाई को इस समाज की वृद्धि और विकास में बदल सकें। इसीलिए, मैं इस कानून का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि यह इस सरकार द्वारा अपनाई जा रही ध्यान भटकाने वाली रणनीति है। इसलिए, मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूँ कि इस विधेयक को पूरी तरह से अवलोकन के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण का समापन करता हूं।

13-05-2015

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायप्रश्न (पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात रखने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। अधीर रंजन जी बहुत पैशनेट भाषण दे रहे थे कि क्यों यह बिल लाया गया, कैसे लाया गया। यह सच है कि यू.पी.ए. सरकार के तीन बिल थे, जिनके लिए इनको बहुत पैशन था। एक लैण्ड एक्विजिश बिल था, दूसरा फूड सिक्योरिटी बिल था और तीसरा विसल ब्लोअर बिल था। ...*(व्यवधान)* लैण्ड एक्विजिश बिल में कितनी कमियां थी, ये आज उजागर हो चुकी हैं और ये लोग कल इतना एग्रेसिव थे, हमको खूब अच्छे से समझ में आता है क्योंकि इनकी मजबूरी है। हम चाहते हैं कि यह बिल पास हो और गांवों में सिंचाई की सुविधा हो, गांवों में बिजली की सुविधा हो, गांवों में सड़क बनें, उद्योग-धंधे बनें, जिससे किसानों को विकास मिले। ...*(व्यवधान)* यह इनके लिए भी सर्ववाइवल का प्रश्न है कि अगर यह सब हो गया तो सन् 2019 में ये 44 से 4 हो जाएंगे, इसीलिए इसका विरोध करने की इनकी मजबूरी है। दूसरा, इनका बहुत फेवरेट बिल, फूड सिक्योरिटी बिल है। उस समय मैं विरोधी दल का सांसद था, हम लोग गुजरात गए थे, तब भी हम लोगों को माननीय प्रधान मंत्री जो आज के हैं, उन्होंने उस समय मुख्य मंत्री के रूप कहा था कि यह बिल गलत है, आप लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। यह भी बिल कमाल का है। आपके परिवार में तीन बच्चे हैं तो आपको 35 किलों के बदले 15 किलो अनाज मिलेगा, लेकिन अगर आपके परिवार में 8 बेटे, 6 बेटियां मिला कर 16 सदस्य हैं, तो आपको 80 किलो अनाज मिलेगा, मतलब कि 4 बच्चे और पैदा कर लो और एक क्विंटल अनाज खाओ, फूड सिक्योरिटी बिल यही है। तीसरा इनका विसल ब्लोर बिल है। जिसके लिए मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 6 मई को बहुत ही पैशनेट भाषण दिया था। ...*(व्यवधान)* अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, आप क्यों घबरा रहे हो? उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। ...*(व्यवधान)* वही तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने साथ इसलिए दिया, क्योंकि उसकी आत्मा ठीक थी, पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गलत था। अब मैं विसल ब्लोअर बिल पर आता हूँ।...*(व्यवधान)* अगर वाकई सोनिया जी को इंट्रेस्ट था कि यह विसल ब्लोअर बिल पास हो और यह कानून बने, तब ये कंस्टिट्यूशनल

पोस्ट पर थीं, यू.पी.ए. की चेयरपर्सन थी और उस समय उनके मंत्री ने हाऊस में असत्य बोला था। उस समय उनको ठीक करना चाहिए था। मैं उसके लिए कोट करना चाहूंगा। नारायण सामी जी, जो उस समय मंत्री थे, उनकी बात को कोट करना चाहूंगा। ...(व्यवधान) ठीक है, मैं यह कह देता हूँ कि उस समय के मंत्री ने असत्य बोला था। ...(व्यवधान) यूपीए के मंत्री नारायण सामी जी ने असत्य बोला था। ...(व्यवधान) सर, मैं वह पढ़ना चाहूंगा। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: यदि कोई असंसदीय शब्द है तो उसे हटा देना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायप्रश्न: सभापति महोदय, नारायण सामी जी ने 21 फरवरी को राज्य सभा में बोला कि -

> [अनुवाद]
> "अब, महोदय, क्योंकि यह राज्य सभा में सत्र का आखिरी दिन होने जा रहा है, सरकार चाहती है कि विधेयक, जैसा कि लोक सभा द्वारा पारित हो चुका है, पर विचार किया जाए; हम विधेयक उठाना चाहते थे। जहां तक मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का प्रश्न है, जो माननीय विपक्ष के नेता द्वारा दिए गए हैं... "

...(व्यवधान) महोदय, मंत्री जी का भाषण कहीं भी उद्धृत किया जा सकता है। … (*व्यवधान*) मैं मंत्री के भाषण को शब्द से पढ़ रहा हूं। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायप्रश्न: महोदय, इसमें आगे लिखा है:

> "जहां तक मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का प्रश्न है, जो विपक्ष के माननीय नेता द्वारा दिए गए हैं, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है, मैं उन्हें वापस लेना चाहूंगा; अन्यथा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसलिए, महोदय, मैं एक देता हूं"

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुडा (रोहतक): महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है और किस नियम के तहत है?

श्री दीपेन्द्र सिंह हुडा: उन्होंने मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी है। … (*व्यवधान*) महोदय, यह नियम 354 के तहत है। … (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 04.00 बजे</u>

महोदय, नियम 354 कहता है:

> "परिषद में दिया गया कोई भी भाषण सभा में तब तक उद्धृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी मंत्री द्वारा नीति का एक निश्चित बयान न हो"

यह किसी मंत्री का निश्चित बयान नहीं है। … (*व्यवधान*) संविधान ने परिषद में दिए गए भाषणों को उद्धृत करने के लिए प्रतिबंध लगाया है, और यही कारण है कि कानून में यह व्यवस्था का प्रश्न है। … (*व्यवधान*) संविधान ने लोक सभा पर किसी भी सदस्य के लिए एक भाषण उद्धृत करने का प्रतिबंध लगाया है, जो परिषद में दिया जाता है, जो कि राज्य सभा है, क्योंकि परिषद का संबंधित सदस्य कारण बताने के लिए यहां नहीं है। … (*व्यवधान*) यही कारण है कि यह व्यवस्था का प्रश्न है। … (*व्यवधान*) ऐसा इसलिए है क्योंकि संबंधित सदस्य यहां वह संदर्भ बताने के लिए नहीं हैं जिसमें उन्होंने यह कहा है, और संदर्भ यह है कि हमें खाद्य सुरक्षा लागू करने का पूरा विश्वास था, लेकिन हम आपकी चिंता का समाधान करना चाहते थे। … (*व्यवधान*)

कुमारी सुष्मिता देव (सिलचर): हां, यह उनका अनुरोध था। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: महोदय, नियम 354, जैसा कि ठीक ही पढ़ा गया है, कहता है कि:

> "परिषद में दिया गया कोई भी भाषण सभा में तब तक उद्धृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी मंत्री द्वारा नीति का एक निश्चित बयान न हो"

यह पहली बात है। तो, उसे अलग से वैसे ही पढ़ना होगा। इसके अलावा, यदि किसी अन्य सदस्य द्वारा उद्धृत करने के लिए इसके अलावा कुछ भी है, तो केवल यह दूसरा पैराग्राफ लागू होगा। वह एक मंत्री के बयान से उद्धृत कर रहे हैं, और मुझे लगता है, इसकी अनुमति दी जा सकती है।

डॉ. संजय जायप्रश्न: चेयरमैन तो खुद मंत्री रह चुके हैं. ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी**]**

माननीय सभापति : दुबे जी, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदय, प्वाइंट ऑफ आर्डर 355 कह रहा है कि :

> [अनुवाद] "जब, चर्चा के दौरान स्पष्टीकरण के प्रयोजन से या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, किसी सदस्य को सदन के विचाराधीन किसी मामले पर किसी अन्य सदस्य से प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है"

[हिन्दी] महोदय, 355 पढ़ लीजिए और दीपेन्द्र हुड्डा साहब को बता दीजिए, व्हिसल ब्लोअर बिल में मंत्री जी ने जो कहा है, कोई भी मेंबर किसी मेंबर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, यह 355 कह रहा है।

माननीय सभापति : दुबे जी, प्लीज आप बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. संजय जायप्रश्न: अब यह आपका निर्णय है क्योंकि आप भी मंत्री थे। ... (*व्यवधान*)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुडाः महोदय, यदि सदस्य भी इस सदन का है तो नियम 355 लागू होता है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : दीपेन्द्र जी, प्लीज आप बैठिए।

... (व्यवधान)

13-05-2015

[अनुवाद]

कुमारी सुष्मिता देव: हाँ, वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, मैं इस मुद्दे पर एक व्यवस्था दूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मेघवाल जी, मैं इस मुद्दे पर अपना फैसला दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मैं इस मामले पर फैसला दे रहा हूं। इस मुद्दे पर और कोई टिप्पणी नहीं। सदस्य को इस मुद्दे पर बोलते रहने दें। हाँ, कृपया आगे बढ़ें। अब आपको विधेयक पर ही बोलना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायप्रश्र: धन्यवाद महोदय।

इसमें आगे कहा गया है :

"अब, महोदय, क्योंकि यह राज्य सभा में सत्र का आखिरी दिन होने जा रहा है, सरकार चाहती है कि विधेयक, जैसा कि लोक सभा द्वारा पारित हो चुका है, पर विचार किया जाए; हम विधेयक उठाना चाहते थे। जहां तक मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का प्रश्न है, जो माननीय विपक्ष के नेता द्वारा दिया गया है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है, मैं उन्हें वापस लेना चाहूंगा; अन्यथा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसलिए, महोदय, मैं सभा के पटल पर एक आश्वासन देता हूँ कि हमने विपक्ष के नेता और इस सभा को जो वादे किए हैं, उनके अनुपालन में,15 दिनों की नहीं, बल्कि दस दिनों की अवधि के भीतर हम समुचित संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करेंगे।

इसलिए, उन्होंने एक स्पष्ट बयान दिया है कि वह 10 दिनों के भीतर अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे।

अब, श्री नारायणस्वामी महोदया के मंत्री थे और श्रीमती सोनिया जी यू.पी.ए. की सभापति थीं। अगर वह इस बारे में इतना ईमानदार है... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: इसकी आवश्यकता नहीं है। आप विधेयक पर बोलिए।

...(व्यवधान)

कुमारी सुष्मिता देव: आप यू.पी.ए. सभापति के बारे में बार-बार बात क्यों कर रहे हैं? … (*व्यवधान*)

डॉ. संजय जायप्रश्न: आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब श्री अधीर रंजन चौधरी उद्धृत कर रहे थे, तो ऐसा कैसे हुआ कि आपको कोई समस्या नहीं हो रही थी? आपको अपनी ही पार्टी के आदमी को रोकना चाहिए था कि वह यू.पी.ए. सभापति का हवाला क्यों दे रहे थे। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : श्रीमान जयप्रश्न, कृपया सभापति को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायप्रश्न: धन्यवाद, महोदय ... (*व्यवधान*)

कुमारी सुष्मिता देव: कृपया विधेयक पर ध्यान दें। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ**.** संजय जायप्रश्न **:**सभापति जी, माननीय मंत्री जी का स्टेटमैंट मैंने बताया कि कितना एश्योरेंस देकर क्या किया। उसको भी जाने दीजिए जैसे ये लोग कह रहे हैं। इन्होंने लॉ कमीशन की प्रतिवेदन179 की भी कोई बात नहीं मानी। पिछली सरकार ने सैकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की भी कोई बात नहीं मानी। यहाँ तक कि पार्लियामैंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सात प्रमुख सुझाव थे इसको करैक्ट करने के। उनको भी नहीं माना गया। उससे भी इंटरस्टिंग फैक्ट है कि जो पब्लिक ओपीनियन बिल में लिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेज़ एंड पैंशन की वैबसाइट पर यह तब अपलोड किया गया जब यह लोक सभा में इंट्रोड्यूस हो चुका था। अब जो लोक सभा की प्रापर्टी हो गई, उसको आप वैबसाइट पर इंट्रोड्यूस करके क्या कराना चाह रहे हैं, यह हमारी समझ से परे है। उसी तरह से अधीर रंजन जी भी बहुत डाँट रहे थे कि मई में राष्ट्रपति जी ने कर दिया और आप आठ-दस महीने से बैठे हुए हैं। आप क्यों नहीं इसको लाए? हम कैसे लाते? क्या हम इस देश की नेशनल इंटीग्रिटी से समझौता करते? अपने देश की सोवर्निटी के सीक्रेट्स के लिए हमें किन्हीं विदेशियों को जासूसी पर भेजने की ज़रूरत नहीं थी। एक एनजीओ हिन्दुस्तान में खोल लेना था। आर.टी.आई. से जानकारी लेना था कि क्या हम परमाणु संपन्न देश हैं या नहीं, या हमारे टैंक हैं – आर.टी.आई. से ही मिल

जाता। कैसे हम इस बिल को ला सकते थे। इस बिल के बारे में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ और अधीर रंजन जी ने फिर उसको उठाया था कि मैडम ने बोला इसलिए यह बिल गवर्नमैंट लाई है। ऐसी बात अभी अधीर रंजन जी ने क्वोट की। सभापति महोदय, मैं बचपन से सिनेमा का बहुत शौकीन रहा हूँ। उसमें एक से एक जोड़ियाँ हमने देखी हैं - लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल, कल्याणजी-आनन्दजी, धर्मेन्द्र और माननीय हेमामालिनी जी, सलीम-जावेद जी की जोड़ी हमने देखी है। ...(व्यवधान) यहाँ भी एक जोड़ी है सीनियर नेता और जूनियर नेता की। वह जोड़ी जब भी कुछ बोलने को उठती है तो न जाने हमारे मंत्रियों को ज़ीरो आवर में क्यों इतनी जल्दी हो जाती है जवाब देने की, यह बात हमें समझ में नहीं आती है। हम लोग पोलिटिकली बी.पी.एल. लोग हैं। हमें बोलने का मौका कम मिलता है। पीछे के जितने लोग हैं, हम लोग जीरो आवर में कुछ नहीं बोल पाते हैं और पोलिटिकली इन्हीं लोगों की बात क्यों होती है, यह हमारी समझ से परे की बात है। ...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इन्होंने गलती से यह समझ लिया कि यूपीए का बिल है, इसमें अगर हम नेशनल सोवर्निटी ठीक कर दें तो यह ठीक हो जाएगा। उनको यह अहसास होना चाहिए कि यह यूपीए का बिल है, इसमें कुछ ठीक होता ही नहीं है। इनका हर बिल गलत से गलत होता है। मैं भी कुछ प्रश्न अपने मंत्री जी से पूछूँगा, वे जवाब दें।

बहुत देर से व्हिसल ब्लोअर प्रोटैक्शन एक्ट की बात हो रही है। इस पूरे बिल में व्हिसल ब्लोअर की डैफिनिशन कहाँ है, वह हमें बताएँ। उसके बाद व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट इसको बोला गया, बहुत पैशनेट स्पीच चार सालों से दी गई यूपीए सरकार में। हम भी वहाँ मौजूद थे। व्हिसल ब्लोअर को इसमें क्या प्रोटैक्शन है? इसमें कोई प्रोटैक्शन नहीं है। आप चाहे तो व्हिसल ब्लोअर का पता लग जाए तो बढ़िया से उसको पीट दीजिए, केवल आई.पी.सी. की धाराएँ लगेंगी। सिवाय इसके कि उसका नाम गुप्त रखना है, इसके अलावा उसमें कोई भी अलग से उसको या उसकी फैमिली को प्रोटैक्शन नहीं है। अगर उसकी हत्या हो जाती है तो भी कोई कंपनसेशन नहीं है।

तीसरा, विक्टिमाइजेशन की डेफिनिशन कहाँ है? विक्टिमाइजेशन एक बहुत इंपार्टैन्ट पाइंट है। उसकी डैफिनिशन कहाँ है? महोदय, यह यूपीए का बिल है, इसमें बहुत चीजें अजीबोगरीब होती हैं। फिर उसमें *फ्रिवलस*

एंड वैक्सेशियस शब्दों का यूज़ किया गया है। ...(व्यवधान) इसको परिभाषित करना इतना मुश्किल है कि ये शब्द अथॉरिटी को इतना पावरफुल कर देंगे कि इसके आगे किसी भी कंप्लेन्ट को ये सीधे रिजैक्ट कर सकते हैं। इसलिएमेरा कहना होगा कि इस पर मंत्री जी थोड़ा ध्यान देंगे और इन सबको पार कर गए तो व्हिसिल ब्लोअर मामलों से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें होनी चाहिए। जिस तरह से हम पिछले पाँच दिनों में देख रहे हैं कि किसी भी जूनियर कोर्ट का डिसीजन होता है, तो सीनियर कोर्ट से बड़े-बड़े लोग छूट जाते है। अगर इस बिल में भी किसी कारण से सफीशियैंट प्रूफ देने के बाद भी व्हिसल ब्लोअर का कलरप्रिट छूट जाता है तो व्हिसल ब्लोअर को दो साल की जेल हो जाए, यह भी पूरी तरह से उचित नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए कि रीज़नेबल सुबूत हो।

सभापति जी, हम चाहेंगे कि नरेन्द्र दाभोलकर, प्रेमनाथ झा, रामदास गावड़ेकर, विट्ठल गीते, अरुण सावंत, शशिधर मिश्रा जैसे कितने लोगों ने इसके चलते अपनी शहादत दी, उनकी हत्या की गई, इसलिए व्हिसल ब्लोअर्स के बारे में और अच्छे से सोचा जाए और यू.पी.ए. के बिल के चक्कर में नहीं पड़ा जाए।

महोदय, मैं यू.पी.ए. सरकार के बारे में सिर्फ एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा -

चमन को सींच देने में, अगर कुछ पत्तियां टूटीं,
यही इल्ज़ाम है हम पर, चमन से बेकफ़ाई का,
जिन्होंने हर घड़ी सौदा किया, गुलशन के अस्मत का,
वो दावेदार बनना चाहते हैं, रहनुमाई का।

13-05-2015

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं व्हिसिल ब्लोअर वाले संरक्षण (संशोधन) विधेयक,2015 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

यह व्हिसल ब्लोअर की मूल अवधारणा को कमजोर करने का एक प्रयास है। इन दिनों सरकारें इस तरह काम कर रही हैं। अब अंतिम दिन व्हिसल ब्लोअर संरक्षण (संशोधन) विधेयक लाने की क्या जल्दी है? वजह ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पारदर्शिता के झूठे वादों को लेकर सरकार पर हमला बोला था. उसी दिन, कैबिनेट ने बैठक की और संशोधन पारित किया जो व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम के दायरे को प्रभावी ढंग से कमजोर करता है। इसलिए, सरकार की प्रतिक्रियाएँ आम तौर पर आकस्मिक होती हैं। वे तुरंत कार्रवाई करते हैं। यदि किसी ने फूड पार्क के बारे में उल्लेख किया, तो एक मंत्री पांच हस्तक्षेप करेगा। इसलिए, वे बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सरकार को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए।

आइए मैं व्हिसल ब्लोअर्स पर मूल विधेयक की पृष्ठभूमि में थोड़ा पीछे जाता हूं। अब पश्चिम में, व्हिसिल ब्लोअर संरक्षण हर जगह मौजूद है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह संवैधानिक प्रावधान के साथ-साथ अन्य क़ानूनों के माध्यम से था। यू.के. में,जनहित प्रकटीकरण अधिनियम,1998 और रोजगार अधिकार अधिनियम,1996 है। यू.के. व्हिसल ब्लोअर कानून जो अपने नियोक्ताओं पर प्रतिवेदनिंग करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है, में जून 2013 संशोधन के कारण परिवर्तन हुआ। कानून में मुख्य परिवर्तन यह है कि कोई भी खुलासा कर्मचारियों के उचित विश्वास और सार्वजनिक हित में होना चाहिए।

अब भारत में व्हिसिल ब्लोअर्स की सुरक्षा का प्रश्न क्यों उठा? जब श्री ए.बी.वाजपेयी प्रधान मंत्री थे, तो एक श्री सत्येंद्र दुबे, एन.एच.ए.आई. के एक कर्मचारी को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में भ्रष्टाचार के बारे में प्रधान मंत्री के कार्यालय को एक पत्र लिखने के बाद मार दिया गया था। प्रधानमंत्री को उनका पत्र नियमित रूप से प्रसारित किया गया। यह उन अपराधियों के हाथों में पहुंच गया और उसे मार दिया गया। दो साल बाद, मिलावटी ईंधन बेचने वाले एक पेट्रोल पंप को सील करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारी श्री

शनमुघन मंजूनाथ की हत्या कर दी गई। मई,2012 में, श्री एस.पी.महंतेश की सोसायटी द्वारा भूमि आबंटनमें अनियमितताओं की प्रतिवेदनिंग के लिए हत्या कर दी गई थी।

<u>अपराह्न 04.14 बजे</u> **(माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

परिणामस्वरूप, विशेष रूप से सत्येन्द्र दुबे घटना के बाद, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार पर जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा संकल्प,2004 के बारे में एक कार्यालय आदेश जारी करने के लिए दबाव डाला, जिसमें भ्रष्टाचार की किसी भी शिकायत को संभालने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। आर.टी.आई. अधिनियम,2005 सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए कानून था। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक,2011 लोक सभा में पारित किया गया था। बाद में इसे राज्य सभा में पारित कर दिया गया। इस विधेयक का उद्देश्य ईमानदार अधिकारियों या व्यक्तियों को उत्पीड़न से बचाना था, लेकिन लोक सेवक को परेशान करने के लिए किसी भी जुर्माने का प्रावधान नहीं था। सी.वी.सी. मूल कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी था।

व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011 ने केवल एक लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार और सत्ता के जानबूझकर दुरुपयोग के किसी भी आरोप के खुलासे से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की मांग की गई। माननीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किया गया वर्तमान विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगभग 11 वस्तुओं को व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम के दायरे से बाहर कर देता है।

रक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के बड़े मामले व्हिसिल ब्लोअर द्वारा उजागर किये गये। स्कॉर्पीन पनडुब्बी, टाट्रा ट्रक, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकाप्टर से संबंधित घोटाले सभी व्हिसिल ब्लोअर द्वारा उजागर किए गए हैं। देखा गया है कि भ्रष्टाचार सबसे अधिक रक्षा सौदों में होता है। क्या सरकार को चिंता है कि अब राफेल सौदे में कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वह किसी भी खुलासे पर तुरंत पर्दा डाल रही है? इसी बात की मुझे चिन्ता है।

इस मूल विचार को त्यागा जा रहा है कि हमारे पास एक स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन होना चाहिए और सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले लोगों को सरकार द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। यदि

आप रक्षा क्षेत्र के मामले में ऐसा नहीं करते हैं, तो आप व्हिसिल ब्लोअर्स को कहां बचाते हैं, यह प्रश्न मैं डॉ. जितेंद्र सिंह से पूछता हूं। मूलतः यह कानून शब्द के साथ-साथ व्यवहार में भी ख़राब है।

मैं कुछ लोगों द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करूंगा। "हालांकि, सुरक्षा की आड़ में यह इसे सीमित कर देता है और जिस उद्देश्य के लिए कानून पेश किया जा रहा है वह विफल हो जाता है। आशंका का समाधान अधिनियम में एक तंत्र बनाना होगा जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ होने वाले किसी भी खुलासे की रक्षा करेगा या उसे वर्गीकृत रखेगा। सरकार ऐसा कर सकती थी। बल्कि यह कह रही है कि यह सब बिल के दायरे से बाहर है। किसी को यह महसूस करना होगा कि यह अधिनियम भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से संबंधित कृत्यों का खुलासा करने के लिए आया है जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ हैं। अब भ्रष्टाचार भी राष्ट्रीय हित के खिलाफ है।

तथाकथित राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए विधेयक में कितने खंड शामिल किए गए हैं? विधेयक से ग्यारह बातें हटा दी गई हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली जानकारी और प्रकटीकरण, वह जानकारी जिसे प्रकाशित करने की मनाही है, वह जानकारी जो विशेषाधिकार के उल्लंघन का कारण बनेगी, वाणिज्यिक विश्वास से संबंधित जानकारी - यानी कंपनियों के बीच लेनदेन, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा - वह जानकारी जो उपलब्ध है किसी व्यक्ति की प्रत्ययी क्षमता, किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जानकारी आदि को व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम से पूरी तरह बाहर रखा गया है। क्या बचा है, डॉ. सिंह? क्या आप व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा अधिनियम को खत्म करना चाहते हैं? क्या आप सूचना के अधिकार अधिनियम को समाप्त करना चाहते हैं? और क्या? आप एक के बाद एक संशोधन लाकर भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्वास अधिनियम को ख़त्म करना चाहते थे। इन संशोधनों को लाने में क्या जल्दी है? मैं इसे समझना चाहूंगा।

महोदय, पश्चिम के लोकतंत्र जो लोकतंत्र के मॉडल माने जाते हैं, वे भी मुखबिरों से डरते हैं। हम सभी जूलियन असांज के बारे में जानते हैं जिन्होंने विकिलीक्स शुरू किया था। मुझे कुछ पत्रकार मित्रों ने बताया है कि भारतीय दूतावास, भारत में अमेरिकी दूतावास और विदेश विभाग आदि के बीच के सभी केबल असांजे द्वारा लीक किए गए थे।

असांजे को गंभीर अभियोजन से गुजरना पड़ा। उन्हें मॉस्को एयरपोर्ट के पास एक होटल में शरण लेनी पड़ी। यहां तक कि अमेरिकी सरकार भी उनके पीछे थी। फिर, हमारे पास स्नोडेन का मामला है। अमेरिकी रक्षा विभाग में उच्च पदों पर भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले इस व्यक्ति को एक साल से अधिक समय तक लंदन में इक्वाडोर दूतावास में रखा गया था। ऐसा क्यों? उन्होंने अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान में कुछ लेन-देन का खुलासा किया। हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं।

हम एक स्वतंत्र समाज हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमें अंतिम दिन इस विधेयक को पारित करने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, इसे दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। कृपया इसे वापस लें और साबित करें कि आप सरकारी लेनदेन में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रहित के नाम पर उन व्हिसिल ब्लोअर्स का अधिकार मत छीनिए जो उच्च पदों पर भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं। कृपया उनकी जान जोखिम में न डालें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। काश मैंने कई संशोधन दिये होते और फिर हर संशोधन पर वोट लेता।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमेशा मेरी दुविधा रही है कि प्रो. सौगत राय के बोलने के बाद मुझे बोलना पड़ता है। वह उन अधिकांश बिंदुओं को शामिल करता है जिन पर मुझे बोलना है।

माननीय उपाध्यक्ष : तो फिर आपको बहुत कम समय लेना चाहिए।

श्री भर्तृहरि महताब: पहला प्रश्न यह है कि व्हिसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल हमेशा सत्र के आखिरी दिन क्यों आता है? मंत्री ने 2011 में भी इसे स्पष्ट किया था और विधेयक को जल्दबाज़ी में पारित किया गया था। मैं वस्तुओं और कारणों के कथन से उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है: "जबकि ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल 2011 को संसद में विचार और पारित करने के लिए लिया गया था, संशोधनों में खुलासों के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की दृष्टि से सहमति व्यक्त की गई थी, जो देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा आदि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं और खंडों के प्रति-संदर्भों में कुछ मसौदा त्रुटियों और त्रुटियों को दूर करने के लिए तैयार किए गए थे। विधेयक को पेश करते समय मंत्री ने निश्चित रूप से यह भी बताया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे दोस्त श्री अधीर रंजन चौधरी समझाएंगे कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था क्योंकि यह वस्तुओं और कारणों में पाया जाता है। मैं कांग्रेस पार्टी के पिछले सदस्यों से यह बताने की उम्मीद कर रहा था कि वास्तव में क्या हुआ था। क्या सचमुच ऐसा हुआ था कि इस पर सहमति बनी थी लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगता है कि कुछ और सदस्य इस पहलू पर बोलेंगे और वे इसे समझा सकते हैं।

मैं इस सभा को बस इतना याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी तरफ से मैं पिछली लोक सभा में भी बार-बार कहता रहा हूं कि व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में तैयार किया गया था और मुझे हमारे सूचना के अधिकार अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के तरीके पर राष्ट्रमंडल प्रायोजित कार्यक्रमों में इस संसद का प्रतिनिधित्व करते हुए इस देश के बाहर कई कार्यशालाओं में भाग लेने का लाभ मिला था। हालाँकि सूचना का अधिकार अधिनियम अस्तित्व में आ गया है, फिर भी संरक्षण का अधिकार अधिनियम को बढ़ाने की आवश्यकता है। आज जब हम अपने सूचना के अधिकार अधिनियम की तुलना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे अन्य देशों के

अधिनियम से करते हैं, तो मैं कहूंगा कि हमारा अधिनियम अभी भी दोषपूर्ण है। लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से व्हिसल ब्लोअर तंत्र अस्तित्व में आ गया है।

बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। यह कहा जाता है कि 2010 से 30 से अधिक व्हिसल ब्लोअर मारे गए हैं और यह चार साल के भीतर है। एन.सी.पी.आर.आई. द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार 2010 और 2014 के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले 30 से अधिक सीटी ब्लोअर मारे गए हैं। 2004 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि व्हिसल ब्लोअर की रक्षा के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इस तरह से शुरुआत हुई। यह विधेयक पिछले दो तीन दिनों के दौरान सार्वजनिक डोमेन में था, तो कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने राय दी कि यह वर्तमान कानून का एक कमजोर होना है जैसा कि प्रो.सौगत राय और कुछ अन्य दोस्तों द्वारा भी प्रतिपादित किया गया है। अन्य लोग भी कहते हैं कि सरकार राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। यहाँ, राष्ट्रीय महत्व को परिभाषित करने की आवश्यकता है। कौन यह निर्धारित करेगा कि कोई मुद्दा राष्ट्रीय महत्व से संबंधित है या राष्ट्रीय महत्व से संबंधित नहीं है?

आर.टी.आई. के साथ कार्य करते समय हमें सेबी अधिनियम से भी निपटना होगा। निवेश की सुरक्षा और कंपनियों की सुरक्षा और उनकी गोपनीयता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हालाँकि, क्या सुरक्षा की आड़ में अधिनियम को सीमित करने की प्रवृत्ति है? यह सार्वजनिक डोमेन में चर्चा का प्रमुख प्रश्न है। यह महसूस किया जाना चाहिए कि यह अधिनियम लागू हो गया है और इस अधिनियम की मूल संरचना भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग से संबंधित कृत्यों का खुलासा करना है जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ हैं। इसलिए, जब तक 'राष्ट्रीय हित' की परिभाषा और वह निकाय या वह व्यक्ति कौन होगा जो राष्ट्रीय हित को परिभाषित करेगा, यह स्पष्ट नहीं है कि कोई कैसे कह सकता है कि कोई मुद्दा राष्ट्रीय हित का है या यह राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है।

सार्वजनिक कार्यालयों में घोटालों को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर की सराहना करने या इनाम देने की आवश्यकता पर कोई दो राय नहीं हो सकती है। वे किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक तत्व हैं। मैं कहूंगा कि यह सरकार उन लोगों को बचाने वाली आखिरी सरकार होगी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन

यहां मैं कहूंगा कि इससे पहले कि हम उनकी सराहना करने या उन्हें पुरस्कृत करने की बात करें, हमें कम से कम उनकी शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

व्हिसलब्लोअर कौन है और व्हिसलब्लोअर की रक्षा करने की आवश्यकता क्यों है? उसे सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है और किससे? यह मूल प्रश्न है। यह आम तौर पर एक कर्मचारी होता है जो वित्तीय या किसी अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार या अपराध को उजागर करने की स्थिति में होता है जो कर्मचारी को कार्यस्थल में धन के दुरुपयोग जैसे विभिन्न मुद्दों और संगठनात्मक उल्लंघनों से उत्पन्न होने वाले कानून के तहत विशिष्ट सुरक्षा का अधिकार देता है। हमारे देश में व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा बेहद खराब रही है। मूल रूप से ऐसे कानून की आवश्यकता किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए होती है, चाहे वह कर्मचारी हो या अन्यथा, जो कार्यस्थल में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या अन्य उल्लंघनों को उजागर करना चाहता है।

मेरा मानना है कि भारत में मौजूदा कानून अपर्याप्त, पुराने हैं और उनमें सुधार की जरूरत है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस विधेयक के सार पर गौर करें और यह सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय करें कि व्हिसलब्लोअर सुरक्षित हों; और जहां भी भ्रष्टाचार होता है वह उजागर भी हो जाता है। यही वह जगह है जहां व्हिसलब्लोअर सुरक्षा को महत्व मिलता है।

कई देशों ने व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं, जैसा कि अभी कहा गया है। माल्टा गणराज्य की संसद ने 16 जुलाई,2013 को असाधारण मामलों में व्हिसलब्लोअर की पहचान परिवर्तन का प्रावधान किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में, व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ अन्य कानूनों के माध्यम से की जाती है। संयुक्त राज्य में, व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा के लिए कानून के के दो प्रमुख हिस्से सार्वजनिक हित प्रकटीकरण अधिनियम,1998 और रोजगार अधिकार अधिनियम,1996 हैं। यू.के, व्हिसलब्लोअर कानून जो अपने नियोक्ताओं पर प्रतिवेदनिंग करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है, जून,2013 संशोधन के कारण परिवर्तन हुआ।

भारत में, हमारे देश में व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा के मुद्दे ने देश का ध्यान तब खींचा जब श्री वाजपेई के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान एन.एच.ए.आई. के एक कर्मचारी सत्येन्द्रनाथ दुबे की हत्या कर दी गई, जब

उन्होंने राजमार्गों के निर्माण में भ्रष्टाचार के बारे में प्रतिवेदन की थी। दो साल बाद, मिलावटी ईंधन बेचने वाले एक पेट्रोल पंप को सील करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारी शनमुघम मंजूनाथ की हत्या कर दी गई। मई,2012 में, एस.पी. महंतेश की हत्या सोसायटियों द्वारा भूमि आबंटनमें अनियमितताओं की प्रतिवेदन करने के लिए की गई थी। अप्रैल,2004 में, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को भ्रष्टाचार की किसी भी शिकायत को संभालने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करते हुए एक कार्यालय आदेश,' लोक हित प्रकटीकरण (सूचनाकारों का संरक्षण) संकल्प,2014' जारी करने पर जोर दिया।

मैं कहूंगा, महोदय, आज देश में अंतरराष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के कारण अधिक से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता के साथ, अधिक जवाबदेही और निवेशक सुरक्षा की आवश्यकता पैदा हुई है और इसका परिणाम कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों को मजबूत करना है। और भारतीय कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए एक कोड को बढ़ावा देना; चाहे वह निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, बैंक या वित्तीय संस्थानों में हो, और बाद में लिस्टिंग समझौतों के माध्यम से सेबी द्वारा अपनाए जाने की आवश्यकता हो।

महोदय, मेरी राय है कि व्हिसलब्लोअर्स को सुरक्षा देने की आवश्यकता है। आज सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित को परिभाषित करने वाला जो संशोधन लाया जा रहा है, वह प्रमुख मुद्दा है। राष्ट्रीय हित को परिभाषित करते समय कहीं ऐसा न हो कि हम इस इरादे की बुनियादी संरचना को कमज़ोर न कर दें कि हम व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा कैसे करेंगे। धन्यवाद।

डॉ. रवींद्र बाबू (अमलापुरम): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक आर.टी.आई. कानून के आने के बाद मैंने सोचा था कि व्हिसल ब्लोअर्स का दायरा बहुत कम हो गया होगा, लेकिन सूचना का अधिकार कानून कई तरह की पाबंदियां लगाता है जैसे कि कौन सी जानकारी लीक या साझा की जा सकती है, जबकि व्हिसिल ब्लोअर्स में भ्रष्टाचार के संबंध में कुछ भी हो सकता है। देश की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े लोगों को छोड़कर साझा किया जाए। इसलिए, व्हिसिल ब्लोअर ऊंचे स्थानों पर भ्रष्टाचार को उजागर करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। हमें अनेक जीवंत उदाहरण मिले हैं। इसमें दो-तीन लोगों की मौत हो गई। उनके जीवन या उनके परिवारों की रक्षा कैसे करें? जब भी वे उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग बहुत प्रभावशाली होंगे और वे इन व्हिसिल ब्लोअर से बदला ले सकते हैं। इसलिए, उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए।

ऐसी स्थिति में जोखिम भरे संगठनों में उच्च स्थानों पर बहुत सारी भ्रष्ट प्रथाओं को काम करने और उजागर करने वाले अधिकारी, उदाहरण के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय, सी.बी.आई. या प्रवर्तन निदेशालय, जो अत्यधिक प्रभावशाली लोगों से निपटते हैं, को न केवल संरक्षित करने की आवश्यकता है, बल्कि इनाम की एक प्रणाली होनी चाहिए। जब भी कोई व्हिसिल ब्लोअर सीटी बजाता है जिससे धन की बरामदगी होती है या महत्वपूर्ण जानकारी की बरामदगी होती है - या तो बरामद की गई संपत्ति के अनुपात में या प्रकट की गई जानकारी के अनुपात में - कुछ तंत्र शुरू किया जाना चाहिए ताकि इनाम प्रणाली न केवल उनकी रक्षा करेगी, कम से कम उनके परिवारों की रक्षा करेगी। भविष्य में यदि प्रतिद्वंद्वी गिरोहों द्वारा उनका सफाया कर दिया जाए।

साथ ही बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। छद्म व्हिसिल ब्लोअर वाले हैं। अपने व्यक्तिगत हिसाब-किताब, राजनीतिक प्रतिशोध, राजनीतिक प्रतिशोध को निपटाने के लिए कई लोग अपने तथाकथित कुकर्मों को उजागर करके दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं। इससे बहुत सारी ब्लैकमेलिंग और भ्रष्टाचार होता है। यह इतने सारे पत्रों और कई जगहों पर हमारे ध्यान में आया है। हाल ही में, हमने लोगों को छिपे हुए वीडियो कैमरे का उपयोग करते हुए या ऑडियो वार्तालाप रिकॉर्ड करते हुए और फिर ब्लैकमेल करके अपना हिसाब बराबर करते

देखा है। मुझे नहीं पता कि हम उन्हें छद्म व्हिसिल ब्लोअर कहते हैं या नहीं। हमें उन छद्म मुखबिरों पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है ताकि ईमानदार आदमी जो अपना कर्तव्य निभा रहा है...

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय: क्या व्हिसल ब्लोअर ब्लैकमेलर होते हैं?

[अनुवाद]

डॉ. रवीन्द्र बाबू: कुछ लोगों को बेनकाब करने के नाम पर वे कहते हैं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपके अन्य व्यक्तिगत डेटा को उजागर कर दूंगा। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बार में शराब पी रहे हैं और किसी लड़की के साथ डांस करते दिख रहे हैं, तो वे उसका पर्दाफाश कर देंगे। फिर ये लोग ठंडे पैर हो जाते हैं। इसलिए, इस प्रकार की रोकथाम को अंतर्निहित करने की आवश्यकता है। व्हिसल ब्लोअर की रक्षा करते समय, हमें छद्म व्हिसल ब्लोअर को रोकना होगा। हमारे संज्ञान में ब्लैकमेल के कई मामले आए हैं। सिने स्टार, क्रिकेटर, नौकरशाह, बड़े राजनेता जैसी हस्तियां ब्लैकमेलिंग का शिकार होती हैं।

कई प्रेस प्रतिवेदन हैं। इतने सारे प्रेस वाले भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में, व्हिसिल ब्लोअर्स को निश्चित रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है। एक इनाम प्रणाली भी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही, हमें उन निर्दोष लोगों की भी रक्षा करनी चाहिए जो छद्म व्हिसिल ब्लोअर्स द्वारा उत्पीड़न का शिकार न होकर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

13-05-2015

डॉ. के. कामराज (कल्लाकुरिची): उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, मैं व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण (संशोधन) विधेयक,2015 पर चर्चा में भाग लेने के लिए यहां खड़ा हूं।

व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य कथित भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, लोक सेवकों द्वारा आपराधिक अपराधों की जांच करने के लिए एक व्यापक तंत्र प्रदान करना और सरकारी निकायों या सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार या गलत काम करने वाले लोगों की पहचान की रक्षा और सुरक्षा करना है। इस अधिनियम का उद्देश्य किसी भी लोक सेवक द्वारा शक्ति या विवेक के जानबूझकर दुरुपयोग का खुलासा करने वाले व्यक्तियों को उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना था। यह अधिनियम झूठी और तुच्छ शिकायतों के लिए सजा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान करता है।

संसद द्वारा पारित मूल विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान नहीं हैं जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक पाये गये हों। इसलिए, वर्तमान संशोधनों की आवश्यकता थी और मैं इस संबंध में सरकार की मंशा की सराहना करता हूँ।

सरकार का कहना है कि इस स्तर पर इस विधेयक को पारित करना आवश्यक था ताकि उन खुलासों के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा उपायों को शामिल किया जा सके जो देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

यहां मैं माननीय मंत्री के विचारार्थ कुछ बातें बताना चाहूंगा।

हमारे देश में हमने देखा है कि सरकार में भ्रष्टाचार या गलत काम के खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्तियों को प्रताड़ित किया जाता है। भारत में कई व्हिसिल ब्लोअर्स को धमकी, उत्पीड़न या यहां तक कि हत्या के कई मामले सामने आए हैं। यदि सरकार वास्तव में सरकारी ढांचे में भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहती है तो इसे समाप्त करने की जरूरत है और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए, भारत में नागरिक समाज ने महसूस किया कि उनकी सुरक्षा और उत्पीड़न और उत्पीड़न को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए।

13-05-2015

ऐसे सुरक्षा उपाय प्रदान करने में अधिनियम के उद्देश्य प्रशंसनीय हैं और यदि अधिनियम को सही ढंग से लागू किया जाता है, तो हर कोई खुश होगा और हम आने वाले दिनों में एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत देख सकते हैं।

लोग इस अधिनियम की प्रभावशीलता को मापने में सक्षम नहीं होंगे, जब तक कि सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए आगे नहीं आती है ताकि मुखबिरों को परेशान न किया जाए, धमकाया न जाए और उनकी हत्या न की जाए।

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक के माध्यम से अधिनियम में कुछ संशोधनों का उद्देश्य इस विधेयक का मसौदा तैयार करते समय आने वाली मसौदा त्रुटियों को ठीक करना है। पिछले सप्ताह के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक (संशोधन) विधेयक को ऐसी त्रुटियों के कारण दो बार दूसरे सभा में जाना पड़ा। सरकार ऐसी स्पष्ट या पेटेंट त्रुटियों को सामने आने की अनुमति नहीं दे सकती है और मैं सरकार से भविष्य में इस पहलू का ध्यान रखने का आग्रह करूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं व्हिसल ब्लोअर को उत्पीड़न से बचाने में सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूँ और इस विधेयक में भाग लेने हेतु मुझे मिले अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ।

13-05-2015

श्री राहुल शेवाले (मुंबई दक्षिण मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत महत्वपूर्ण विधेयक, यानी व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2015 पर बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

सरकार ने इस कानून को लागू नहीं किया है, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार, सत्ता या अधिकार या विवेक के दुरुपयोग या दुरुपयोग के बारे में सूचना देने के लिए एक वैधानिक तंत्र बनाना है, जिससे सरकारी खजाने को अनुचित नुकसान हो या किसी तीसरे पक्ष को अनुचित लाभ हो या किसी कानून के तहत मान्यता प्राप्त कोई अपराध हो।

फरवरी 2014 में राज्य सभा में विधेयक पर बहस करते हुए, यू.पी.ए. सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों से संबंधित व्हिसल ब्लोइंग पर कड़े प्रतिबंध लगाने का वादा किया था। लेकिन यू.पी.ए. सरकार इस विधेयक के उद्देश्य को हासिल करने में विफल रही। एन.डी.ए. सरकार ने अब ऐसे संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है जो यह सुनिश्चित करेगा कि कानून पिछले एक साल से जस का तस बना रहेगा।

मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं लेकिन मैं प्रस्तावित संशोधनों पर प्रतिष्ठित सभा के साथ-साथ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा।

व्हिसल ब्लोइंग पर अनुचित प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 4(1) में संशोधन किया जाना है: सार्वजनिक प्राधिकरण में गलत काम के बारे में व्हिसिल ब्लो करने की अनुमति देने वाले मूल प्रावधान को इस तरह से कमजोर कर दिया गया है कि जब तक व्हिसिल ब्लोअर यह साबित करने में सक्षम नहीं हो जाता कि उस व्यक्ति ने इसके तहत गलत काम का सबूत प्राप्त किया है। आर.टी.आई. अधिनियम के तहत, उसे अपनी व्हिसिलब्लोअर शिकायत में ऐसे रिकॉर्ड संलग्न करने के लिए दंडित किया जा सकता है। कोई भी अधिकारी या आर.टी.आई. उपयोगकर्ता गलत काम का भंडाफोड़ करने के लिए आगे नहीं आएगा, जब तक कि वह संबंधित सूचना आयोग द्वारा आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) के तहत सार्वजनिक हित में इसका खुलासा करने का आदेश देने के बाद जानकारी प्राप्त न कर ले।

मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में, राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपीलों और शिकायतों की बड़ी संख्या के लंबित होने के कारण इस प्रक्रिया में कुछ दशक लग सकते हैं। अन्य सूचना आयोगों से पहले भी, इस बात

की कोई निश्चितता नहीं है कि आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8(2) के तहत ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाएगा। चूंकि प्रस्तावित संशोधनों में इस श्रेणी से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए कोई अन्य तंत्र नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उन सभी को कूड़ेदान में फेंकना चाहती है। यह कानून के शासन और जवाबदेह शासन के दोहरे सिद्धांतों की घोर उपेक्षा है जो हमारे संवैधानिक लोकतंत्र को रेखांकित करते हैं।

धारा 5 में संशोधन किया जाना है ताकि सक्षम प्राधिकारी को नई प्रस्तावित धारा 4(1) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित व्हिसल ब्लोअर शिकायतों की जांच करने से रोका जा सके। एक बार केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे सक्षम प्राधिकारी को नई धारा 4(1) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी से संबंधित किसी भी व्यक्ति से व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे मंजूरी प्राप्त करने के लिए मामले की जांच के संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण में एक नामित प्राधिकारी को संदर्भित करना आवश्यक है। यदि नामित प्राधिकारी प्रमाणित करता है कि ऐसा मामला नई धारा 4(1) में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है,तो सी.वी.सी.उस मामले में आगे जांच नहीं करेगा और ऐसा प्रमाणपत्र उस मामले में अंतिम निर्णय होगा। इसके अलावा, प्रस्तावित संशोधन एक समय सीमा निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर नामित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए।

इसलिए, अगर नामित अधिकारी जांच प्रक्रिया को लगातार रोकना चाहते हैं तो ऐसी व्हिसिल ब्लोअर शिकायतें आसानी से धूल जमा कर सकती हैं।

उदाहरण के लिए, प्रधान मंत्री अपने मंत्रियों के खिलाफ व्हिसिल ब्लोअर शिकायत की जांच शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। इसी प्रकार, राज्यों में मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के खिलाफ व्हिसिल ब्लोअर शिकायतों की जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। यदि नए संशोधनों को संसद द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो पी.एम. और सी.एम. को नई धारा 4[1] के तहत आने वाले मामलों से संबंधित व्हिसिल ब्लोअर शिकायतों की जांच करने से पहले विभाग या संगठन के नामित प्राधिकारी से मंजूरी लेनी होगी।

इसलिए, यदि एक अवर सचिव ग्रेड अधिकारी को नामित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह सिद्धांत रूप में, पी.एम. या सी.एम. को व्हिसिल ब्लोअर शिकायत की जांच का आदेश देने से रोक

सकता है, यदि वह प्रमाणित करता है कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। सरकार ने व्हिसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट में जो संशोधन प्रस्तावित किया है, उसका यह हास्यास्पद निहितार्थ है।

मैं सभा का ध्यान प्रस्तावित संशोधनों में अन्य प्रमुख खामियों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ।

पिछले साल, सरकार ने मुख्य सतर्कता अधिकारियों के तंत्र के माध्यम से आंतरिक रूप से व्हिसल ब्लोअर की शिकायतों की जांच करने के लिए एक तंत्र का प्रावधान किया था। व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण (संशोधन) विधेयक में इस प्रणाली का प्रावधान नहीं किया गया है।

इसलिए, व्हिसल ब्लोअर नीति संकल्प को निरस्त करने के साथ, वह आंतरिक तंत्र खो जाएगा।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मीडिया को व्हिसिल ब्लोइंग को एक वैध अभ्यास के रूप में मान्यता दी है यदि अन्य सभी उपलब्ध विकल्प बिना किसी दिलचस्पी के हों। प्रस्तावित संशोधन मीडिया को व्हिसल ब्लोइंग को वैध नहीं बनाते हैं। दरअसल, व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बिना किसी सुरक्षा के गलत काम का खुलासा करने के लिए पत्रकारों पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाता रहेगा।

नवम्बर,2014 में,माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अज्ञात व्हिसल ब्लोइंग को मान्यता दी। प्रस्तावित संशोधन गुमनाम व्हिसल ब्लोइंग की अनुमति नहीं देते हैं। व्हिसिल ब्लोअर को सक्षम प्राधिकारी को अपनी पहचान बताने की आवश्यकता वाला मूल प्रावधान बना हुआ है। एकमात्र राहत की बात यह है कि व्हिसिल ब्लोअर की पहचान उसकी लिखित सहमति के बिना किसी के सामने प्रकट नहीं की जाएगी।

मैं कुछ मामूली संशोधनों का सुझाव देना चाहूंगा।

धारा 2 के तहत, शब्द "संघ के सशस्त्र बल" को हटा दिया जाना चाहिए - मूल अधिनियम में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं है। लेकिन मूल अधिनियम में, विशेष सुरक्षा समूह जो प्रधान मंत्री कार्यालय के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों और उनके परिवारों की रक्षा करता है, को किसी भी गलत काम के बारे में मुखबिरी करने के उद्देश्य से अधिनियम से बाहर रखा गया था। संशोधन एस.पी.जी. के इस इन्सुलेशन में कोई बदलाव नहीं करता है। यदि एस.पी.जी. किसी प्रधान मंत्री या उसके परिवार के सदस्य को रिश्वत लेते या कोई अपराध करते हुए

या दुरुपयोग करते हुए या शक्ति या विवेक का दुरुपयोग करते हुए देखती है, तो उन्हें गांधीजी के तीन बंदरों के संशोधित संस्करण का पालन करना होगा - न सुनें, न बोलें और भूल जाएं कि आपने देखा था कुछ ग़लत है।

धारा 3 में, पुराने कानून का नाम - कंपनियां अधिनियम,1956 को इसके उत्तराधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है - कंपनियां अधिनियम,2013 - मूल अधिनियम को कमजोर नहीं करना।

धारा 3 (2) (घ) में, मूल अधिनियम में 'प्रकटीकरण' शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा - मूल अधिनियम को कमजोर नहीं किया जाएगा।

धारा 14 में, मूल अधिनियम में इस प्रावधान की भाषा को सख्त किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सक्षम प्राधिकारी व्हिसलब्लोअर की शिकायत की जांच करते समय किसी भी भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए विशिष्ट आदेश जारी करे।

धारा 18 (2) में, मूल अधिनियम में इसकी भाषा को धारा 14 (1) से अलग करने के लिए कड़ा किया जा रहा है जो भ्रष्ट प्रथा के लिए मिलीभगत या सहमति देने के लिए विभाग के प्रमुख को दंडित करने से संबंधित है। धारा 14 (2) भ्रष्ट आचरणों के साथ मिलीभगत या सहमति देने के लिए विभाग के अन्य अधिकारियों को दंडित करने के लिए है जिसके बारे में एक व्हिसलब्लोअर की शिकायत सही पाई गई है। … (*व्यवधान*)

यह अंतिम बिंदु है। धारा 20 में, भाषा को केवल दंड के ऐसे आदेशों पर लागू करने के लिए सख्त किया जा रहा है जो धारा 16 के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा लगाए जा सकते हैं। मूल अधिनियम में, प्रावधान में धारा 14 और 16 का संदर्भ शामिल था, जिसके तहत सक्षम अधिकारियों के पास कोई जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं था।

धारा 31 में, वाक्यविन्यास से संबंधित एक मामूली सुधार किया जा रहा है

मुझे विश्वास है कि सरकार मेरे सभी विचारों पर विचार करेगी। धन्यवाद।

डॉ. ए संपत (अट्टिंगल): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

<u>**अपराह्न 04.47 बजे**</u> (**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं सबसे भाग्यशाली सदस्यों में से एक हूँ क्योंकि मुझे उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों को संबोधित करने का अवसर मिला।

व्हिसलब्लोअर संरक्षण (संशोधन) विधेयक,2015 उसी मार्ग में सभा के सामने आया है जिस मार्ग पर अन्य विधेयक आए हैं, वह स्थाई समिति के पास नहीं जाना है। तो, मुझे इस पर अफसोस है। मैं भी स्थायी समितियों में से एक में सदस्य हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं जानता हूं आप जल्दी में हैं।

माननीय अध्यक्ष : नहीं।

डॉ. ए. संपत: तो फिर मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। … (*व्यवधान*) सरकार सबको बताने की जल्दी में है

पिछले 12 महीनों के दौरान, 51 विधेयकों में से 44 विधेयक, बिना किसी परामर्श के, और स्थायी समितियों में बिना किसी चर्चा के इस सभा द्वारा पारित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके अधीन हमारे पास 16 स्थायी समितियाँ हैं। दूसरे सभा में भी स्थायी समितियाँ होती हैं। बेशक,हम कह सकते हैं कि हमारे पास अधिक संख्या में समितियां हैं। अगर कोई यह कहते हुए किसी पर आरोप नहीं लगा सकता है कि संसदीय स्थायी समितियों का क्या फायदा है? वे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। संसदीय स्थायी समितियों का क्या उपयोग है? स्थायी समितियों का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण 2(अ) में कहा गया है: "यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त अधिनियम में उन खुलासों के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रावधान शामिल हैं जो देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।"

मैं तीन साल की उम्र में एक घटना का गवाह था। मेरे पिता को वर्ष 1965 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आधी रात को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें गिरफ्तार करने आए लोगों ने उन्हें बताया कि वह राष्ट्रीय अखंडता

और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा हैं। इसलिए,आप निवारक निरोध के तहत हैं। मैं उस आदमी की संतान हूं। कल कामरेड करुणाकरण ने कॉमरेड ए.के.गोपालन का उदाहरण दिया जो इस सदन के विपक्ष के नेता थे। …(*व्यवधान*) वह उसके ससुर भी थे। हमें इस पर गर्व है।

इस विधेयक को लाने में सरकार की एकमात्र मंशा व्हिसलब्लोअर्स के अधिकारों को कम करने की है।

महोदया, इस विधेयक पर बोलने वाले कुछ माननीय सदस्यों ने मध्य प्रदेश, हरियाणा और कुछ अन्य स्थानों पर हुई कुछ "दुर्भाग्यपूर्ण" घटनाओं का हवाला दिया है जहां गवाहों पर हमला किया गया था। उनमें से कुछ की हत्या कर दी गई। उनकी रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। हम एक ऐसे देश में हैं जहां रोल्स रॉयस कार रखने वाले लोगों को दुर्घटना स्थल पर एंबुलेंस पहुंचने से भी ज्यादा तेजी से त्वरित न्याय मिलेगा।

आज, एक अंग्रेजी अखबार में एक खबर छपी है जिसका शीर्षक है, "संसद में एक महिला की पुकार अनसुनी कर दी गई।" मैं अखबार का नाम नहीं बता रहा हूं। सभी इसके बारे में जानते हैं। हम सब अखबार पढ़ते हैं। परोपकार की शुरुआत घर से होनी चाहिए। यदि सरकार मुखबिरों की रक्षा करने में रुचि रखती है, तो क्या वह संसद में इस छत के नीचे काम करने वाली एक भी महिला, एक अनुबंध कर्मचारी की रक्षा करने में सक्षम है? यह सरकार का कर्तव्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदया: नहीं, आप नहीं जानते कि क्या कार्रवाई की गई है।

डॉ. ए.संपत: मुझे नहीं पता। मैं अज्ञानी हो सकता हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। हालांकि, जो हुआ, उस पर सरकार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए बाध्य है। यदि प्रेस बयान, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस समाचार आइटम जो इस देश के सबसे बड़े परिचालित दैनिक समाचारों में से एक में दिखाई दिया है, कुछ सच है - मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूरा प्रकरण सच है - यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह संसद की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है।

व्हिसल ब्लोअर के तथाकथित संरक्षण में, मैं जो हुआ उसका एक उदाहरण देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में देश की प्रमुख जांच एजेंसी के प्रमुख से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है, जिसने व्हिसिल ब्लोअर्स की सुरक्षा पर प्रश्न खड़ा कर दिया है। कुछ रक्षा मामले, राष्ट्रीय हित के कुछ मामले, खुफिया मामले आदि हैं। हमारे देश में,रक्षा क्षेत्र में, अब एफ.डी.आई. की भी अनुमति है। खुफिया तंत्र में भी, विदेशी देशों की

कुछ खुफिया एजेंसियां हमारे साथ सहयोग कर रही हैं। निजी उद्यम भी हमारे रक्षा सौदों का एक हिस्सा हैं। इसलिए, कोई भी राज़ खोलने को तैयार नहीं होगा। हम खिड़कियां बंद कर रहे हैं। हम दरवाजे बंद कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है: "आप आ सकते हैं, दरवाज़ा खटखटा सकते हैं लेकिन हम रिप वान विंकल की तरह सो रहे होंगे; हम नहीं जागेंगे।" अगर सरकार का व्हिसल ब्लोअर के अधिकार को मजबूत करने, सुरक्षा प्रदान करने का कोई इरादा है, तो उसे एक काम करना चाहिए। उनकी रक्षा कौन करेगा? हम सभी एक आपराधिक मामले में सबूत देने वाले पी.एस.ओ. की उक्त दुर्दशा को जानते हैं। मैं किसी के नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि हर कोई जानता है कि क्या हुआ। यह उस पुलिसकर्मी की दुखद स्थिति है। उनके अंतिम दिनों में क्या हुआ? वह भी एक इंसान था। उसका एक परिवार था। उसे भी कानून के अनुरूप ही सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए थी। यदि यह इस राष्ट्र में जारी रहेगा, तो पूरे सम्मान के साथ, सरकार के प्रति मेरा विनम्र निवेदन यही है। हमें शीर्ष अधिकारियों, नौकरशाहों, संपन्न लोगों, पांच सितारा संस्कृति वाले लोगों, घनिष्ठ पूंजीपतियों के लिए नए कानून बनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। कानून के दो प्रकार होंगे। उच्च न्यायालय में भी कुछ पीठें हैं। हरित न्यायाधिकरण की तरह, इस तरह के कुछ बेंच हैं। वे शीघ्र न्याय पाना चाहते हैं। तो, हमारे पास इस तरह के कुछ प्रकार के अंतर भी हो सकते हैं।

मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। इस सत्र के दौरान ही,*दलितों* पर हमले हुए हैं। एक विवाह जुलूस में, यदि एक *दलित* दूल्हा सफेद घोड़े पर बैठा है, तो उस पर हमला किया । दोषियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ सबूत कौन देगा? इसके लिए कोई आगे नहीं आएगा। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप जारी रखें। मैं आपकी बात सुनूंगा।

डॉ. ए.संपत: मैं जातिगत भेदभाव के बारे में बोल रहा हूँ, कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं। यह इस राष्ट्र में हो रहा है। इस देश में जातिगत भेदभाव है; लैंगिक भेदभाव है; क्षेत्रीय भेदभाव है; और आर्थिक भेदभाव भी होता है। यदि कोई साक्ष्य देने के लिए आगे आ रहा है या किसी ऐसी चीज की प्रतिवेदन करने के लिए आगे आ रहा है जिसकी प्रतिवेदन करनी है या यदि कोई कुछ जानकारी देने के लिए आ रहा है जो दी जानी है, तो वह राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों और नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के अनुसार कर्तव्यबद्ध है। हम इससे गुजरे हैं। अगर कोई आगे आ रहा है, तो यह सच है कि वह या तो आत्महत्या करने जा रहा है या शहीद होने जा रहा है। * ये हो रहा है । सरकार व्हिसिल ब्लोअर की रक्षा करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है।

आप भी उस समय सदस्य थे। मुझे याद है,जब मैं वहां बैठा था; आप यहां बैठे थे। उस समय, हमें आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद है। उस दौरान, स्थायी समिति ने व्हिसल ब्लोअर बिल के खंडों पर कुछ सिफारिशें दीं। उस समय, मेरे अधिकार की ओर वर्तमान विपक्षी सदस्य बैठे हुए थे। वे स्थायी समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे, जिसके सभापति उनकी अपनी पार्टी के सदस्य थे। जैसा कि आप उस समय सदस्य थे, हमने मिलकर उन खंडों को भी शामिल करने के लिए लड़ाई लड़ी। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। वह एक कमज़ोर अधिनियम था। इसकी अपनी अंतर्निहित कमजोरियां थीं। अब, यह कमजोर था; अब यह कमजोर, अधिक कमजोर हो रहा है। यह एक मजबूत अधिनियम नहीं होगा। यह बिना किसी हवा के सीटी की तरह होगा। बिना किसी हवा के, अगर आप सीटी बजा रहे हैं,तो इसका क्या फायदा है?

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): यह एक सीटी की तरह है जिसके अंदर कोई भंगुरता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी बात समाप्त करें। हमारे पास बोलने के लिए तीन और सदस्य हैं।

13-05-2015

डॉ. ए. संपत: जैसा कि सरकार ने निर्णय लिया है, हम इन सभी चीजों पर चर्चा करने के लिए अतिरिक्त तीन दिन के लिए बैठ रहे हैं। मेरा विनम्र सुझाव यही है। आप पर विश्वास के साथ मैं *वास्तविक* विश्वास करता हूं कि यह सरकार संबंधित स्थायी समिति को और विस्तृत चर्चा के लिए इस संशोधन विधेयक को भेज सकेगी। पहले हम संबंधित स्थायी समिति का सम्मान करें। आइए हम उस संसदीय प्रक्रिया को पूरा करें; फिर,हम यहां आते हैं और चर्चा करते हैं। बिल लेना बुने हुए से सीधे कुछ लेने और खाने की मेज पर रखने जैसा है। अगर सरकार ऐसा करती है, तो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।

मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं अपने आँकड़े सरकार के सामने नहीं रख रहा हूँ। यदि मैं उन पर आंकड़े इंगित करता हूँ तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तीन अन्य आंकड़े मेरी ओर इंगित होते हैं।

माननीय अध्यक्ष: यह बहुत अच्छी समझ है।

डॉ. ए.संपत: हमें अपनी पार्टी में आत्म-आलोचना के बारे में सिखाया जाता है। मेरे नेता हमें आत्म-आलोचना के बारे में भी सिखाते हैं। न केवल दूसरों की आलोचना करने के लिए बल्कि स्वयं की आलोचना करने के लिए भी। हमारा देश ऐसे युग में है जहां भ्रष्टाचार पनप रहा है और लालच ही धर्म बन गया है। यहां अगर व्हिसिल ब्लोअर्स को सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो उनके जीवन, उनकी आजादी, उनकी संपत्ति, उनकी आजादी का क्या होगा? हम समझ सकते हैं।

किसी भी संस्था को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यदि कोई तत्काल आवश्यकता है या ऐसा कुछ है, तो हमारी खुफिया सेवाओं के सबसे महत्वपूर्ण कार्य या हमारी रक्षा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में कुछ, जिसे मैं समझ सकता हूं। लेकिन उच्चतर न्यायपालिका को इस विधेयक के दायरे से बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

<u>अपराह्न 05.00 बजे</u>

इसे भी इस विधेयक के दायरे में लाया जाना चाहिए। वैसे भी, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी निचली अदालतों के मजिस्ट्रेट और अन्य न्यायाधीशों की तरह ही इंसान हैं। हम उन सभी

न्यायाधीशों को इस विधेयक के दायरे से बाहर क्यों रख रहे हैं? आइए हम सभी को इस विधेयक के दायरे में रखें क्योंकि संविधान के अनुसार, कानून के समक्ष हर कोई समान है और हर कोई कानून के अधीन है।

माननीय अध्यक्ष: कृपया अब समाप्त करें।

डॉ. ए. संपत: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महोदया, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपके माध्यम से सरकार से एक अपील करना चाहता हूं। सरकार की अंतरात्मा को कम से कम कुछ समय के लिए काम करने दीजिए क्योंकि हर पल कीमती है और आइए हम मिलकर इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने का निर्णय लें। शर्म करने की कोई बात नहीं है। हमारे माननीय मंत्री श्री सदानन्द गौड़ा यहां बैठे हैं। उन्होंने यहां इस सदन में रेलवे सुरक्षा पर एक विधेयक बनाया है। चर्चा के बाद इस सभा ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया - और मंत्री जी भी पूरी तरह से सहमत थे - कि इसे स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। तब, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने भी इस सभा को बताया कि सरकार इसे स्थायी समिति को भेजने के लिए भी इच्छुक है। तो, हम इस विधेयक को उचित जांच के लिए स्थायी समिति को क्यों नहीं भेज सकते? यही मेरा विनम्र निवेदन है। धन्यवाद।

13-05-2015

श्रीमती कविता कल्वाकुंतला (निजामाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदया, इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

यह व्हिसल संरक्षण (संशोधन) विधेयक,2015 को 2011 विधेयक के अधूरे व्यवसाय और 2014 विधेयक को भी पूरा करने वाला है। लेकिन जैसा कि नाम से पता चलता है,यह व्हिसल ब्लोअर की रक्षा के लिए है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि नाम में राम होता है, लेकिन असली में कुछ और होता है। नाम सीता होता है और बर्ताव गीता जैसा होता है। इसी तरह से इस बिल का नाम भी व्हिस्ल प्रोटेक्शन बिल है, लेकिन आप बिल में देखेंगे आठ अध्याय हैं, लेकिन केवल एक अध्याय व्हिसिल ब्लोअर्स की सुरक्षा के बारे में बात करता है और वह भी पूरा नहीं है। व्हिसिल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि वे किस तरह के उत्पीड़न से गुजरते हैं और यह विधेयक उत्पीड़न को परिभाषित भी नहीं करता है। जो अभी आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने 15वीं लोक सभा के अपने लास्ट के राज्य सभा भाषण में कहा था-इस विधेयक में उत्पीड़न को परिभाषित करना होगा उत्पीड़न को व्यापक अर्थ में परिभाषित किया जाना चाहिए। अपने ही दल के लोगों ने जब बोला है, इतने सीनियर मिनिस्टर ने जब बोला है और जितेन्द्र सिंह जी जो यह बिल लेकर आ रहे हैं, इस विधेयक में उत्पीड़न को परिभाषित करना होगा आज पूरा देश यही महसूस करेगा। जब 2011 में यू.पी.ए. -सरकार विधेयक लाई, तो उन्होंने विधि आयोग की प्रतिवेदन और प्रशासनिक सुधार समिति की प्रतिवेदन की भी अनदेखी की, विशेष रूप से व्हिसिल ब्लोअर की गुमनामी के बारे में, जो व्हिसिल ब्लोअर का सबसे मुख्य्य मुद्दा है।

फिर, उत्पीड़न की बात करें तो यह आमतौर पर अधिकारियों द्वारा किया जाता है और कोई भी इन अधिकारियों को दंडित करने की बात नहीं करता है। हर कोई इस बारे में बात करता है कि हम कुछ विभागों की रक्षा कैसे कर सकते हैं और हम कुछ तथ्यों को छिपाने के लिए सरकार को और अधिक ताकत कैसे दे सकते हैं, लेकिन कोई भी मुखबिरों की आवाज को कम करने या कम करने के बारे में नहीं बोलता है और कोई भी इस बारे में नहीं बोलता है कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि व्हिसिल ब्लोअर्स को प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों को दंडित करना भी इस विधेयक का हिस्सा होना चाहिए। जैसे लैण्ड

एक्वीजिशन बिल में आपने किसान का अधिकार छीन लिया था कि वह कोर्ट में नहीं जा सकता है यदि तुम उसकी भूमि छीन लो।

इसी प्रकार, इस विधेयक में भी, यदि कोई व्हिसिल ब्लोअर सतर्कता आयुक्त द्वारा की गई कार्रवाई से खुश नहीं है, तो उसे उच्च न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं है और मेरा मानना है कि इसे इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं; अगर कोई व्हिस्ल ब्लो करता है, कोई करप्शन का इश्यू उठाता है, सबूत का भार आज व्हिसिल ब्लोअर पर है। मेरा मानना है कि सतर्कता आयुक्त को अधिक सक्रिय होना चाहिए और उसे *स्वप्रेरणा से* इस मुद्दे को उठाना चाहिए और मामले को आगे बढ़ाना चाहिए।

[हिन्दी]

अपने सत्ता पक्ष को तो मालूम है, राम राज्य से और रामायण से इनको काफी लगाव भी है। मैडम, विभीषण भी अपने ज़माने के व्हिसल ब्लोअर थे। उन्होंने पूरे लंका राज के सीक्रेट्स श्री राम जी को बताए थे, तब जा कर राम राज्य की स्थापना हुई थी। मैडम, उस ज़माने में विभीषण को बाद में गद्दी भी मिल गई। लेकिन आज के ज़माने के जो व्हिसल ब्लोअर होते हैं, उनको तो हमेशा मौत ही मिलती है। हमने देखा है, यह बहुत दुखद स्थिति है। लगभग 30 व्हिसिल ब्लोअर मारे गए जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने सारे व्हिसिल ब्लोअर के मौत के भी आज तक इनमें से किसी भी मामले पर कोई तार्किक निष्कर्ष नहीं है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से इस खंड को जोड़ने पर विचार करने का अनुरोध करूंगा। व्हिसल ब्लोअर पर हमले के बाद क्या होगा? हम इन मामलों को कैसे ट्रैक करेंगे? क्या हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट हो सकते हैं?

विशेष रूप से दो-तीन मुद्दे हैं। इस विधेयक का अधिकार क्षेत्र केवल सरकारी क्षेत्र को कवर करता है। गवर्मेंट सैक्टर में भी क्लासिफाइड कर के कवर करते हैं, काफी सारी चीज़ें हटाते हैं। यह विधेयक कहता है, यदि सात साल के बाद भ्रष्टाचार को संज्ञान में लाया गया, तो कोई आरोप नहीं हो सकता है। यह कैसे संभव है? आज भी हम इस सदन में बैठ कर जवाहर लाल नेहरू जी के बारे में बोलते हैं, अटल जी के बारे में बोलते हैं, उनको हम आज की पॉलिटिक्स में घसीट कर लाते हैं, लेकिन कभी कोई व्हिसल ब्लोअर बात करता है और सात साल के बाद भी बता सकता है तो मेरा मानना है कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए.' उस खंड को

शामिल किया जाना चाहिए। पर्टिक्युलरली जब ह्युमन राईट्स का वॉयलेशन होता है, तो इस एक्ट में कोई भी जगह नहीं होती है।

[अनुवाद]

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है। यह सरकार विशेष रूप से कहती है कि सशस्त्र बलों और खुफिया सेवाओं को इस विधेयक के दायरे से दूर रखा जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों। कुछ संवेदनशील जानकारी, संवेदनशील मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन, इसके अलावा प्रमोशन जैसे मुद्दे, दुकानों में खरीद जैसे मुद्दे, उन सभी को सार्वजनिक करना होगा। मोदी जी ने गुड गवर्नेंस का प्रॉमिस किया था। पारदर्शी सरकार अच्छी सरकार है। उसे यह बात समझ लेनी चाहिए।

विशेष रूप से यह विधेयक केवल सरकारी क्षेत्र की बात करता है। यह विधेयक किसी निजी कंपनी, किसी बड़ी कंपनी के बारे में बात नहीं करता है जो उपयोगिताएँ प्रदान करने के मामले में सरकार के साथ सौदा करती हैं। दिल्ली की सरकार में आप देख लीजिए मैडम। रिलायंस एक बड़ी कंपनी है - मैं नाम नहीं लेना चाहता - जो दिल्ली के लोगों को शक्ति प्रदान करता है। लेकिन, जब सी.ए.जी. जाता है और प्रतिवेदन मांगता है, तो वे बस इसे अस्वीकार कर देते हैं। हम इन मुद्दों को कैसे संभालेंगे? क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं, जो हमारे लिए पॉवर देती हैं, वॉटर देती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी-बड़ी चीजें बनाती हैं। यदि हम उन्हें खुला छोड़ देंगे, तो हम इन कंपनियों को कैसे नियंत्रित करेंगे? यह एक गंभीर मुद्दा है और सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा।

सबसे बढ़कर, सुशासन की भावना केवल पारदर्शी शासन है। इसलिए, मुझे आशा और विश्वास है कि यह सरकार गंभीरता से आगे आएगी और हमारे आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं की रक्षा करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुमारी सुष्मिता देव: महोदया, मुझे हमेशा अंत में एक अवसर मिलता है। आपने कहा है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, परंतु समय इतना कम मिलता है कि मुझे अपनी बात छोटी करनी पड़ती है। मैं खुद को बहुत संक्षिप्त रखूंगी।

[हिन्दी]

मैडम, जेटली जी ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि पिछले एक साल में क्रप्शन वर्ड का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, इतने लोगों ने इस सदन में भाषण रखा है।

मैडम, आप सुनते हैं, इधर भी सुनते हैं, अंदर टेलिविजन में भी सुनते हैं कि पिछले 10 महीनों में आपने यह कितनी बार सुना कि फलां बिल को स्टैण्डिंग कमेटी में भेज दीजिए, स्टैण्डिग कमेटी में भेज दीजीए, स्टैण्डिंग कमेटी में भेज दीजिए। अब प्रश्न यह उठता है कि यह जो हम बोल रहे हैं, वह क्यों बाल रहे हैं, क्योंकि बाहर जो मीडिया कवरेज करती है वे हमें बताते हैं कि कांग्रेस या विपक्ष सरकार के अंदर अवरोधवादी नीतिगत पंगुता की रणनीति अपना रही है। लेकिन हम नहीं हैं, माननीय अध्यक्ष महोदया।

[अनुवाद]

आज डॉ. सिंह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आये हैं। जहां तक भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का प्रश्न है, यह उन प्रमुख छह प्रमुख कानूनों का एक हिस्सा था जिन्हें यू.पी.ए. सरकार लाना चाहती थी। यह उनमें से एक था। यह एक इतिहास है जो सौगत *जी* ने कहा था, जिसने महताब *जी* कहा था। इस विधेयक को लोक सभा में 26 अगस्त,2010 को पेश किया गया था। यह लोक सभा द्वारा 27 दिसंबर,2011 को पारित किया गया था। इसके बाद, फरवरी,2014 में दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित किया गया। यहाँ थोड़ा सा भ्रम प्रतीत होता है जो सरकार ने कहा है, जो महताब *जी* ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। ऐसा लगता है कि यह धारणा बन गई है कि सरकार इस बात पर सहमत हो गई थी कि चूंकि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए सत्र समाप्त हो रहा है।[हिन्दी] कि यह अमेंडमेंट आप प्रेस मत करिए, नेक्स्ट सैशन में हम इसको लाएंगे।

मुझे लगता है कि डॉ. सिंह अंततः यही कहेंगे। लेकिन, महोदया, मैं एक सरल प्रश्न पूछना चाहूँगा आज जो अमेंडमेंट, जो बिल इस सदन में आया है, क्या यह सरकार या माननीय मंत्री अपने भाषण में एक बात स्पष्ट

कर सकते हैं? क्या आप उन संशोधनों से आगे गए हैं या नहीं गए हैं जो प्रस्तावित थे? एक नया खंड 4(1)(अ) आया है। इस खंड में, जो संशोधन लाए गए हैं वे 2013 में चर्चा किए गए संशोधनों से परे हैं।[हिन्दी] पहले सॉवरेन इंट्रेस्ट पर था, नेशनल इंट्रेस्ट पर था, कैबिनेट की मीटिंग्स पर था, पर जो अभी अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, वह उससे भी आगे जाता है। सोनिया जी ने 6 मई को सदन में कहा था, "बिल का क्या भाग्य है इसे मई,2004 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इसे लागू क्यों नहीं किया गया? " उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी और इस सदन के सामने लाया। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन दुख की बात कुछ और है। हम इसे स्थायी समिति को संदर्भित करने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं उन किसी भी बात को नहीं दोहराऊंगा जो कविताजी और तृणमूल कांग्रेस पहले ही कह चुकी हैं। सच तो यह है कि आज सूचना का अधिकार कानून आम आदमी के हाथ में सबसे मजबूत हथियार है। यह आपको क्या अधिकार देता है? यह आपको जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देता है। लेकिन यह अधिनियम आपको जानकारी का खुलासा करने का अधिकार दे रहा है। मुझे पता है मंत्री जी यही कहेंगे, जो नया सेक्शन 4(1)(अ) आया है, उन्होंने राइट टू इन्फार्मेशन एक्ट का सैक्शन 8 उठाकर इस एक्ट में डाल दिया है और सदन में यही कहेंगे कि यह राइट टू इन्फार्मेशन एक्ट आपने पास किया था तो सैक्शन 8 जब हम आर.टी.आई. से इस एक्ट में ले आए हैं, तो आप इसके विरोध में क्यों बोल रहे हो, वह यही बोलेंगे। लेकिन कृपया इसे समझें राइट टू इन्फार्मेशन में जो एग्जेंप्शंस हैं, यह कह रहे हैं कि एक अधिकारी को उस व्यक्ति को इस जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है जो राष्ट्र के अधिक हित में जानकारी की मांग कर रहा है। लेकिन यह अधिनियम, जिस पर आज हम व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम पर बहस कर रहे हैं, यह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो सिस्टम के भीतर जानकारी नहीं ढूंढ रहा है या उस पर कब्जा कर रहा है। यह एक रिसाव हो सकता है। हम पेंटागन पेपर्स से अच्छी तरह परिचित हैं। हम स्पाईकैचर मामले से अच्छी तरह परिचित हैं। इस अधिनियम में उन मामलों को शामिल किया गया है। मंत्री जी से मैं स्पेसिफिकली यह जवाब मांगूगी कि आप आर.टी.आई. एक्ट का सैशन 8 (1) तो इस अमेंडमेंट में ले आए हैं, पर आपने सैक्शन 8 (2) को क्यों छोड़ दिया। सैक्शन 8 (2) में है, मैं बस एक पंक्ति पढ़ सकता हूं और अपना भाषण समाप्त कर सकता हूं। इसमें कहा गया है :

"आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम,1923 में किसी भी बात के बावजूद और न ही आरटीआई अधिनियम की उप-धारा 8[1] के अनुसार अनुमत किसी भी छूट के बावजूद, एक सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान से अधिक है।""

[हिन्दी]

जो सरकार कह रही है कि आप सुभाष चंद्र बोस की फाइल भी डिसक्लोज करेंगे। क्या इस सरकार को अब भ्रष्टाचार के किसी मामले की जांच में उचित जानकारी का खुलासा करने के अधिकारों पर अंकुश लगाना चाहिए? आज इस देश में कार्यकर्ता कानून की तरफ जा रहे हैं कि आर.टी.आई. में भी जो एप्लीकेशन होगा, उसमें किसी का नाम नहीं होगा। उन परिस्थितियों में,मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व न करे कि ये वही अमेंडमेंट्स हैं जो यू.पी. की सरकार ने वर्ष 2013 में स्वीकार किये थे।वे इससे काफी आगे निकल गए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमें इसकी जांच करने और स्थायी समिति में अपनी राय देने का अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला (कोटा) : महोदया, आज हम सूचना प्रदाता संरक्षण आधिनियम के बारे में संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश के अंदर आर.टी.आई. का बहुत अच्छा अनुभव भी रहा, बुरा अनुभव भी रहा। आर.टी.आई. कानून और आरटीआई कार्यकर्ता ने इस देश के अंदर आज़ादी के साठ सालों में जो करप्शन चल रहा था, उस भ्रष्टाचार की रोकथाम करने का प्रयास किया। कांग्रेस कहती है कि हमने आर.टी.आई. कानून बनाया, हम व्हिसल ब्लोअर प्रोटैक्शन के लिए विधेयक लाए। महोदया, कानून तो बहुत लाए लेकिन देश के अंदर जब जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, इस देश में लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने कभी पहल नहीं की कि भ्रष्टाचार को रोका जाए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लड़ाई लड़ने वाले आर.टी.आई. कार्यकर्ता हैं, उनको कानून की परिधि के अंदर पूरा ठीक से संरक्षण दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदया, यह बात सही है कि हम कुछ संशोधन लाए हैं लेकिन वे संशोधन भी देश के हित में हैं। आज देश के अंदर जिस तरीके से आसपास के पड़ोस के देशों के गुप्तचर पकड़े जाते हैं, जिस तरीके से हमारे देश के आंतरिक मसले के अंदर, क्योंकि भारत में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सीमाएँ खुली हुई हैं, कोई भी व्यक्ति गुप्त सूचनाएँ प्राप्त करके पड़ोसी देश को देता रहता है। उस समय हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस देश की सुरक्षा और सुरक्षा के मापदंडों पर ज्यादा पारदर्शिता के कारण कहीं हमारे देश की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदया, इस देश में जब से माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी है, हमारी जवाबदेही भी है और पारदर्शिता भी है। इसी कारण दस महीने बाद जब हम सदन में खड़े होते हैं तो सदन में इस बात की चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि हमारी सरकार के पारदर्शिता और जवाबदेही के किसी भी मुद्दे को आप सदन में ला सकते हैं। दस महीने तक कांग्रेस किसी मुद्दे को लेकर इस सदन में नहीं आई। हम देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं और इस संशोधन बिल को लाने के लिए भी क्योंकि देश के अंदर यह बात आई कि कानूनों में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने सौ बार संविधान में संशोधन किए, हमने कई बिल जल्दबाजी में सरकार ने बनाए, उनमें भी संशोधन किए, लेकिन संशोधनों को हमेशा देश के हित में रखा, आम जनता के हित में रखा।

जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि इसको भी स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, तो करप्शन की सूचना देने वाला आर.टी.आई. कार्यकर्ता देख रहा है कि उसे संरक्षण मिलना चाहिए। क्या आवश्यकता है स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की। आज चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है। अगर आपको लगता है कि आर.टी.आई. कार्यकर्ता को संपूर्ण सुरक्षा नहीं मिल रही है तो और सुझाव दें। सरकार इस देश के हर आर.टी.आई. कार्यकर्ता की और जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला नौजवान है, नीचे से नीचे तबके की सुरक्षा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और यह कानून इस बात को कहेगा कि इस कानून के माध्यम से कहीं न कहीं उनको सुरक्षा भी मिलेगी, कानून के दायरे का कवच भी मिलेगा। लेकिन उससे हटकर भी हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वालों के खिलाफ हमेशा प्रयास किया है, कानून से बाहर भी और कानून के दायरे में भी। इसीलिए जो बिल लाया जा रहा है, वह देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर, देश की उन वैज्ञानिक पद्धतियों को ध्यान में रखकर, जिनके लीकेज होने से हमारे देश के अंदर कई सारे खतरे हो सकते हैं, उनको संशोधित करके विधेयक लाया जा रहा है। वह देश के हित में भी है और आर.टी.आई. कार्यकर्ता के हित में भी है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मुझे सभी आदरणीय सदस्यों का आभार प्रकट करना है। कुल मिलाकर, दोनों पीठों - इस पक्ष और उस पक्ष - के सभी लोगों ने विधेयक की भावना का समर्थन किया है और व्हिसिल ब्लोअर्स की सुरक्षा के समर्थन में भी बात की है... (*व्यवधान*) मुझे अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : इस बिल को तो स्टैण्डिंग कमेटी में जाना चाहिए था।...([हिन्दी] व्यवधान) वहां सब लोग इस पर सुझाव देते। फिर उसके बाद इसे पास करना चाहिए था।...(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदया, मुझे संतोष इस बात का है कि इस धारणा में अंतर हो सकता है कि हम में से प्रत्येक इसे कैसे देखता है या कितनी सुरक्षा होनी चाहिए और इस बिल के सार में घुसपैठ किए बिना पैरामीटर या सुरक्षा की सीमा क्या होनी चाहिए

इससे पहले कि मैं समापन भाग पर आऊं, केवल एक शब्द जो कहा गया है। श्री अधीर रंजन चौधरी ने व्हिसलब्लोअर को पर्याप्त सुरक्षा देने के बारे में चिंता व्यक्त की है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस विधेयक में व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित किया गया है। … (*व्यवधान*) यदि आप मुझे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं पूरी प्रक्रिया पढ़ सकता हूं जो शुरू से ही सही है। … (*व्यवधान*) मैं बोल रहा हूं। आप प्रक्रिया को इतना छलावा नहीं बना सकते कि यह बिल्कुल नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, तो यह ठीक है। … (*व्यवधान*)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मंत्री जी मेरी बात समझने में विफल रहे हैं। मुझे इसके लिए खेद है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात बोलते रहें।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. जितेंद्र सिंह: अगर हम इसे भेजे बिना पारित कर सकते हैं... (*व्यवधान*) मैं उस पर भी आऊंगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी: आपको किसी भी तरह की गलतफहमी का प्रचार नहीं करना चाहिए। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, बैठिए।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : आप उनकी बात नहीं सुनते।

डॉ. जीतेन्द्र सिंह: मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की है। मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूं। शिकायत को लिफाफे में रखा जाएगा। उसके नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा और शिकायतकर्ता को किसी भी शारीरिक खतरे, उत्पीड़न या उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए शिकायतकर्ता की पहचान की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी, और इसलिए, मामले को एक सीलबंद लिफाफे के रूप में लिया जाएगा और लिफाफा केवल दो अधिकृत अधिकारियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। और, इसके बाद इसे एक सरोगेट नंबर दिया जाएगा और फिर आगे भेजा जाएगा। एक विस्तृत प्रक्रिया है जो, मुझे लगता है, उतनी ही अच्छी है जितनी दुनिया के किसी अन्य हिस्से में अपनाई जा रही है।

अब, अगले बिंदु पर आता हूँ - क्या मैं आरोप कहूँगा या प्रशंसा? - जैसा कि श्री अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह हमारी सम्मानित नेता महोदया सोनिया गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण है जिसने इसे प्रेरित किया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैंने सही ही बताया।

डॉ. जितेंद्र सिंह: हां,मैं यही कह रहा हूं। मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आप मेरी प्रशंसा लेने के लिए भी तैयार नहीं हैं। … (*व्यवधान*) वेणुगोपाल जी, यह क्या है? मुझे खुशी है। वास्तव में, मैं बहुत खुश हूं कि महोदया सोनिया गांधी जैसे सम्मानित और वरिष्ठ व्यक्ति ने हमें प्रोत्साहन दिया है, लेकिन हम पहले से ही पाइपलाइन में थे।

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप नीचे झुक गए।

डॉ. जितेंद्र सिंह: मैंने बकवास नहीं कहा। नहीं, मेरे मुंह में शब्द मत डालो। मैं केवल प्रशंसा कर रहा हूं... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : जितेंद्र जी, आप कृपया आगे बढ़ें। मंत्री जी, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

डॉ. जितेंद्र सिंह: मैं केवल यह कह रहा हूं कि यह सदन के इन दोनों पक्षों की चिंता और मुद्दे की तात्कालिकता को दर्शाता है, जो बहुत सराहनीय है। वास्तव में, यह हमारी इच्छा को मजबूत करता है और इसके साथ आगे बढ़ेगा।

अब, जहां तक पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं होने या इस हद तक सुरक्षा उपाय नहीं होने का मुद्दा है कि यह प्रकटीकरण की भावना को ही खतरे में डाल सकता है जैसा कि बताया गया है, आर.टी.आई. की धारा 8(1) मार्गदर्शक भावना रही है। पहले से मौजूद चीजों में बड़े पैमाने पर जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं मांगा गया है। इसलिए, मुझे लगता है कि यह एक आशंका नहीं होनी चाहिए।

निःसंदेह, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता कि मैं उत्तर देने में सक्षम हूं या नहीं। उदाहरण के लिए, 'व्हिसलब्लोअर' की परिभाषा क्या है? मुझे नहीं पता कि इसका उल्लेख किसी पुस्तक में किया गया है या नहीं। कोई कहेगा, 'कोई जो सीटी बजाता है'। भले ही हम ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में जाएं, तो यह एक शाब्दिक अर्थ देगा। लेकिन, जब हम वर्तमान शब्दकोश में 'व्हिसलब्लोअर' शब्द का उपयोग करते हैं, तो हम आमतौर पर इसे एक अलग संदर्भ में संदर्भित करते हैं और मुझे लगता है कि सभी माननीय सदस्यों को यह समझने और महसूस करने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त है कि 'व्हिसलब्लोअर' से हमारा क्या मतलब है।

प्रो. सौगत राय ने कुछ बहुत ही साक्षर अवलोकन किए। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता में इसे 'क्नी-जर्क' बताया। लेकिन यह क्नी-जर्क नहीं है। यहां तक कि दवाओं में, सौगत *दा*, हमारे पास पेंडुलर जर्क नामक कुछ है। जब आप नीचे की ओर लगाते हैं - यहां कुछ मेडिकल प्रोफेशनल समझ सकते हैं - तो नीचे लटक जाता है और फिर वापस नहीं आता। तो, यह पिछले दो वर्षों से लटक रहा एक पेंडुलर जर्क था। कभी-कभी, एक सामान्य मामले में, आप हथौड़ा मारते हैं और यह वापस आता है; यह वापस रहता है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा

हूं वह यह है कि यह क्नी-जर्क नहीं था, यह चल रहा था; यह स्मोल्डरिंग था और मुझे खुशी है कि सभी सदस्यों ने इसे तेजी से बनाने और इसे सामान्य कार्रवाई में लाने में योगदान दिया है।

कई व्हिसलब्लोअर का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। राष्ट्र उनका ऋणी है; हम सब उनके ऋणी हैं, चाहे हम इस ओर बैठें या उस ओर। मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच या संकोच नहीं है कि शायद इस सभा में दोनों पक्षों के जिन नामों का उल्लेख किया गया था, उन्होंने वास्तव में हमें जल्दबाजी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, जैसा कि कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी के समय में कुछ 'एक्स.वाई.ज़ेड.' मारे गए थे। हां, एक राष्ट्र की यात्रा और संसद के कामकाज में हर दिन मुद्दे उठते हैं; कभी यह प्याज की कीमत होती है, कभी यह किसी की अनुचित मृत्यु होती है, और हम उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित और पदोन्नत होने के हकदार हैं।

श्री महताब यहाँ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी की, 'अंतिम दिन क्यों? यह निश्चित रूप से एक प्रश्न है - हर बार विधेयक अंतिम दिन क्यों आता है? लेकिन, एक तरह से हम इसे पिछली बार के अंतिम दिन से अलग बना सकते हैं कि पिछली बार यह बिना किसी संशोधन के पारित हो गया था और इस बार हम इसे संशोधित रूप में पारित कर सकते हैं। तो, यह अंतिम दिन और इस दिन के बीच अंतर हो सकता है।

हमारी बहुत होनहार, वाक्पटु और युवा सहयोगी श्रीमती सुष्मिता जी ने जो कहा,और मैं बहुत खुश थी क्योंकि उसने मान लिया कि मैं क्या कहूंगी और मुझ पर यह कहने का आरोप लगाया जो मैंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा: 'अब मंत्री जी कहेंगे कि यह विधेयक इसलिए लाया गया क्योंकि कांग्रेस इसे अंतिम दिन पारित करना चाहती थी। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन अगर आप इस तरह से विश्वास कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन, कम से कम मैंने ऐसा नहीं कहा। कई *श्लोक* और अन्य छंद उद्धृत किए गए हैं। सुष्मिता जी ने जो कहा वह मुझे फैज अब्दुल फैज की कविता की याद दिलाता है', 'कि वह बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वह बात पर उन पर बड़ी नागवार गुजरी है।'[अनुवाद] … (*व्यवधान*) वैसे भी, यह एक हंसमुखी टोन में था। लेकिन, मैंने यह नहीं कहा कि आपने यह सिर्फ करने के लिए किया है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि हर दिन मीडिया और सार्वजनिक डोमेन में हम सरकार से स्थायी समितियों को कुछ विधेयक भेजने के लिए कहते हैं, जो नहीं भेजे जाते हैं। इसलिए, उनके अनुसार स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि भ्रष्टाचार के कुछ तत्व शामिल हैं। लेकिन, मैं सिर्फ आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, यदि आप इसे निष्पक्ष रूप से देखते हैं, तो एक स्थायी समिति को एक विधेयक भेजना या नहीं भेजना आवश्यक रूप से संलग्न उद्देश्य नहीं हो सकता है और यदि उद्देश्य मौजूद हैं, तो वे उन उद्देश्यों के अलावा अन्य होंगे जो संभवतः आप इस पर गौर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भ्रष्टाचार या भ्रष्टता के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए हो सकता है; यह तकनीकी हो सकता है या यह सिद्धांतों या विचारधाराओं के अंतर या विचारों के अंतर पर आधारित हो सकता है जिसका हमें संसदीय कार्य में स्वागत करना चाहिए।

आपने उन संशोधनों से भी आगे जाने का उल्लेख किया है जो तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए थे। मैं इससे नाराज नहीं हूं और मुझे इस बारे में बुरा नहीं लगता है। मैं चाहूंगा कि आप इसकी सराहना करें। हमें विधेयक पर फिर से विचार करने का अवसर दिया गया। विधेयक के अध्ययन के लिए हमें एक अवसर दिया गया। यह उसी तरह है जैसे कि जब आप मेरी प्रधानाध्यापिका हो और आप एक अध्याय को आधा छोड़ देती हैं, फिर आप मुझसे कहती हैं 'तुम उस अध्याय को पढ़ो और कल वापस आओ'। जब मैं वापस आता हूं, तो मैं कहता हूं कि मैडम, ये तीन या चार अतिरिक्त बिंदु हैं जो मैंने सीखा है। इसलिए, एक अच्छे छात्र की तरह, मैंने उस विधेयक को फिर से देखा और जो हमने सोचा था उसे शामिल करने की कोशिश की जो अधिक उपयोगी हो सकता है। इसलिए, आपको उस प्रयास के लिए मेरी सराहना करनी चाहिए। यदि ऐसा किया गया है तो यह स्वस्थ भावना के साथ किया गया है।

डॉ. रविन्द्र बाबू ने स्यूडो-व्हिसलब्लोअर का उल्लेख किया। यह एक बहुत ही दिलचस्प संदर्भ है। हमारे पास झूठे शिकायतकर्ता हैं और हमारे पास तुच्छ शिकायतकर्ता हैं, लेकिन मुझे लगता है, उन्होंने पहली बार एक मूल शब्द का उपयोग किया है, जो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से किसी अन्य संदर्भ में उपयोग की जा रही राजनीतिक भाषा में था, जिसे मैं यहां नहीं लाना चाहूंगा। हममें से कुछ छद्म चीजों को किसी अन्य तरीके से संदर्भित करते हैं, लेकिन वैसे भी, आपने उन सभी मुद्दों की यादों को जोड़ दिया जहां छद्म शब्द का उपयोग

किया जाता है। लेकिन एक गंभीर बात यह है कि हमारे पास निश्चित रूप से सुरक्षा उपाय हैं। हमारे पास कारावास के रूप में सुरक्षा उपाय हैं। हमारे पास कम से कम रु, 30,000 के साथ जुर्माना के रूप में सुरक्षा उपाय भी हैं। फिर, कारावास का प्रावधान है जो समय-समय पर जारी रह सकता है। यदि आप चाहते हैं, तो मैं इसे पढ़ भी सकता हूं। यह एक संवेदनशील मुद्दा है और आप सही हैं कि हम जिस समय में रहते हैं, कभी-कभी यह संभव है कि हम इस तरह की शरारत के संपर्क में भी आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे पास एक प्रावधान है जहां जुर्माना रु. 30,000 से शुरू होता है। और कारावास तीन महीने से शुरू होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह की शरारत या तुच्छता है। इस पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है।

डॉ. हरि ने प्रधानमंत्री के अधिकार का उल्लेख किया और पूछाः यदि प्रधानमंत्री एक शिकायत का उल्लेख करते हैं और हमारा विधेयक यह परिकल्पना करता है कि यदि इसमें अस्वीकार्य प्रकृति के प्रकटीकरण शामिल हैं या संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करते हुए देखा जाता है, तो क्या यह प्रधानमंत्री के अधिकार से समझौता नहीं करेगा? हाँ, आपने सही पढ़ा है। हमने इसे शामिल किया है। मुझे लगता है कि इसके लिए हम सराहना के पात्र हैं। हमने प्रधानमंत्री जी के लिए भी सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है, यदि कोई शिकायत सुरक्षा उपायों को प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। मैं समझता हूँ कि यह और पारदर्शिता की ओर एक कदम है, जिसके बारे में इस सदन में चर्चा हुई है।

डॉ. संपत ने रक्षा सौदों, एफ.डी.आई. के हिस्से का उल्लेख किया और कहा कि क्या होगा अगर इस हिस्से को भी शामिल कर लिया जाए क्योंकि इसमें भी आर्थिक दृष्टिकोण है। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण में भी और इतनी सारी नीलामियों में... (*व्यवधान*) मैं उन सभी हथियारों के घोटालों में नहीं जाना चाहता क्योंकि वे पिछले 30 वर्षों के कुख्यात घोटाले हैं क्योंकि इससे एक अलग बहस शुरू होगी। लेकिन कुछ प्रकटीकरण कभी-कभी देश की रक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सौदों को खतरे में डाल सकते हैं और इसलिए, यह सही है, क्योंकि यह भी आर.टी.आई. अधिनियम का एक हिस्सा था।

कविता जी ने एक अनुत्तरित प्रश्न रखा है, मैं क्या कहूंगी। उसने कहा, "मुझे बताइए कि पीड़ित कौन है?" यह सच है क्योंकि यह कहना बहुत मुश्किल है। कभी-कभी, एक पीड़ित कह सकता है कि मैं पीड़ित नहीं हूं।

अगर हम व्यक्तिपरक बात पर चलते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं एक पीड़ित हूं, लेकिन कोई और कह सकता है कि मैं एक पीड़ित नहीं हूं। लेकिन, हां, हमारे पास अधिक वस्तुनिष्ठ पैरामीटर हैं, और कुछ सक्षम अधिकारी हैं, जो यह तय करेंगे कि क्या यह एक पीड़ित है, वास्तविक पीड़ित है या यह एक तुच्छ पीड़ित है।

जहां तक सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के लिए आपकी चिंता का प्रश्न है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि यह इन खुलासों की भावना से सीधे संबंधित नहीं है। बेशक, अगर कोई व्हिसलब्लोअर सीटी बजाता है और यह पूछकर खबर बनाने की कोशिश करता है कि सीमा पार भारतीय बल कहां तैनात हैं, तो निश्चित रूप से इससे फर्क पड़ता है। इसलिए, सशस्त्र बल अधिनियम, इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए, इससे बाहर रखा गया है।

श्री महताब ने एक प्रश्न किया, और वे हमेशा बहुत क्षेत्रीय और बहुत शिक्षाप्रद भी रहे हैं। उन्होंने पूछा: "कि राष्ट्रीय हित की परिभाषा क्या है?" मैं चाहता हूं कि जल्द ही श्री मेहताब स्वयं हमें इसकी परिभाषा दें क्योंकि वास्तव में, कम से कम, मैं यहां सरकार में बैठे हम सभी की ओर से आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जहां तक हमारा संबंध है, राष्ट्रीय हित किसी व्यक्ति या परिवार का हित नहीं है। हमारे लिए राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय हित है। कृपया इसे अपने पिछले अनुभव से समझने की कोशिश न करें।

इसलिए, अध्यक्ष महोदया के माध्यम से, मैं सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि मुझे लगता है कि विधेयक सही भावना में है। यह सदन के सभी वर्गों द्वारा महसूस की जा रही और वांछित चीजों के साथ संघर्ष में नहीं है, और यह चीजों की योग्यता में होगा और मुझे लगता है कि यह उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने इस व्हिसलब्लो धर्मयुद्ध के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए कि हम इसे सर्वसम्मति से पारित करें। धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: डा. साहब, मेरा सुझाव है कि आप इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए।...(व्यवधान) मैं स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज यह बिल राज्य सभा में भी पास नहीं होता। पहले भी जब कभी हमने यहां इनसिस्ट किया, चाहे वह लैंड ऐक्विजिशन बिल हो चाहे जी.एस.टी. हो, बहुत

बार बोलने के बावजूद भी आपने उसे स्टैंडिंग कमेटी, सलैक्ट कमेटी में नहीं भेजा। आखिर में जब बिल राज्य सभा में अटक जाता है, उस समय फिर वापिस आते हैं। इसीलिए मेरी अपील है, अपने माध्यम से, कि आप इसे स्थायी समिति को भेज दें ताकि स्वाभाविक रूप से इसे भूमि अधिग्रहण और जी.एस.टी. के साथ जुलाई में मानसून सत्र में सुचारू रूप से पारित किया जा सके। इसके बजाय, यदि आप इसे जल्दबाजी में आगे बढ़ा रहे हैं, तो अंततः यह अधिनियम दफन हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाए। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्षा: अब...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षा: हाँ, यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री पी.करुणाकरन (कासरगोड):महोदया, स्थायी समिति हमें अध्ययन करने और विधेयक को और अधिक परिपूर्ण बनाने की अनुमति देने के लिए है। इसलिए, मेरी पार्टी यह भी कहना चाहेगी कि बेहतर होगा कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाए। अन्यथा, जब यह राज्य सभा में जाता है, तो हम जानते हैं कि यह वापस आ जाएगा। साथ ही संसद की भी प्राथमिकता है। इसलिए, हम सम्मानपूर्वक निवेदन करते हैं कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। इन्होंने बिल में कहा है कि यह सब सेक्शन(1) का मॉडल है। राइट टू इन्फोर्मेशन एक्ट आने के बाद यू.पी.ए. सरकार के समय आई.बी. की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में जहां भी डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट की एक्टिविटी को रोकने के लिए विदेशी ताकतें आंदोलन करा रही हैं। दिल्ली में जिस पार्टी की सरकार है, यह उसी आंदोलन का दुष्परिणाम है, चाहे परमाणु पॉवर प्लांट लगाने की बात हो या औद्योगिक कॉरीडोर बनने की बात हो, सभी जगह राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से इन्फॉर्मेशन बाहर चला जाता

है। मैं यूपीए सरकार के समय की रिपोर्ट को क्वोट कर रहा हूं। व्हिसल ब्लोअर की आड़ में देश के डेवलपमेंट को रोका जा रहा है। माननीय सदस्य श्री अधीर रंजन चौधरी जी का सुझाव है कि उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में नेशनल इंट्रेस्ट के आधार पर इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोका जा रहा है, उसके लिए इस बिल में क्या प्रोविजन है?

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: डॉ. वेणुगोपाल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): महोदया, अधिकांश सदस्यों के विचारों में मतभेद हैं। इसलिए, इस विधेयक को अच्छी तरह से अध्ययन के लिए स्थायी समिति को भेजना बेहतर है।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, माननीय मंत्री जी बिल में नेशनल सिक्यूरिटी और राइट टू इन्फॉर्मेशन के संबंध में कुछ अमेंडमेंट लेकर आए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं 4(डी) में अमेंडमेंट किया गया है 'वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा से संबंधित जानकारी' अगर कोई इन्टलेक्युअल रिसर्च से प्रोपर्टी बनाता है,यह बात समझ में आती है। कोई ट्रेड के लिए कोई फार्मूला निकाला हो, अगर किसी स्टेट से पी.पी.पी. मॉडल पर कमर्शियल कन्फिडेंस पर एग्रीमेंट होता है और कोई व्हिसल ब्लोअर उसे डिस्कलोज करना चाहे तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे? अगर गवर्नमेंट किसी स्टेट के साथ पी.पी.पी. के आधार पर एग्रीमेंट करती है तो उसको व्हिसल ब्लोअर कैसे डिस्कलोज कर सकता है? कमरशियल कन्फिडेंस को माननीय मंत्री जी कैसे डिफाइन करेंगे?

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की सदस्य कविता जी ने इस बिल को अच्छे से पढ़ा है। उन्होंने जो भाषण दिया है उन्हें भी लगता है कि विधेयक सही नहीं है और इसमें कोई '*सत्ता*' नहीं है।[अनुवाद] हमारे पास बहुत समय है। बुजुर्गों सहित सभी ने कहा कि इसे राज्य सभा में पारित नहीं किया जाएगा। हमारे पास पर्याप्त समय है। इसलिए, विधेयक को स्थायी समिति में जाने दें और उन्हें दो महीने तक इस पर चर्चा करने दें और फिर उसमें त्रुटिरहित संशोधन लाएं। फिर विधेयक को पारित किया जा सकता है।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली): महोदया, मैं 'रीट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन' के संबंध में एक स्पष्टीकरणीय प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या बिल पारित होने से पहले भ्रष्टाचार की पोल खोलने वालों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, क्या यह गुमनाम शिकायतों की भी अनुमति देगा और क्या उन शिकायतों की जांच की जाएगी। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यह उस तारीख को लागू होगा जब केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र को अधिसूचना द्वारा नियुक्ति दे सकती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसे उन लोगों के संबंध में 'रीट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन' बनाया जा सकता है,जिन्होंने इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही घोषणा कर दी थी।

डॉ. जितेंद्र सिंह: इससे भी अधिक कारण यह है कि आपको इसे जल्द से जल्द, संभवतः आज ही पारित करना चाहिए ताकि यह प्रभावी हो सके और सभी को इसका लाभ मिल सके।

[हिन्दी]

श्री तारिक अनवर (कटिहार): अध्यक्ष महोदय, हाऊस की भावना का आदर करते हुए मंत्री जी को इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए ताकि इस पर विस्तार से विचार हो सके।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदया ,कृपया मुझे एक लाइन बोलने दीजिए। माननीय मंत्री जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमारी माननीय नेता, श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है। लेकिन उन्होंने जिस बात पर जोर दिया वह विधेयक को सूचित करने के लिए था जैसा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई थी। बल्कि, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम की मूल संरचना को कमजोर कर दिया है। उन्होंने मूल अधिनियम के सभी मूल उद्देश्यों का उल्लंघन किया है जिसके लिए उसने गुहार लगाई थी।

डॉ. जितेंद्र सिंह: मुझे लगता है, सभा के माननीय सदस्यों की चिंताओं को देखते हुए, कि व्हिसल ब्लोअर संरक्षण को बरकरार रखना और इसे जल्द से जल्द लागू करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निश्चित रूप से पूर्वव्यापी

प्रभाव नहीं डालेगा। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है और इससे मदद भी मिलेगी। सदन की भावना के सम्मान में, हम इसे आगे बढ़ाते हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): इसे कमजोर कर दिया गया है। … *(व्यवधान)*

डॉ. जितेन्द्र सिंह: यह पहले ही एक बार स्थायी समिति के पास जा चुका है। इसके बाद वापस आ गया है। इसे कमजोर नहीं किया गया है। यह काफी संतृप्त हो गया है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। श्री चौधरी जी कह रहे थे कि महोदया सोनिया गांधी जी ने भी विधेयक का उल्लेख किया था। ठीक ही है। … *(व्यवधान)*

श्रीमती सोनिया गांधी (रायबरेली):यह एक मजबूत विधेयक के लिए था। … *(व्यवधान)*

डॉ. जितेंद्र सिंह: मैंने 'मजबूत' या 'कमजोर' नहीं कहा। मैंने कहा कि उसने विधेयक का उल्लेख किया था। … (*व्यवधान*) हाँ, एक मजबूत बिल के लिए। महोदया सोनिया गांधी एक मजबूत विधेयक के पक्ष में थीं और सही भी। … (*व्यवधान*) आप बोल चुके हैं और अब मैं जवाब दे रहा हूं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप कृपया जवाब दें। मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, यह विधेयक पहले ही कमज़ोर हो चुका है। इसीलिए, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि इसे स्थायी समिति में भेजा जाए। वे सहमत नहीं हैं। वे इसे दबा रहे हैं। हम इससे असहमत हैं। हम विरोध करते हैं और बाहर चले जाते हैं।

अपराह्न 05.47 बजे

(इस समय, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए ।)

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

यह विधेयक व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम,2011 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगा।

खंड 2 धारा 2 का संशोधन

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 3 धारा 3 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन संशोधन संख्या 1 को खंड 3 में प्रस्तावित करें। वह उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 4 धारा 4 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी संशोधन संख्या 2 को खंड 4 में प्रस्तावित करें। वह उपस्थित नहीं।

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन संशोधन सं.3 से खंड 4 तक। वह उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ा गया।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचंद्रन अपने संशोधनों को खंडों 5, 6 और 8 प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं , इसलिए मैं सदन को खंडों 5 से 11 तक समेकित वोटिंग के लिए पेश करूँगा।

प्रश्न यह है:

"कि धारा 5 से 11 विधेयक का हिस्सा हैं।" *प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

खंड 5 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और दीर्घ शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री महोदय अब विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश करें ।

डॉ. जितेंद्र सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

यह विधेयक पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

यह विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा संपूरक व्यापार सूची को लेगा।

माननीय सदस्यों, मैं श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा, कानून और न्याय मंत्री को सभा की अनुमति प्राप्त करने के लिए रिपीलिंग और एमेंडिंग (तीसरा) विधेयक, 2015 के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले आपको*सूचित* करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने 13 मई, 2015 को एक संचार में सूचित किया है कि राष्ट्रपति को प्रस्तावित विधेयक के विषय को जानकर, संविधान के अनुच्छेद 117 के खंड (1) के तहत अनुशंसा की गई है कि लोक सभा में विधेयक की प्रस्तावना की जाए।

13-05-2015

अपराह्न 05.51 बजे

सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित किए गए

(1) निरसन और संशोधन (तीसरा) विधेयक, 2015*

माननीय अध्यक्ष: श्री डी.वी.सदानन्द गौड़ा।

कानून और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और कुछ अन्य अधिनियमों के संशोध्नार्थ के लिए विधेयक पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"यह अनुमति कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने के लिए दी जाएगी।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सदानन्द गौड़ा: मैं विधेयक ** पुरःस्थापित करता

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 2 में दिनांक 13.05.2015 को प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

<u>अपराह्न 05.52 बजे</u>

(2) बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध संशोधन विधेयक,2015*

माननीय अध्यक्ष: श्री जयंत सिन्हा।

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): माननीय अध्यक्ष महोदया महोदया, श्री अरुण जेटली की ओर से मैं प्रस्तावना करता हूँ कि एक विधेयक को प्रस्तावित करने के लिए छोड़ने के लिए इस मंच पर आग्रह करता हूँ, जिससे बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 को और भी संशोधित किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

> "उसे प्रस्तुत किया जाए कि बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 को और भी संशोधित करने के लिए एक विधेयक को प्रस्तावित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जयंत सिन्हा:मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

13-05-2015

<u>अपराह्न 05.53 बजे</u>

<u>सरकारी विधेयक – सौंपा गया</u>

(1) बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध संशोधन विधेयक, 2015

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, यह संशोधन विधेयक को स्थायी समिति में भेजने का एक उचित मामला है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह तो आटोमेटिकली जाना है।

[अनुवाद]

उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय अध्यक्षा महोदया, विपक्ष के वॉकआउट के दृष्टिकोण से और उनकी बहुत सी बातों को स्थायी समिति में जांचने की इच्छा को देखते हुए, हम बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन विधेयक को स्थायी समिति में भेजने के लिए अधिक से अधिक खुशी महसूस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह विपक्ष को खुश करेगा। … (*व्यवधान*) इसे पुरःस्थापित किया गया है। … (*व्यवधान*) व्हिसल ब्लोअर संरक्षण (संशोधन) विधेयक तब पारित किया गया है जब आप बाहर गए थे। … (*व्यवधान*) हम बहुत उदार हैं। हम विचारशील हैं। सदन से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। … (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक के बारे में क्या हुआ?

उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों पर चर्चा महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य बस अपना भाषण शुरू करेंगे और फिर हम प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक पर आ सकते हैं। हम ऐसा करेंगे ताकि यह अगले सत्र में जाए। यह मेरा अनुरोध है।

13-05-2015

<u>अपराह्न 05.54 बजे</u>

<u>नियम 193 के अंतर्गत चर्चा</u>
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य

माननीय अध्यक्षा: अब सभा नियम 193 के तहत चर्चा करेगा। रमेश पोखरियाल निशंक ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों पर चर्चा आरंभ किया।

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 193 के अंतर्गत सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य पर चर्चा शुरु करने का सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। 6 से 8 सितंबर, 2000 न्यूयार्क में दुनिया के 179 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर संकल्प लिया कि 2015 तक दुनिया से गरीबी मिटाएंगे, भुखमरी दूर करेंगे, कुपोषण खत्म करेंगे, अशिक्षा दूर करेंगे, स्वच्छता और शुद्ध पेयजल प्रदान करेंगे, बेरोजगारी जो देश, दुनिया और मानवता के लिए अभिशाप है, उसे दूर करेंगे, स्त्री और पुरुष में समानता का भाव पैदा करेंगे, शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाएंगे, स्वास्थ्य सहित सतत पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करते हुए समान वृद्धि और सतत विकास को अर्जित करेंगे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य की संकल्पना की गई और सदस्य देशों के द्वारा यह भी संकल्प लिया गया कि दुनिया के सभी देश अपनी नीतियों को बनाकर इस दिशा में तेजी से काम करते हुए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, भारत ने भी इसी दिशा में बहुत तेजी से काम किया है और वर्ष 2000 से लगातार इस दिशा में प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं तथा स्वत: काफी सक्रिय भूमिका भी निभा रहा है। भारत के सामने मुख्यत: आठ ऐसे लक्ष्य थे जिन पर भारत को युद्ध स्तर पर काम करना था। इसमें प्रमुख रूप से गरीबी हटाना, भुखमरी मिटाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य थे।

अत्यधिक गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन की दिशा में यह कहा गया था कि जितनी भी गरीबी है, गरीबों का उस तिथि में जो प्रतिशत था, उसको वर्ष 2015 तक आधा करना था। वर्ष 1990 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 47.8 था और उसको 18.6 प्रतिशत करने का निधाररित लक्ष्य था। अभी हम 21.92

प्रतिशत पर हैं और अभी इस दिशा में हमें काफी कार्य करने हैं। हालांकि गरीबी को दूर करने तथा भुखमरी को मिटाने की दिशा में बहुत सारे काम किये गये हैं लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे 1990 में भुखमरी से ग्रस्त जो तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे, उनकी स्थिति 1990 में 52 प्रतिशत थी और इसको 26 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य था जो अभी 40 प्रतिशत है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस दिशा में बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। हालांकि देश ने वर्ष 2000 से बहुत सारे क्षेत्रों में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चाहे वह मनरेगा की स्कीम हो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो, चाहे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हो, चाहे जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन हो, चाहे इंदिरा आवास हो, नेशनल हैल्थ मिशन हो, चाहे सर्व शिक्षा आभियान हो, मिड-डे मील हो, एकीकृत शिशु विकास योजना हो, ऐसे बहुत सारे विषयों पर आगे काम किया लेकिन जिस गति से वह काम होना चाहिए था, वह आज भी अपेक्षित है और इसीलिए हमारी सरकार ने इस दिशा में इस आपूर्ति के लिए चाहे आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जन धन योजना की शुरुआत हुई हो, चाहे प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत हुई हो, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात हो, मेक-इन-इंडिया, स्किल्ड इंडिया, डिजिटल इंडिया सहित तमाम ऐसे अनेकानेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है जो गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं यह समझता हूं कि इस दिशा में चाहे वह मनरेगा ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : निशंक जी, क्योंकि बहुत सारे सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे, हम नियम 193 के इस विषय को बाद में ले लेंगे। आप बाद में इसको कंटिन्यू करें। अगले सत्र में इसे लिया जाएगा।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैडम, ठीक है। यह अगले सत्र में होगा।

13-05-2015

<u>अपराह्न 05.58 बजे</u>

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2015

माननीय अध्यक्ष: अब हम मद सं 15- प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2015 पर चलते हैं।

[हिन्दी]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पहले दो मिनट बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षा: श्री प्रकाश जावडेकर जी, कृपया आगे बोलें जो भी आप कहना चाहते हैं।

.... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर : माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसी विचित्र व्यवस्था देश में पैदा हुई है क्योंकि एक मसला सुप्रीम कोर्ट में गया कि वनीकरण के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए जो कंपनसेट्री एफॉरेस्टेशन फंड होता है और नैट प्रेजेंट वैल्यू का भी पैसा मिलता है, 2001 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मसला आया तो उनको ऐसा लगा कि कुल मिलाकर 2001 में कोर्ट ने ऑबजर्व किया कि इसका केवल 83 प्रतिशत ही यूज हो रहा है। 17 प्रतिशत यूज नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

<u>सांय 06.00 बजे</u>

[हिन्दी]

इसलिए एक व्यवस्था एडहॉक सी.ए.एम.पी.ए. की बनी और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह कहा :

[अनुवाद]

"पारिस्थितिकी रक्षा और पुनर्जीवन के लिए उत्पन्न धन को संविधान के अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 283 या अनुच्छेद 284 के तहत किसी भी निधि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

इस फैसले के कारण वनीकरण का सारा पैसा राज्यों को जाना बंद हो गया और सबका पैसा बैंक में पड़ा रहा। यह किसी पब्लिक एकाउंट में नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : छह बज गए हैं। हम इस विषय को कम्प्लीट करने तक सदन का समय बढ़ाते हैं।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदया, वर्ष 2001 के बाद 35 हजार करोड़ रुपए बैंकों में पड़े हैं और जिस काम के लिए रखे हैं, उसके लिए उपयोग नहीं हो रहे हैं। उसका केवल 10 परसेंट हिस्सा ही यूज हो रहा है। इसका परिणाम यह हुआ।...(व्यवधान) यही मैं कह रहा हूं। तो, यह क्या होता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। वह धन, जो बहुत बड़ी धनराशि है और जो वृक्षारोपण के लिए होना चाहिए, वास्तव में वृक्षारोपण के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यह बैंकों में है और और अहम बात यह है कि राज्य इसे खर्च नहीं कर सकते; न कोई भी। इसलिए हम यह विधेयक लाए हैं जो राज्यों को अधिकार देता है। पिछले 12 वर्षों से बंद रखे गए धन को राज्यों को अधिक वृक्षारोपण और पर्यावरणीय सेवाओं के लिए जारी किया जाएगा। ... (*व्यवधान*) मैं आज यही कह रहा हूं। यह पिछले 12 वर्षों से बंद है। … (*व्यवधान*)

2001 में सिर्फ रु. 2,000 करोड़ थे, जो अब रु. 35,000 करोड़ हो गए हैं और जब अगले साल यह पारित होगा, तो यह रु. 38,000 करोड़ हो जाएगा। (*व्यवधान*) क्या इसका उपयोग ग्रीनिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए? क्या इसका उपयोग रोज़गार सृजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए? क्या यह राज्यों को नहीं दिया जाना चाहिए? … (*व्यवधान*) यह राज्यों का पैसा है और राज्यों को मिलना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यह स्कीम सुप्रीम कोर्ट को दी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ग्रीन बैल्ट से संबंधित जज एक दिन ही सिर्फ दो घंटे के लिए बैठता है इस कारण सुनवाई नहीं हुई। हमने चाहा है कि यह बिल जल्दी पास होना चाहिए, क्योंकि यह राज्यों के हित में है। हम सबके सुझाव लेना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हम विचार नहीं करते हैं। हम स्वयं स्टैंडिंग कमेटी को देने के लिए तैयार हैं। आप स्टैंडिंग कमेटी में इसे दो महीने में कीजिए। हम राज्यों को पैसा देने के लिए तैयार हैं। आप कितनी जल्दी रिएक्शन देते हैं, यह हम देखना चाहते हैं।

13-05-2015

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षा: आपने सुझाव दिया है। यह स्थायी समिति के पास जाएगा।

...(व्यवधान)

13-05-2015

सांय 06.03 बजे

सरकारी विधेयक...जारी

(2) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2015
(3) राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015
(4) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
विकास (संशोधन) विधेयक, 2015

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, खड़गे साहब और प्रतिपक्ष लगातार इस बात को हमेशा उठाते रहते हैं कि पूरे विमर्श के लिए आवश्यक है कि कई विधेयकों को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षा: कोई क्रॉस-टॉक नहीं कृपया, श्री जावडेकर।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, सभी सदस्यों ने, विपक्ष ने और खड़गे साहब ने इस बात को कहा है कि हम " कम्पन्सेटरी आफ एफोरस्ट्रेशन फंड बिल " को तो स्टैंडिंग कमेटी को भेज रहे हैं। " नेशनल वॉटरवेस बिल, 2015 " को भी स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, ऐसा हमारा सदन से आग्रह है। इसके साथ " माइक्रो स्माल एंड मिडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल, 2015 " को भी स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। मुझे लगता है कि खड़गे साहब जरूर खुश हुए होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में बिलों को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जा रहा है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, ये जो-जो बिल चाहते हैं, उन्हें स्टैंडिंग कमेटी को भेज देते हैं। जेटली साहब नहीं आए थे, समय को बढ़ाना था इसलिए कई सदस्य स्टेटमेंट दे रहे थे। यह आपका विचार है कि कौन-सा बिल भेजना है और किस बिल को नहीं भेजना है। हम सभी के लिए इनसिस्ट कर रहे हैं लेकिन आपने दो-तीन बिलों को ही स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के लिए चूज़ किया है।

13-05-2015

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैडम, मैं एक चीज बताना चाहता हूं।...(व्यवधान) वर्ष 1980 तक 150 सेलेक्ट कमेटीज बनी हैं, जब हमारे यहां स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बनी थीं। वर्ष 1991 तक राज्य सभा में इतनी ही संख्या में सेलेक्ट कमेटीज बनी हैं। वर्ष 1993 से 2003 तक, इन 20 वर्षों में, इन दो दशकों में हार्डली सिंगल डिजिट में सेलेक्ट कमेटीज बनी हैं और अब इस अवधि में, एक ही साल में सात से आधिक सेलेक्ट कमेटीज और एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी बनी है। मेजॉरिटेरियन व्यू-प्वाइंट लोक सभा में है, लेकिन आपको विपक्ष को भी विश्वास में लेना होगा। स्थायी समिति एकमात्र ऐसी जगह है जहां सदस्य भी कानून बनाने में भागीदार बनते हैं। यह केवल कार्यपालिका का विशेषाधिकार नहीं है। इसलिए,निर्वाचित सदस्यों के रूप में स्थायी समितियों में भी हम कानून बनाने में भाग लेते हैं। आपने 51 बिल्स में से अभी तीन ही बिल आपने स्टैंडिंग कमेटी को भेजा है। 51 बिलों में से तीन बिल स्थायी समिति को भेजे गए हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि भविष्य में और अधिक विधेयक स्थायी समितियों को भेजे जाएंगे। इस दृष्टिकोण के साथ हम अब घर वापस जाएं कि अब बेहतर दिशा का प्रभाव दिख रहा है।

13-05-2015

<u>सांय 06.06 बजे</u>

राज्या सभा से संदेश ...जारी

महासचिवः महोदया, मुझे प्रतिवेदन करना है कि राज्य सभा को काले धन बिना घोषित विदेशी आय और संपत्तियों (कर लगाने) विधेयक, 2015 के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

13-05-2015

<u>सांय 06.07 बजे</u>

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014

(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)

माननीय अध्यक्ष :अब, माननीय मंत्री महोदय जी यह प्रस्ताव रखें कि राज्य सभा द्वारा कंपनियाँ (संशोधन) विधेयक, 2014 में किए गए संशोधनों को, जिसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचारार्थ लिया जाए।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा कंपनी अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

<u>अधिनियमन सूत्र</u>

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 पर, "पैंसठवें" शब्द ***<u>के</u>*** स्थान पर "छियासठवें" शब्द को ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।

<u>खंड1</u>

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 2 पर, चित्र "2014" ***<u>के</u>*** लिए, चित्र "2015" को ***<u>प्रतिस्थापित</u>*** किया जाए।

<u>खंड 4</u>

3. कि पृष्ठ 1 पर, 15 से 17 पंक्तियों ***<u>के लिए</u>***, निम्नलिखित को ***<u>प्रतिस्थापित</u>किया जाए,*** अर्थात्: -

"4. मूल अधिनियम की धारा 11 का हटा दिया जाएगा।"

	धारा 11 का हटा दिया गया।
<u>नया खंड 18</u> <u>क</u>	
4. कि पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 17 के ***<u>बाद</u>***, निम्नलिखित ***<u>अंतःस्थापित</u>किया जाए,*** अर्थात्‌ः -	नए खंड 18क का सम्मिलन।
"18क. मूल अधिनियम की धारा 248 में, उपधारा (1),- (1) खंड (क) में, 'निगमन' शब्द के बाद,'या' शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा; (2) खंड (ख) हटा दिया जाएगा।"	धारा 248 का संशोधन।

		<u>नया खंड 22</u> 5. कि पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 31 के ***<u>बाद</u>***, निम्नलिखित ***<u>अंतःस्थापित</u>किया जाए,*** अर्थात्‌ः -	नए खंड 22 सम्मिलित।
		"22. मूल अधिनियम के धारा 462 में, उप-धारा (2) के लिए, निम्नलिखित उप-धारा से स्थानांतरित किया जाएगा: " (2) उपधारा (1) के तहत जारी करने के प्रस्तावित प्रत्यक्ष, हर दिन, संसद के प्रत्येक सभा के समक्ष मसौदे में रखा जाएगा, जब तक कि सत्र हो, यह तीस दिनों का एक कुल अवधि के लिए है, और अगर, दोनों सभा सहमत हैं कि अधिसूचना की प्रतिक्रिया देते हैं या अगर दोनों सभा सहमत हैं कि अधिसूचना में कोई संशोधन करें, तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी, या यथासंभव उस	धारा 462 का संशोधन।

		संशोधित रूप में जारी की जाएगी जैसा कि दोनों सभाों द्वारा सहमति प्राप्त हो।" (3) उप-धारा (2) में संदर्भित जैसे ही किसी ऐसी 30 दिनों की अवधि को मान्यता देने के लिए, उस अवधि के दौरान कोई भी विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उप-धारा (2) में संदर्भित सभा को विधिक रूप से प्रविष्ट किया या चार लगातार दिनों से अधिक के लिए विलंबित किया नहीं गया है। (4) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की प्रतियां, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सभा के समक्ष रखी जाएंगी।"."	

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा कंपनी अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 पर, "पैंसठवें" शब्द ***के*** स्थान पर "छियासठवें" शब्द को ***प्रतिस्थापित*** किया जाए।

1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 2 पर, चित्र "2014" ***के*** लिए, चित्र "2015" को ***प्रतिस्थापित*** किया जाए।

खंड 4

3. कि पृष्ठ 1 पर, 15 से 17 पंक्तियों ***<u>के लिए</u>***, निम्नलिखित को ***<u>प्रतिस्थापित</u> किया जाए,*** अर्थात्ः -

"4. मूल अधिनियम की धारा 11 का हटा दिया जाएगा।" धारा 11 का हटा दिया गया।

<u>नया खंड 18 क</u>

4. कि पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 17 के ***<u>बाद</u>***, निम्नलिखित ***<u>अंतःस्थापित</u> किया जाए,*** अर्थात्ः - नए खंड 18क का सम्मिलन।

"18 क मूल अधिनियम की धारा 248 में, उपधारा (1) में,-

धारा 248 का संशोधन।

(1) खंड (क) में, 'निगमन' शब्द के बाद,'या' शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(2) खंड (ख) हटा दिया जाएगा।"

13-05-2015

नया खंड 22

5. कि पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 31 के ***बाद***, निम्नलिखित ***अंतःस्थापित किया जाए,*** अर्थात्‌ः - नए खंड 22 सम्मिलित।

"22. मूल अधिनियम के धारा 462 में, उप-धारा (2) के लिए, निम्नलिखित उप-धारा से स्थानांतरित किया जाएगा: धारा 462 का संशोधन।

" (2) उपधारा (1) के तहत जारी करने के प्रस्तावित प्रत्यक्ष, हर दिन, संसद के प्रत्येक सभा के समक्ष मसौदे में रखा जाएगा, जब तक कि सत्र हो, यह तीस दिनों का एक कुल अवधि के लिए है, और अगर, दोनों सभा सहमत हैं कि अधिसूचना की प्रतिक्रिया देते हैं या अगर दोनों सभा सहमत हैं कि अधिसूचना में कोई संशोधन करें, तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी, या यथासंभव उस संशोधित रूप में जारी की जाएगी जैसा कि दोनों सभाों द्वारा सहमति प्राप्त हो।"

(3) उप-धारा (2) में संदर्भित जैसे ही किसी ऐसी 30 दिनों की अवधि को मान्यता देने के लिए, उस अवधि के दौरान कोई भी विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उप-धारा (2) में संदर्भित सभा को विधिक रूप से प्रविष्ट किया या चार लगातार दिनों से अधिक के लिए विलंबित किया नहीं गया है।

(4) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना की प्रतियां, यथाशीघ्र, जारी होने के पश्चात्, संसद के प्रत्येक सभा के समक्ष रखी जाएंगी। "."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13-05-2015

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, संशोधनों पर विचार करने से पहले, मैं सभा को *सूचित* करना चाहूँगा कि राज्य सभा ने संशोधन संख्या .4 और 5 के माध्यम से क्रमशः नए धारा 18क और 22 को कंपनियाँ (संशोधन) विधेयक, 2014 में जोड़ा है, जैसा कि लोक सभा द्वारा पारित किया गया है।

इस संबंध में, मैं आपका ध्यान उस दिशा 31 की ओर आकर्षित करूंगा, जिसमें प्रावधान है कि “जब किसी विधेयक में एक नए खंड को सम्मिलित करने के लिए कोई संशोधन सदन द्वारा अपनाया जाता है,तो अध्यक्ष यह प्रश्न रखेगा कि नया खंड बिल में जोड़ा जाए।

इसलिए, मैं संशोधन संख्या 4 और 5 को सभा के समक्ष अलग-अलग मतदान के लिए प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूँ। यदि सभा इन संशोधनों को अपनाता है तो मैं उन नए खंडों का भी प्रस्ताव करूंगा जिन्हें इन संशोधनों द्वारा सभा के समक्ष मतदान के लिए अंतःस्थापित किया जाना था।

अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे। अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 से 3 को एक साथ सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा:

प्रश्न यह है:

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 पर, "पैंसठवें" शब्द ***के*** स्थान पर "छियासठवें" शब्द को ***प्रतिस्थापित*** किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 2 पर, चित्र "2014" ***के*** लिए, चित्र "2015" को ***प्रतिस्थापित*** किया जाए।

खंड 4

3. कि पृष्ठ 1 पर, 15 से 17 पंक्तियों ***के लिए***, निम्नलिखित को ***प्रतिस्थापितकिया जाए,***
अर्थात्‌ -

"4. मूल अधिनियम की धारा 11 का हटा दिया जाएगा।"

.

धारा 11 को हटाना

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13-05-2015

नया खंड 18क

माननीय अध्यक्षा: अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या .4 को सदन के मतदान के लिए रखूँगी।

प्रश्न यह है:

नया खंड **18**क

4. कि पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 17 के ***बाद***, निम्नलिखित ***अंतःस्थापित किया जाए,*** अर्थात्ः - नए खंड 18क का सम्मिलन।

"18क मूल अधिनियम की धारा 248 में, उपधारा (1),- धारा 248 का संशोधन।

(1) खंड (क) में, 'निगमन' शब्द के बाद,'या' शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(2) खंड (ख) हटा दिया जाएगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्षा: अब मैं नए खंड 18क को सदन के मतदान के लिए रखूँगी।

प्रश्न यह है:

"यह कि नई धारा 18क विधेयक का हिस्सा है।" *प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

"नई धारा 18क विधेयक में जोड़ी गई।"

माननीय अध्यक्षा: अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या .5 को सदन के मतदान के लिए रखूँगी।

प्रश्न यह है:

नया खंड 22

5. कि पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 31 के ***बाद***, निम्नलिखित ***अंतःस्थापित किया जाए,*** अर्थात्ः - नए खंड 22 सम्मिलित।

"22. मूल अधिनियम की धारा 462 में, के लिए उप-धारा (2), निम्नलिखित उप-धाराओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- धारा 462 का संशोधन।

" (2) उपधारा (1) के तहत जारी करने के प्रस्तावित प्रत्यक्ष, हर दिन, संसद के प्रत्येक सभा के समक्ष मसौदे में रखा जाएगा, जब तक कि सत्र हो, यह तीस दिनों का एक कुल अवधि के लिए है, और अगर, दोनों सभा सहमत हैं कि अधिसूचना की प्रतिक्रिया देते हैं या अगर दोनों सभा सहमत हैं कि अधिसूचना में कोई संशोधन करें, तो अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी, या यथासंभव उस संशोधित रूप में जारी की जाएगी जैसा कि दोनों सभाों द्वारा सहमति प्राप्त हो।"

(3) उप-धारा (2) में संदर्भित जैसे ही किसी ऐसी 30 दिनों की अवधि को मान्यता देने के लिए, उस अवधि के दौरान कोई भी विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उप-धारा (2) में संदर्भित सभा को विधिक रूप से प्रविष्ट किया या चार लगातार दिनों से अधिक के लिए विलंबित किया नहीं गया है।

(4) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की प्रतियां, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सभा के समक्ष रखी जाएंगी।"."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्षा: अब मैं नया खंड 22 सदन के मतदान के लिए रखूँगी। प्रश्न यह है:

“कि नया खंड 22 विधेयक का हिस्सा है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया है।

माननीय अध्यक्षा: मंत्री महोदय जी अब यह प्रस्ताव रख सकते हैं कि राज्य सभा द्वारा कंपनियाँ (संशोधन) विधेयक, 2014 में किए गए संशोधनों को, जिसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, स्वीकार किया जाए।

श्री अरुण जेटली: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति हो।"

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्षा: राज्य सभा द्वारा कंपनियों (संशोधन) विधेयक,2014 में किए गए संशोधनों पर,लोक सभा द्वारा पारित रूप में,सभा द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है।

माननीय सदस्यगण, चूंकि विधेयक में दो नई धाराएं जोड़ी गई हैं, इसलिए मैं निर्देश देता हूं कि जहां भी आवश्यक हो, क्रमागत धाराओं को पुनः क्रमांकित किया जाए।

13-05-2015

सांय 06.12 बजे

विदाई उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, सोलहवीं लोक सभा का चौथा सत्र आज समाप्त हो रहा है। इस बजट सत्र के प्रथम भाग का प्रारंभ 23 फरवरी, 2015 को केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के साथ हुआ। सभा की बैठक 20 मार्च, 2015 को स्थगित हो गयी ताकि स्थायी समितियां, विभन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदानों की मांगों की जांच कर उन पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकें। बजट सत्र का दूसरा भाग, मध्यावकाश के पश्चात् 20 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ हुआ। सत्र के दौरान 35 बैठकें हुईं, जो 242 घंटे 54 मिनट चलीं। इनमें से 19 बैठकें सत्र के प्रथम चरण में और 16 बैठकें द्वितीय चरण में आयोजित की गईं।

सदन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जिसकी एक प्रति 23 फरवरी, 2015 को सभा पटल पर रखी गयी। इसे 14 घंटे और 05 मिनट की चर्चा के पश्चात् 27 फरवरी, 2015 को पारित किया गया।

वर्ष 2015-16 के लिए रेल बजट और सामान्य बजट क्रमशः 26 और 28 फरवरी, 2015 को प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2015-16 के सरकारी संकल्प एवं रेल बजट पर संयुक्त रूप से चर्चा हुई। वर्ष 2015-16 की लेखानुदानों की मांगों (रेल) और वर्ष 2014-15 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर 13 घंटे से अधिक समय तक चर्चा चली। मांगें स्वीकृत हुईं और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया। वर्ष 2015-16 के लिए अनुदानों की मांगों (रेल) पर सत्र के दूसरे भाग में 21 अप्रैल, 2015 को चर्चा की गयी। यह चर्चा 4 घंटे 15 मिनट तक चली। प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा मांगें स्वीकृत हुईं और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

13-05-2015

सभा में वर्ष 2015-16 के बजट (सामान्य) पर भी संयुक्त चर्चा की गयी। वर्ष 2015-16 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) तथा वर्ष 2014-15 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर 13 घंटे से आधिक समय तक चर्चा चली। मांगें स्वीकृत हुईं और विनियोग विधेयक पारित किया गया।

सत्र के दूसरे भाग में, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2015-16 के लिए अनुदानों की माँगों को पूर्ण रूप से स्वीकृत किए जाने से पूर्व उन पर 25 घंटे से आधिक समय चर्चा की गई। बाकी मंत्रालयों के संबंध में वर्ष 2015-16 के बजट (सामान्य) से संबंधित सभी अन्य शेष अनुदानों की मांगों को 29 अप्रैल 2015 को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

सभा ने 30 अप्रैल, 2015 को वित्त विधेयक, 2015 पर भी चर्चा की। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए संघ सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए इसे पारित करने से पूर्व इस पर लगभग 5 घंटे और 23 मिनट चर्चा हुई।

वर्तमान सत्र के दौरान 25 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए। कुल 24 विधेयक परित किए गए। परित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं - नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015, मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2015, कोयला खनन (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015, बीमा विधि (संशोधन) विधेयकृ 2015, माल और सेवा कर प्रारंभ करने से संबंधित संविधान (एक सौ बाइसवां संशोधन) विधेयक, 2014, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2015, भारत और बांग्लादेश के बीच कतिपय राज्य क्षेत्रों के अर्जन और अंतरण को प्रभावी करने के लिए संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 2013, काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) कर आधिरोपण विधेयक, 2015, परक्राम्य लिखित (संशोधन) विधेयक, 2015 और सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015।

13-05-2015

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपे जाने से संबंधित एक प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

सत्र के दौरान 620 तारांकित प्रश्नों को सूचीबद्ध किया गया, जिसमें से 135 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जा सके। इस प्रकार औसतन प्रतिदिन 4.21 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। 7118 अतारांकित प्रश्नों के साथ शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

प्रश्न काल के पश्चात् और सभा के औपचारिक कार्य के समापन के पश्चात् शाम को देर तक बैठक कर अविलंबनीय लोक महत्व के लगभग 1036 मामले माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अंतर्गत 412 मामले भी उठाए।

सत्र के दौरान विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों ने 68 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण के माध्यम से दो महत्वपूर्ण विषयों को उठाया गया अर्थात् (एक) देश में हानिकारक कीटनाशकों विशेष रूप से इन्डोसल्फान के उपयोग और मानव जीवन पर उनके प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति और (दो) ज्योतिसर, कुरूक्षेत्र, हरियाणा में स्थित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण प्राचीन बरगद के पेड़ को रष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की आवश्यकता। ध्यानाकर्षण के उत्तर में संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए और सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के भी उत्तर दिए।

सभा में नियम 193 के अधीन देश में कृषि की स्थिति से संबंधित लोक महत्व के मामले पर 13 घंटे से अधिक समय चर्चा चली। संबंधित मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सरकारी कार्य के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए पांच वक्तव्यों सहित मंत्रियों द्वारा विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में 55 वक्तव्य दिए गए।

सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 2345 पत्र सभा पटल पर रखे गए।

जहाँ तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का सम्बन्ध है, सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के 129 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। वरिष्ठ नागरिक (जरारोग और डिमेंशिया देख-रेख का उपबंध) विधेयक, 2014

जिसका उद्देश्य डिमेंशिया रोग से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों की देख-रेख और जरारोग देख-रेख सुविधाओं का उपबंध करना था, जिस पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री भर्तृहरि महताब जी ने 12 दिसंबर, 2014 को प्रस्तुत किया था, को 13 मार्च, 2015 को चर्चा पूरी होने के पश्चात सभा की अनुमति से प्रभारी सदस्य द्वारा प्रस्ताव वापस लिया गया। एक अन्य विधेयक, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागिरक द्वारा आनिवार्य मतदान का प्रावधान करना है, उस पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा 13 मार्च, 2015 को प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक पर आगे 24 अप्रैल, 2015 को चर्चा की गई, उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई।

जहाँ तक गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, युवाओं में तकनीकी कौशल विकास और "मेक इन इंडिया" का लक्ष्य हासिल करने संबंधी योजना के संबंध में श्री सी.आर. पाटिल द्वारा 19 दिसम्बर, 2014 को प्रस्तुत किए गए संकल्प पर 20 मार्च, 2015 को आगे चर्चा हुई और उसी दिन सभा की अनुमति से यह संकल्प वापस लिया गया। श्री निशिकान्त दुबे जी द्वारा 20 मार्च, 2015 और 8 मई, 2015 को कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तुरन्त कदम उठाने संबंधी प्रस्तुत किए गए एक अन्य संकल्प पर चर्चा अधूरी रही है।

इस सत्र में जबकि व्यवधानों और बाध्य स्थगनों के कारण हमने 7 घंटे और 04 मिनट से अधिक का समय गंवाया, लेकिन सभा 55 घंटे और 43 मिनट के लिए देर तक बैठी और अविलम्बनीय सरकारी कार्य को निपटाया गया। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद है।

मैं उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में शामिल अपने साथियों का सभा के सुचारू कार्य संचालन में सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूँ।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं, मुख्य्य सचेतकों, माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के हमारे मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव, लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। सभा की कार्रवाई के संचालन से संबद्ध एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए मैं उन सभी का

मैं धन्यवाद देती हूँ। माननीय सदस्यगण आप सभी का सहयोग के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। मंत्रिमंडल का भी धन्यवाद।

अब माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब "वंदेमातरम" की धुन बजाई जाएगी।

अनेक माननीय सदस्य : महोदया, आपका भी हम लोगों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद।

सांय 06.23 बजे

राष्ट्रगीत

(राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई)

माननीय अध्यक्षा: सभा *अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है।*

सांय 06.24 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

13-05-2015

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

13-05-2015

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित